भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

(राजस्व विभाग - सीमा शुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2020 की संख्या 17

..... को लोकसभा तथा राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

	अध्याय	*पैरा सं.*	*पृष्ठ*
प्राक्कथन			*i*
कार्यकारी सार			*iii*
शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली			*xiii*
सीमा शुल्क राजस्व	*I*	1.1 से 1.13	1
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा	*II*	2.1 से 2.7	17
कारण बताओं नोटिस और अधिनिर्णयन प्रक्रिया पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	*III*	3.1 से 3.5	23
सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अननुपालना	*IV*	4.1 से 4.13	71
विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन	*V*	5.1 से 5.3	107
अनुबंध			121

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग-सीमा शुल्क तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

सरकार ने भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस) में महत्वपूर्ण निवेश किया जिसका परिणाम व्यापक, कागज रहित, पूर्ण रूप से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में लेन-देन की जानकारी की उपलब्धता है। यह लेखापरीक्षा को कुछ स्थानों पर लेन-देन की नमूना जांच की अपेक्षा सौ फीसदी डेटा की समीक्षा का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है और सभी सीमा शुल्क आयुक्तालयों में कर कानून लागू करने की सटीकता पर सरकार और संसद को आश्वासन प्रदान करता है । पूर्ण डेटा की उपलब्धता लेन-देन की नमूना जांच के लिए सीमा शुल्क परिसर में लेखापरीक्षा के प्रत्यक्ष निरीक्षण की आवश्यकता को भी कम करती है। तथापि, चूँकि विभाग अखिल भारतीय लेन-देन के लिए पूर्ण डेटा प्रदान करने में असमर्थ था, अत: 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 48 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में ही लेखापरीक्षा की गई थी।

इस प्रतिवेदन में उल्लखित मामले वे हैं, जो 2018-19 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए और साथ ही जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये नहीं जा सके थे। 2018-19 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां भी आवश्यक था, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

भारत में माल आयात किये जाने और भारत से बाहर कतिपय माल के निर्यात किये जाने पर (संविधान की सांतवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) सीमा शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

सीमा शुल्क को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (अधिनियम) के अंतर्गत उद्ग्रहित किया जाता हैं, और शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम तथा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत शासित किया जाता हैं।

माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू किये जाने से पहले सीमा शुल्क प्राप्तियों में मूल सीमा शुल्क (बीसीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) और विशिष्ट अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) शामिल होते थे। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू किये जाने के बाद, पैट्रोलियम उत्पादों और स्पिरिट को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित तथा एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अधीन राजस्व विभाग (डीओसी) केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संघीय कर के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।

सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा सीमा-पार निवारक कार्यों को सीबीआईसी द्वारा पूरे देश में 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से किया जाता हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अधीन वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) के माध्यम से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को प्रतिपादित, कार्यान्वित और मॉनीटर किया जाता है जो निर्यात और व्यापार बढ़ाने के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति का आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है।

2018-19 के दौरान ₹23.08 लाख करोड़ मूल्य का निर्यात (1,33,60,422 लेन-देन) और ₹35.95 लाख करोड़ मूल्य का आयात (1,21,88,592 लेन-देन) किया गया। जीडीपी अनुपात के प्रति सीमा शुल्क प्राप्तियां 0.62 *प्रतिशत* थी जबकि सकल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां

छह *प्रतिशत* थीं। अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 14 *प्रतिशत* थीं।

सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालन लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण, सीमा शुल्क के अन्य कोई उद्ग्रहण, एफटीपी के अंतर्गत लागू की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये आयात और निर्यात के लेन-देन और समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किये गये विशिष्ट अनुपालन के क्षेत्र शामिल होते हैं। इस वर्ष अनुपालन लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क आयुक्तालयों/ डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) और विकास आयुक्त-विशेष आर्थिक ज़ोन (डीसी-सेज) में ''कारण बताओं नोटिस (एससीएन) और अधिनिर्णयन प्रक्रिया'' की समीक्षा की गयी। इस प्रतिवेदन में शामिल किये गये लेन-देन वित्तीय वर्ष (वि.व) 2018-19 से संबंधित हैं परन्तु कुछ मामलों में समग्र स्थिति प्राप्त करने के लिए पूर्व अवधि के लेन-देनों की भी समीक्षा की गई है।

कुल 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 48 को नमूना जांच के लिए चयनित आयुक्तालयों के नमूने में शामिल किया गया। हमने लेखापरीक्षा के लिए चयनित सीमा शुल्क आयुक्तालयों के अधीन कार्यरत 285 निर्धारण इकाईयों और 206 गैर-निर्धारण इकाईयों की लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा कस्टम हाऊस सर्विस सेंटर या वेब आधारित आईसगेट द्वारा भारतीय सीमा शुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में इलैक्ट्रोनिक रूप से फाईल किये गये बिल ऑफ एंट्री (बीई) और शिपिंग बिलों (एसबी) की जांच पर आधारित थी। गैर-ईडीआई सीमा शुल्क स्थानों पर, बीई और एसबी को मूर्त रूप से फाईल और निर्धारण किया जाता है। आईसीईएस स्वचालित चरणों की श्रृंखला द्वारा डेटा को प्रसंस्कृत करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) का प्रयोग करती है और इसके परिणामस्वरूप इलैक्ट्रानिक निर्धारण किया जाता है। यह निर्धारण सुनिश्चित करता है कि क्या बीई पर कार्यवाही की जाएगी अर्थात् निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन होगा या माल की जांच होगी या दोनों होगें या शुल्क के भुगतान के बाद और बिना किसी निर्धारण और जांच के प्रत्यक्ष रूप से निकासी कर दी जाएगी। हमने आरएमएस और मैनुअल मूल्यांकन प्रणाली दोनों द्वारा संसाधित बीई और एसबी की लेखापरीक्षा की।

एफटीपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाइसेंस फाईलों की नमूना जांच द्वारा डीजीएफटी के अधीन 28 आरए में एफटीपी के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन की लेखापरीक्षा की गई थी।

यह रिपोर्ट पाँच अध्यायों में बंटी हुई है। अध्याय । डीओआर और डीओसी के कार्यों का संक्षिप्त विवरण तथा सीमा शुल्क प्राप्तियों, भारत के आयात और

निर्यात, सेजों के निष्पादन, सीमा शुल्क प्राप्तियों के बकाया और विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। अध्याय II सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन करता है। अध्याय III, IV और V में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किये गये हैं। इस रिपोर्ट में ₹10,909 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के 114 पैराग्राफ हैं। ₹62 करोड़ के धन मूल्य सहित 93 पैराग्राफ में, एससीएन जारी करने, एससीएन पर अधिनिर्णय करने के रूप में विभाग/मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और 66 मामलों में ₹32 करोड़ की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

डीओआर और डीओसी से प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त स्थान पर रिपोर्ट में शामिल किया गया हैं।

अध्याय I: विहंगावलोकन- सीमा शुल्क राजस्व

- 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू किये जाने के बाद, पैट्रोलियम उत्पादों और अल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं के उत्पाद पर सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित तथा एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। आईजीएसटी, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार उद्ग्रहित किये जाने वाले लागू बीसीडी के अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कतिपय विलासिता और डीमेरिट माल पर भी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर उद्ग्राहय है। शिक्षा उपकर के साथ-साथ एंटी डंपिंग शुल्क और संरक्षण शुल्क का उद्ग्रहण अपरिवर्तित है।

{पैराग्राफ 1.4.2}

- वि.व. 2017-18 में प्राप्त की गयी ₹1,29,030 करोड़ की सीमा शुल्क प्राप्तियों के सापेक्ष वि.व. 2018-19 के दौरान ₹1,17,813 करोड़ की सीमा शुल्क प्राप्तियां की गई थी। वि.व. 2018-19 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों में कमी के कारणों में से एक कारण इस तथ्य के लिए जिम्मेदार हो सकता है कि सीवीडी और एसएडी, जो सीमा शुल्क प्राप्तियों का हिस्सा हुआ करते थे, जीएसटी की शुरूआत के बाद उन्हें आईजीएसटी में शामिल कर लिया गया।

{पैराग्राफ 1.6.1 से 1.6.3}

- वि.व. 2018-19 के दौरान आयात में 19.78 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि निर्यात में उसी अवधि के दौरान 17.95 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई।

{पैराग्राफ 1.7}

अध्याय II: सी.ए.जी का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा

- वि.व. 2018-19 के दौरान, लेखापरीक्षा ने संबंधित आयुक्तालयों/आरए को 353 निरीक्षण रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2,299 अभ्युक्तियां में ₹3,296 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था। इनमें से वि.व. 2018-19 के दौरान देखे गए ₹10,909 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 114 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को ही इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। शेष मामलों में संबंधित क्षेत्रीय संगठनों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

{पैराग्राफ 2.6}

अध्याय III: कारण बताओं नोटिस और अधिनिर्णयन प्रक्रिया

- एक एससीएन तब जारी किया जाता है जब विभाग निर्धारिती को किसी भी कार्यवाही का पूर्वाग्रह करता है, जिसमें उसे अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाता है। एससीएन, अधिनियम की धारा 28(1) या 28(4) के अंतर्गत ऐसे मामलों में दिया जाता है, जहां सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो या कम भुगतान किया गया हो या गलत तरीके से प्रतिदाय दिया गया हो। अधिनियम की धारा 28(1) या 28(4) के अंतर्गत एससीएन जारी किए जाने के बाद अधिनिर्णयन किया जाता है जो अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों का एक अर्ध-न्यायिक कार्य है। अधिनिर्णयन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद एक लिखित मूल आदेश (ओआईओ) होगा जिसमें मामले के तथ्यों का विवरण और अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत अधिनिर्णयन आदेश का औचित्य होगा।
- 25 सीमा शुल्क आयुक्तालयों, डीजीएफटी के 12 आरए और आठ डीसी-सेज़ में लेखापरीक्षा की गयी। लेखापरीक्षा ने वि.व. 2016-17 से 2018-19 के दौरान एससीएन की अधिनिर्णयन प्रक्रिया, जारी किए गए एससीएन और पारित ओआईओ तथा 31 मार्च 2019 को अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन की जांच की।
- लेखापरीक्षा ने एससीएन के जारी करने में खामियों, अधिनिर्णयन तक जाने वाली प्रक्रिया और कार्यविधि में कमियां, अधिनिर्णयन और समीक्षा आदेशों की उचित अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव और आंतरिक नियंत्रण और अनुवीक्षण में कमी को पाया। ₹10,649 करोड़ की राशि के मुल्य के साथ कुल 141 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जारी किया गया था।
- एससीएन जारी करने और सीमा शुल्क आयुक्तालयों में अधिनिर्णयन प्रक्रिया की लेखापरीक्षा में नोटिस पूर्व परामर्श (पीएनसी) स्तर से अधिनिर्णयन

आदेशों के जारी होने और समीक्षा आदेशों की अनुवर्ती कार्यवाही तक विभिन्न स्तरों पर अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अननुपालन का पता चला।

- एक तरफ, लाइसेंस धारक को निर्यात दायित्व (ईओ) के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए एक सरल पत्र जारी करने के बजाय एससीएन जारी किए गए थे और दूसरी तरफ, एससीएन को निर्धारित अवधि के भीतर जारी करने में विफलता ने उन्हें कालातीत बना दिया। अधिनियम की धारा 28(4) के अंतर्गत विस्तारित समय को उन मामलों में भी लागू किया गया था, जहां एससीएन को अधिनियम की धारा 28(1) के अंतर्गत सामान्य अवधि के भीतर जारी किया जाना था।
- सेज़ के मामले में, तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन न करने के कारण अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा एससीएन को ड्रॉप करने के साथ-साथ डीसी द्वारा एससीएन के जारी करने में हुई देरी को देखा गया।
- विदेश व्यापार (विकास और विनियम) {एफटीडीआर} अधिनियम, 1992 में, एससीएन को जारी करने और उनके अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित समय-सीमा के प्रावधानों के न होने से चूककर्ताओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के लिए आरए और डीसी के प्रशासनिक प्राधिकारियों के पास विवेकाधिकार रहने दिया और सरकारी राजस्व की वसूली में परिहार्य देरी हुई। आरए द्वारा एससीएन जारी करने में उल्लेखनीय देरी देखी गई हालांकि ईओ अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी जिसमें ऐसे भी मामले शामिल थे जहां ईओ अवधि, 2 से 11 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी।
- एससीएन निर्धारित समय सीमा से बाद अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे जिसमें निर्धारित समय सीमा से बाद अधिकतम लम्बन 182 महीने का था बावजूद इसके कि एससीएन के अधिनिर्णयन की समय-सीमा अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्धारित थी। उन मामलों में भी जहां अधिनिर्णयन पूरा हो गया था, लंबित मामलों में, 37 प्रतिशत मामले जो कुल राजस्व का 32 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते है, काफी देरी थी व उनका अधिनिर्णयन 6 महीने से भी अधिक की देरी से हुआ। अनुमेय संख्या से परे व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) दिया गया था और अंतिम पीएच के बाद भी अधिनिर्णयन आदेश के जारी करने में देरी देखी गई थी, जिसके कारण राजस्व का परिहार्य अवरोधन हुआ। विश्वसनीय दस्तावेजों (आरयूडी) के अभाव में जोकि

एससीएन जारी करने की एक बुनियादी आवश्यकता है, एससीएन, अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे।

- एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में, पीएच के निर्धारण के संबंध में, निर्धारित प्रावधानों के अभाव में, यह देखा गया कि डीसी, संख्या की सीमा के बगैर, पीएच उपलब्ध करा रहे थे, जिससे अधिनिर्णयन में देरी हो रही थी।
- जबकि अधिनिर्णयन प्रक्रिया स्वय: ही देरी से त्रस्त थी, सीमा शुल्क आयुक्तालय और आरए दोनों में ही अधिनिर्णयन आदेशों की अनुवर्ती कार्यवाही में भी कमियां देखी गई।
- डीआरआई आसूचना एकत्रण और जांच तंत्र (डीआईजीआईटी) को 1 अप्रैल 2018 से सीमा शुल्क अपराधों के एक पूर्ण डेटाबेस बनाने के उद्देश्य के साथ अनिवार्य बना दिया, जो आंशिक रूप से कार्यात्मक पाया गया था।
- सीमा शुल्क आयुक्तालयों में महत्वपूर्ण निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में भी खामियों को देखा गया जैसे मासिक प्रगति रिपोर्ट में डेटा संबंधी विसंगतियां, अपूर्ण एससीएन और पुष्ट मांग रजिस्टर। तथ्य शीट तैयार करने के बावजूद अधिनिर्णयन आदेश जारी न करने से आरए की शिथिल निगरानी स्पष्ट होती है।
- सीमा शुल्क विभाग और आरए द्वारा प्रस्तुत निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) लाइसेंसों के मोचन की प्रास्थिति में विसंगतियों को देखा गया। यह भी देखा गया कि सीमा शुल्क विभाग, डीजीएफटी के निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण-पत्र (ईओडीसी) निगरानी प्रणाली जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, पर उपलब्ध ईओडीसी विवरणों का उपयोग नहीं कर रहा था, जिससे उन मामलों में भी एससीएन को बंद नहीं किया जा सका जहां डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी प्रदान किया गया था। इस प्रकार, ईओ निगरानी पर स्थायी आदेश और संस्थागत तंत्र के माध्यम से सीमा शुल्क और आरए के बीच सूचना साझा करने के बावजूद वहां कोई भी स्थापित तंत्र मौजूद नहीं है और विभाग का स्वतंत्र ढांचे के रूप में कार्य करना जारी है।

- लेखापरीक्षा अनुशंसा:

(i) *मंत्रालय एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में एससीएन जारी करने और स्थगित करने के लिए विशिष्ट समय सीमा प्रदान करने पर विचार कर सकता है*

(ii) *एससीएन का जवाब देने के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता को उचित अवसर देने और असीमित पीएच की अनुमति देने के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी के असीमित विवेकाधिकार का प्रतिबंध संबंधी प्रावधान का व्याख्यान, एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में भी, सीमा शुल्क अधिनियम की तर्ज पर अनुमेय पीएच संख्या को शामिल करने की आवश्यकता है।*

(iii) *निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अधिनियम के अनुसार एससीएन को जारी और अधिनिर्णन करने पर उचित और समय पर कार्रवाई की।*

(iv) *अधिनियम की अनुचित धारा के तहत एससीएन जारी करने सहित अनियमितताओं के मामलों की विस्तार से जांच की जा सकती है और भूल और चूक की त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है।*

(v) *डीआईजीआईटी के तहत परिकल्पित सीमा शुल्क अपराध के डेटाबेस को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।*

(vi) *आरए की निगरानी को बढ़ाने की आवश्यकता है। सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी के ईओडीसी निगरानी प्रणाली के बीच समन्वय में सुधार की आवश्यकता है।*

(vii) *जैसा कि लेखापरीक्षा ने केवल मामलों के एक नमूने की जाँच की है, विभाग अन्य सभी मामलों की भी जाँच कर सकता है और प्रणालीगत कमियों को पहचान सकता है।*

{पैराग्राफ 3.1 से 3.5}

अध्याय IV: सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

- वर्ष 2018-19 के लिए आयात और निर्यात लेन-देन का डेटा प्राप्त नहीं हुआ था। डेटा की अनुपस्थिति में अनुपालन लेखापरीक्षा पर इस अध्याय के निष्कर्ष, क्षेत्र में की गई सीमित लेखापरीक्षा पर आधारित थे। हालांकि, नमूना जांच में देखी गई लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की रेंज प्रणालीगत कमियों की ओर इशारा करती हैं जिन्हें विभाग द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।

- 2018-19 के दौरान कुल 1.22 करोड़ बीई और 1.34 करोड़ एसबी उत्पन्न हुए थे, जिसमें से लेखापरीक्षा ने 4.09 लाख बीई और 2.21 लाख एसबी का चयन किया। इस रिपोर्ट में सीमा शुल्क आयुक्तालयों में आयात/निर्यात दस्तावेजों की नमूना जांच के दौरान पाए गए ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ के साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को प्रतिवेदित किया गया था। लेखापरीक्षा ने, जहां भी लागू हो, वर्ष 2017-18 के लिए सीबीआईसी से प्राप्त आयात डेटा का उपयोग करके समान लेन-देन की कुल संख्या सुनिश्चित करके राजस्व के लिए संभावित जोखिम की मात्रा निर्धारित करने का प्रयास किया है।

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए अननुपालन के मामलों को मौटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता था:

I. अधिसूचनाओं का गलत लागू होना

II. आयातों का गलत वर्गीकरण

III. लागू उदग्रहणों और अन्य प्रभारों का गलत उदग्रहण

- लेखापरीक्षा ने अधिसूचनाओं के गलत लागू होने, आयात किए गए माल के गलत वर्गीकरण और लागू उदग्रहणों और अन्य प्रभारों के गलत उदग्रहण के कारण लागू होने योग्य सीमा शुल्क के कम निर्धारण के 86 मामलों को देखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 233 करोड़ का राजस्व, जोखिम इत्यादि में था।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.13}

प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा ने कुछ आयात मामलों में प्रणालीगत मामलों को देखा जिसमें आरएमएस ने निकासी अनुमत की, भले ही निर्धारित आयात शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। आरएमएस को लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित मामलों को संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित आयात शर्तों का अनुपालन हो और एक बार बीई के सिस्टम के माध्यम से गुजरने पर लागू शुल्क स्वत: प्रभारित हो सके।

कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया हैं और प्रतिवेदन के अध्याय IV में भी चर्चा की गई है।

- अधिसूचना के गलत लागू होने के कारण आई फोन (स्मार्ट फोन) आयात पर बीसीडी का कम उदग्रहण।

{पैराग्राफ 4.7.1}

- 'कैमरा माइयूल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली' को दी गई गलत छूट पर बीसीडी का कम उदग्रहण।

{पैराग्राफ 4.7.2}

- न्यूनतम आयात कीमत से नीचे प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात।

{पैराग्राफ 4.7.3}

- फार्मास्यूटिकल उत्पादों के आयात पर आईजीएसटी की अनुचित छूट।

{पैराग्राफ 4.8.3}

- कारपेट और अन्य कपड़े के फलोर कवरिंग के आयात पर आईजीएसटी दर का गलत लागू होना।

{पैराग्राफ 4.8.5}

अनवरत अनियमितताएं

सेज़ में इकाइयों से लागत वसूली (स्थापना) प्रभारों की गैर-उगाही और पिछलें लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मंत्रालय को फ्लैग किए गए आयातों को गलत वर्गीकरण के ऐसे ही दृष्टांतों का सीमा शुल्क के क्षेत्रीय संगठनों में प्रतिवेदित किया जाना जारी रहा, जोकि सीबीआईसी के इन आश्वासनों के बावजूद था कि उनके क्षेत्रीय संगठनों को, ऐसे ही मामलों की सावधानीपूर्वक जांच के लिए संवेदनशील बनाया गया हैं।

कुछ मामलों का नीचे उल्लेख किया गया है:

- डेवलपर्स से लागत वसूली प्रभारों की गैर उगाही।

{पैराग्राफ 4.12.1}

- पशुचारे के लिए मशीनरी का गलत वर्गीकरण।

{क्र. सं. 5, अनुबंध 9}

- आरएफआईडी टैग का गलत वर्गीकरण।

{क्र. सं. 6, अनुबंध 9}

सामान्य अनुशंसाएं

हालांकि मंत्रालय ने कई मामलों में शुल्क वसूलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है, लेकिन यह इंग्ति किया जा सकता है कि इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा पैराग्राफ, केवल कुछ निदर्शी मामले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि भूल-चूक की ऐसी त्रुटियां, चाहे वह आरएमएस आधारित निर्धारणों में हों या मैनुअल निर्धारणों में हो, कई और मामलों में हो सकती हैं। लेखापरीक्षा ने जहां भी लागू हो, वि.व. 2017-18 के लिए सीबीआईसी से प्राप्त आयात डेटा का प्रयोग करते

हुए ऐसे ही लेन-देनों के कुल यूनिवर्स को सुनिश्चित करके राजस्व की संभावित जोखिम की मात्रा निर्धारित करने का प्रयास किया है। इनकी विभाग द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है।

यह नोट करना तर्कसंगत है कि नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए बड़ी संख्या में बीई को आरएमएस के माध्यम से निर्धारित किया गया था जो इस बात का संकेत देता था कि सिस्टम आधारित निर्धारण को सरल बनाने के लिए आरएमएस में मैप किए गए निर्धारण नियम अपर्याप्त थे।

आरएमएस में जोखिम पैरामीटरों के मैपिंग और अद्यतन करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

{पैराग्राफ 4.7 से 4.11}

अध्याय V: एफटीपी की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

एफटीपी की निर्यात संवर्धन योजनाओं में अनियमितताएं

- 28 आरए की नमूना लेखापरीक्षा में निर्धारित नियमों, एफटीपी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं और ईओ को पूरा करने और निर्यात प्रोत्साहन देने के बारे में प्रक्रियाओं के उल्लंघन के उदाहरणों को उजागर किया। ₹ 27.74 करोड़ का राजस्व उन निर्यातकों/आयातको से देय था, जिन्होंने निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत शुल्क का लाभ उठाया था, लेकिन निर्धारित बाध्यताओं/शर्तों को पूरा नहीं किया था।
- रिपोर्ट की गई अनियमितताओं, विशेष रूप से ईओ को पूरा न करना और एफटीपी के अनुसार निर्यातकों/आयातकों द्वारा अन्य शर्तों को पूरा न करने का मामला व्यापक प्रतीत होता है और इसे डीजीएफटी, नई दिल्ली और सीबीआईसी द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त पैराग्राफ में वर्णित मामले केवल निर्देशी है जो लेखापरीक्षा की जांच पर आधारित है तथा नियम व प्रक्रियों की भूल-चूक की त्रुटियों से इंकार नहीं किया जा सकता। विभाग को सलाह दी जाती है कि इन सभी ईपीसीजी व अन्य योजनाओं की शर्तों को पूरा ना करने के मामलों की जांच करे और आवश्यक कार्रवाई करें। लेखापरीक्षा में इंगित मामलों में बचत शुल्क की वसूली के लिए उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.3}

शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षर	विस्तृत रूप
एए	अग्रिम प्राधिकरण
एसीसी	एयर कार्गो संकुल
एडीडी	एंटी डंपिंग शुल्क
एडीजीएफटी	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार
एईओ	प्राधिकृत आर्थिक संचालक
एएनएफ	आयात निर्यात फार्म
एओ	निर्धारण अधिकारी
एपीआर	वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन
बीसीडी	आधारभूत सीमा शुल्क
बीई	प्रविष्टि बिल
बीई	बजट प्राक्कलन
बीआरसी	बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड
सीईआईबी	केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
आयुक्तालय	सीमा शुल्क आयुक्तालय
सीआरए	सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीआरसी	लागत वसूली प्रभार
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीसी	विकास आयुक्त
डीसी	उप आयुक्त सीमा शुल्क
डीईईसी	शुल्क छूट पात्रता प्रमाण पत्र
डीईएल	अस्वीकृत सत्व सूची
डीएफसीई	शुल्क मुक्त क्रेडिट पात्रता
डीजीएफटी	महानिदेशालय विदेश व्यापार
डीजीओवी	मूल्यांकन महानिदेशालय
डीआईजीआईटी	डीआरआई आसूचना एकत्रण और जांच तंत्र
डीएल	कमी पत्र
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ई-बीआरसी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र

संकेताक्षर	विस्तृत रूप
ईसीए	प्रवर्तन सह अधिनिर्णयन
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान प्रदान
ईओ	निरीक्षा अधिकारी
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाई
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईएक्सआईएम	निर्यात और आयात
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफओबी	फ्री आन बोर्ड
एफ़टीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटीडीआर	विदेश व्यापार विकास और विनियम
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
जीटीआर	सकल कर राजस्व
एचबीपी	हैंडबुक प्रक्रिया
आईसीडी	इन्लैन्ड कंटेनर डिपो
आईसीईजीएसटीई	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य गेटवे
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय प्रणाली
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईजीएसटी	एकीकृत माल और सेवा कर
जेडीजीएफटी	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार
केएसेज़	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र
एलईओ	निर्यात आदेश अनुमति
एलओपी	अनुमति पत्र
एमईआईएस	मर्चेन्डाइज एक्पोर्टस फ्रॉम इंडिया
एमआईडीसी	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम
एमआईपी	न्यूनतम आयात मूल्य
एमओसीआई	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपीआर	मासिक निष्पादन रिपोर्ट
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

संकेताक्षर	विस्तृत रूप
एनसेज़	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
ओआईओ	मूल आदेश
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
ओएसपीसीए	साइट पर पश्च निकासी लेखापरीक्षा
पीएच	व्यक्तिगत सुनवाई
पीआईसी	नीति व्याख्या समिति
पीएमटी	प्रति मीट्रिक टन
पीएनसी	नोटिस पूर्व परामर्श
पीओ	निवारक अधिकारी
प्र. सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
पीटीएफई	पॉली टेटरा फ्लोरो इथाइल
₹	रुपया
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकरण
आरसी	वसूली कक्ष
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफ	पुनर्लाभ जुर्माना
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
आरयूडी	विश्वसनीय दस्तावेज
एसएडी	सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क
एसबी	शिपिंग बिल
एसईईपीज़ेड	सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
एसईआईएस	सर्विस एक्पोर्टस फ्रॉम इंडिया
सेज़	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफआईएस	सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम
एसआईआईबी	विशेष आसूचना जांच शाखा
एसओपी	मानक परिचालन प्रक्रिया
एसएससीए	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
एसटीपी	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
वीसेज़	विशाखपट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाईओवाई	वर्ष दर वर्ष

अध्याय ।

सीमा शुल्क राजस्व

1.1. सीमा शुल्क की प्रकृति

1.1.1 भारत में माल के आयात पर और भारत से बाहर कतिपय माल के निर्यात पर (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की एंट्री 83) सीमा शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

1.1.2 सीमा शुल्क के शुल्क, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहित किये जाते हैं और शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत शासित की जाती हैं।

1.2. सीमा शुल्क राजस्व आधार

1.2.1 महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के साथ जारी किये गये आयातक और निर्यातक सीमा शुल्क राजस्व आधार में शामिल होते हैं। मार्च 2019 तक 3,00,402 सक्रिय आईईसी[1] थे। वि.व. 19 के दौरान ₹23.08 लाख करोड़ मूल्य के निर्यात (1,33,60,422 लेन-देन) और ₹35.95 लाख करोड़ मूल्य के आयात (1,21,88,592 लेन-देन) किये गये।

1.3. प्रशासनिक विभागों का संगठन और कार्य

1.3.1 वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग (डीओआर), केंद्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी भारत सरकार का सर्वोच्च विभाग है।

1.3.2 पूरे देश में मुख्य आयुक्तों की अध्यक्षता वाले 20 जोनों के माध्यम से सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क के उद्ग्रहण व संग्रहण तथा सीमा-पार निवारक कार्य किये जाते हैं।

1.3.3 डीजीएफटी द्वारा एमओसीआई के अधीन डीओसी उस एफटीपी को प्रतिपादित, कार्यान्वित और मॉनीटर करता है जो निर्यात और व्यापार बढ़ाने

[1] प्रत्येक आयातक/निर्यातक के लिए आईईसी को डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है।

के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति को आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, डीओसी को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध, सेज, राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार सरलीकरण और विकास और कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योग और वस्तुओं के विकास और विनियमन के संबंध में उत्तरदायित्व भी सौंपे गये है।

1.3.4 एफटीपी जो आरए द्वारा लागू किया जाता है निर्यात प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आईईसी प्रदान करने और लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी है। वि.व. 19 के दौरान, पूरे भारत में 38 आरए थे।

1.4. सीमा शुल्क प्राप्तियां

1.4.1 जीएसटी लागू किये जाने से पहले, सीमा शुल्क प्राप्तियों में बीसीडी, सीवीडी और एसएडी शामिल होते थे। सभी आयात शिक्षा उपकर के अधीन भी होते हैं। इसके, अतिरिक्त एंटी-डंपिंग शुल्क और सेफगार्ड शुल्क, जहां कहीं भी लागू है, वहां उद्ग्राह्य है।

1.4.2 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने उपरांत, पैट्रोलियम उत्पादों और एल्कोहल को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के आयात पर सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित कर दिया गया है और इसके स्थान पर आईजीएसटी लागू कर दिया गया है। आईजीएसटी, लागू बीसीडी के अतिरिक्त है जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार उद्ग्रहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कतिपय ऐश्वर्यपूर्ण तथा निषेध माल पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी उद्ग्राह्य होता है। शिक्षा उपकर सहित एंटी-डंपिंग शुल्क और सेफ गार्ड शुल्क का उद्ग्रहण भी अपरिवर्तित रहा।

1.5. बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां

1.5.1 संघ सरकार का राजस्व बजट सरकार के कर और गैर कर राजस्व का बजट अनुमान प्रदान करता है। बजट अनुमान के साथ वास्तविक प्राप्तियों की तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक प्राप्तियां या तो अप्रत्याशित घटनाओं या अवास्तविक अनुमानों के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं।

1.5.2 वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां नीचे तालिका 1.1 में दी गई हैं:

तालिका 1.1: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष	बजट अनुमान ₹ करोड़ में	संशोधित अनुमान ₹ करोड़ में	वास्तविक प्राप्तियां ₹ करोड़ में	वास्तविक और बीई में अंतर	वास्तविक और बीई के बीच प्रतिशत भिन्नता	वास्तविक और आरई के बीच प्रतिशत भिन्नता
वि.व.15	2,01,819	1,88,713	1,88,016	(-)13,803	(-)6.84	(-)0.37
वि.व.16	2,08,336	2,09,500	2,10,338	(+)2,002	(+)0.96	(+)0.40
वि.व.17	2,30,000	2,17,000	2,25,370	(-)4,630	(-)2.01	(+)3.85
वि.व.18	2,45,000	1,35,242	1,29,030	(-) 1,15,970	(-)47.33	(-) 4.59
वि.व.19	1,12,500	1,30,038	1,17,813	(+) 5,313	(+)4.72	(-)9.40

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु संघीय बजट और वित्त लेखे।

1.5.3 वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान आरई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-) 9.40 प्रतिशत से 3.85 प्रतिशत के बीच थी। उक्त अवधि के दौरान ही बीई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-) 47.33 *प्रतिशत* से 4.72 प्रतिशत थी।

1.5.4 वि.व. 19 के दौरान, वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां बीई से 4.72 प्रतिशत (₹5,313 करोड़ तक) अधिक थी, जबकि आरई के मुकाबले उक्त अवधि के दौरान वे 9.4 प्रतिशत (₹12,225 करोड़ तक) कम थी। डीओआर ने कहा (मार्च 2020) कि एक वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न आर्थिक कारकों के आधार को मानकर बीई और आरई निर्धारित किए गए थे और पूरे वर्ष के लिए इन कारकों का अंतिम परिणाम पहले पता नहीं था।

1.6 सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

1.6.1 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल कर राजस्व (जीटीआर) प्राप्तियां और सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राप्तियों की परस्पर वृद्धि को नीचे तालिका 1.2 (क) में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 (क): सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत	जीडीपी (₹ करोड़ में)	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्ति	सकल कर राजस्व (जीटीआर) (₹ करोड़ में)	सकल कर % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर (₹ करोड़ में)	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व.15	1,88,016	9	1,25,41,208	1.5	12,45,135	15.1	5,46,214	34.42
वि.व.16	2,10,338	12	1,35,76,086	1.55	14,55,891	14.45	7,10,101	29.62
वि.व.17	2,25,370	7	1,51,83,709	1.48	17,15,968	13.13	8,62,151	26.14
वि.व.18	1,29,030	(-)43	1,67,73,145	0.76	19,19,183	6.72	9,16,445	14.07
वि.व.19	1,17,813	(-)09	1,90,10,164	0.62	19,68,456	5.99	8,43,177	13.97

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु वित्तीय लेखे

1.6.2 वि.व. 15 से वि.व. 17 तक वर्ष दर वर्ष (वाईओवाई) के आधार पर सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि दर 9 से 12 प्रतिशत के बीच थी**,** परंतु विगत वर्ष के मुकाबले वि.व. 18 और वि.व. 19 में ऋणात्मक प्रवृत्ति दिखाई। **वि.व. 18 और वि.व. 19 में सीमा शुल्क प्राप्तियां**, **पूर्ववर्ती वर्षों के साथ तुलना योग्य नहीं थी क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद सीमा शुल्क प्राप्तियों में**, **सीवीडी और एसएडी को छोडकर केवल बीसीडी शामिल थे**, **जो पहले सीमा शुल्क प्राप्तियों का भाग हुआ करते थे वह अब आईजीएसटी में सम्मिलित हैं।**

1.6.3 जीडीपी को सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता**,** विगत वर्ष वि.व. 18 में 0.76 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 19 के दौरान 0.62 प्रतिशत थी। जीटीआर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 15 में 15.10 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 19 में 5.99 प्रतिशत तक घट गई थी। वि.व. 18 और वि.व. 19 के दौरान जीडीपी/जीटीआर की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों के प्रतिशत में कमी मुख्य रूप से आईजीएसटी में सीवीडी और एसएडी के सम्मिलित होने के कारण थी। वि.व. 15 से वि.व. 17 के दौरान सीवीडी और एसएडी मिलकर सीमा शुल्क प्राप्तियों का 65 से 67 प्रतिशत थे।

कुल अप्रत्यक्ष करों के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 15 में 34 प्रतिशत से वि.व. 19 में 14 प्रतिशत तक घट गई।

1.6.4 वि.व. 19 के दौरान, जीडीपी अनुपात के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियों का अनुपात एक प्रतिशत (0.62 प्रतिशत) से कम था जबकि जीटीआर की

प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 6 प्रतिशत थी। अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 14 प्रतिशत थी।

1.6.5 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने से पूर्व, सीवीडी और एसएडी का हिस्सा जो सीमा शुल्क प्राप्तियों का भाग था, को नीचे तालिका 1.2 (ख) में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 (ख): वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों में सीवीडी और एसएडी का हिस्सा

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	सीवीडी (₹ करोड़ में)	एसएडी (₹ करोड़ में)	(सीवीडी+एसएडी) का जोड़ (₹ करोड़ में)	(सीवीडी+एसएडी) को छोड़कर सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	(सीवीडी+एसएडी) को छोड़कर सीमा शुल्क प्राप्तियों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि	सीमा शुल्क की प्रतिशतता के रूप में (सीवीडी+एसएडी)
वि.व.15	1,88,016	93,245	29,298	1,22,543	65,473		65.18
वि.व.16	2,10,338	1,06,250	30,033	1,36,283	74,055	13	64.79
वि.व.17	2,25,370	1,11,982	39,944	1,51,926	73,444	(-)0.8	67.41
वि.व.18	1,29,030	33,489	9,603	43,092	85,938	17	33.40
वि.व.19	1,17,813	1,835	78	1,913	1,15,900	35	1.62

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु बजट और वित्त लेखे और एमओएफ द्वारा दी गई सूचना

जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद, वि.व. 19 में सीवीडी व एसएडी का प्रतिशत 1.62 प्रतिशत था क्योंकि कुछ वस्तुओं (मोटर स्पिरिट, डीजल और एल्कोहोल) को छोडकर, ये शुल्क जीएसटी में सम्मिलित हो गए है।

(सीवीडी + एसएडी) को छोड़कर सीमा शुल्क प्राप्तियों पर विचार करते हुए, ये वि.व. 15 में ₹65,473 करोड़ से बढकर वि.व. 19 के दौरान ₹1,15,900 करोड़ की हो गई। वि.व. 18 की तुलना में (सीवीडी + एसएडी) को छोड़कर सीमा शुल्क प्राप्तियों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि वि.व. 19 में 35 प्रतिशत थी।

1.7 भारत का आयात और निर्यात

1.7.1 वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान भारत के आयात और निर्यात की वृद्धि की प्रवृति को तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत का आयात और निर्यात

वर्ष	आयात ₹ करोड़ में	विगत वर्ष में वृद्धि प्रतिशत में	निर्यात ₹ करोड़ में	विगत वर्ष में वृद्धि प्रतिशत में	व्यापार असंतुलन ₹ करोड़ में
वि.व.15	27,37,087	0.79	18,96,348	(-) 0.45	(-)8,40,739
वि.व.16	24,90,298	(-) 9.00	17,16,378	(-) 9.49	(-)7,73,920
वि.व.17	25,77,422	3.49	18,52,340	7.92	(-)7,25,082
वि.व.18	30,01,033	16.44	19,56,515	5.62	(-)10,44,518
वि.व.19	35,94,675	19.78	23,07,726	17.95	(-)12,86,949

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.7.2 भारत के आयात का मूल्य वि.व. 18 में ₹30.01 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 19 के दौरान ₹35.95 लाख करोड़ तक हो गया और निर्यात भी वि.व. 18 में ₹19.56 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 19 में ₹23.08 लाख करोड़ हो गया।

वि.व. 16 के दौरान (-) 9 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के बाद वि.व. 17 और वि.व. 18 के दौरान आयातों की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर में वृद्धि हुई। निर्यात में वृद्धि दर भी वि.व. 16 में (-) 9.5 प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 19 में 17.95 प्रतिशत हो गई। वि.व. 18 की तुलना में वि.व. 19 में आयात में 19.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यात में 17.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.7.3 वि.व. 19 के दौरान आयात और निर्यात के रूप के मामले में भारतके शीर्ष व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, यूनाईटेड किंगडम, बांग्लादेश, जर्मनी, नीदरलैंड और नेपाल थे। वि.व. 19 के दौरान शीर्ष दस देशों से आयात और निर्यात का विवरण नीचे चार्ट 1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1: वि.व. 19 के दौरान शीर्ष 10 देशों से आयात की तुलना में निर्यात

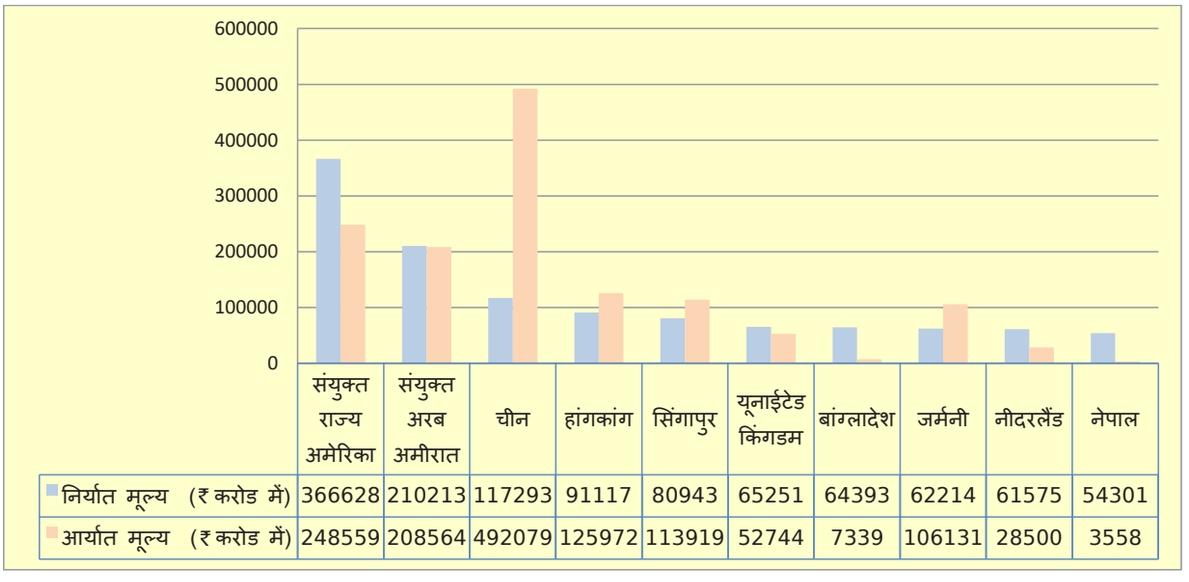

	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त अरब अमीरात	चीन	हांगकांग	सिंगापुर	यूनाईटेड किंगडम	बांग्लादेश	जर्मनी	नीदरलैंड	नेपाल
निर्यात मूल्य (₹ करोड में)	366628	210213	117293	91117	80943	65251	64393	62214	61575	54301
आर्यात मूल्य (₹ करोड में)	248559	208564	492079	125972	113919	52744	7339	106131	28500	3558

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

1.8 वि.व. 19 के दौरान आयात और निर्यात में शीर्ष पांच वस्तुओं हिस्सेदारी

1.8.1 वि.व. 19 में आयात में वृद्धि का नेतृत्व पांच प्रमुख वस्तु समूहों द्वारा किया गया था, नामत:

(i) खनिज ईंधन और उनके आसवन के उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)

(ii) प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, सोना और उसकी वस्तुऐं (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)

(iii) विद्युत मशीनरी और उपस्कर तथा भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 85)

(iv) मशीनरी और उपकरण तथा भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84) और

(v) कार्बनिक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29)

वि.व. 19 के दौरान किए गए कुल आयातों इन वस्तुओं का 68 प्रतिशत हिस्सा था जैसा कि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: वि.व. 19 के दौरान आयात में शीर्ष वस्तुओं की हिस्सेदारी

क्र. सं.	वस्तु	आयात (₹ करोड़ में)	कुल आयात का %
1	खनिज ईंधन, तेल और उनके उत्पाद (सीटीएच 27)	11,74,715	33
2	मोती, कीमती या अर्धकीमती पत्थर और उनसे बनी वस्तुऐं (सीटीएच 71)	4,51,505	13
3	इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपस्कर (सीटीएच 85)	3,64,152	10
4	मशीनरी और उसके भाग (सीटीएच 84)	3,06,368	8
5	कार्बनिक रसायन (सीटीएच 29)	1,56,552	4
6	अन्य	11,41,383	32
	कुल	35,94,675	

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व.19 के दौरान आयात में शीर्ष पांच वस्तुओं की हिस्सेदारी नीचे चार्ट 2 में दर्शायी गई है।

चार्ट 2: वि.व. 19 के दौरान आयात में शीर्ष पांच वस्तुओं का हिस्सा

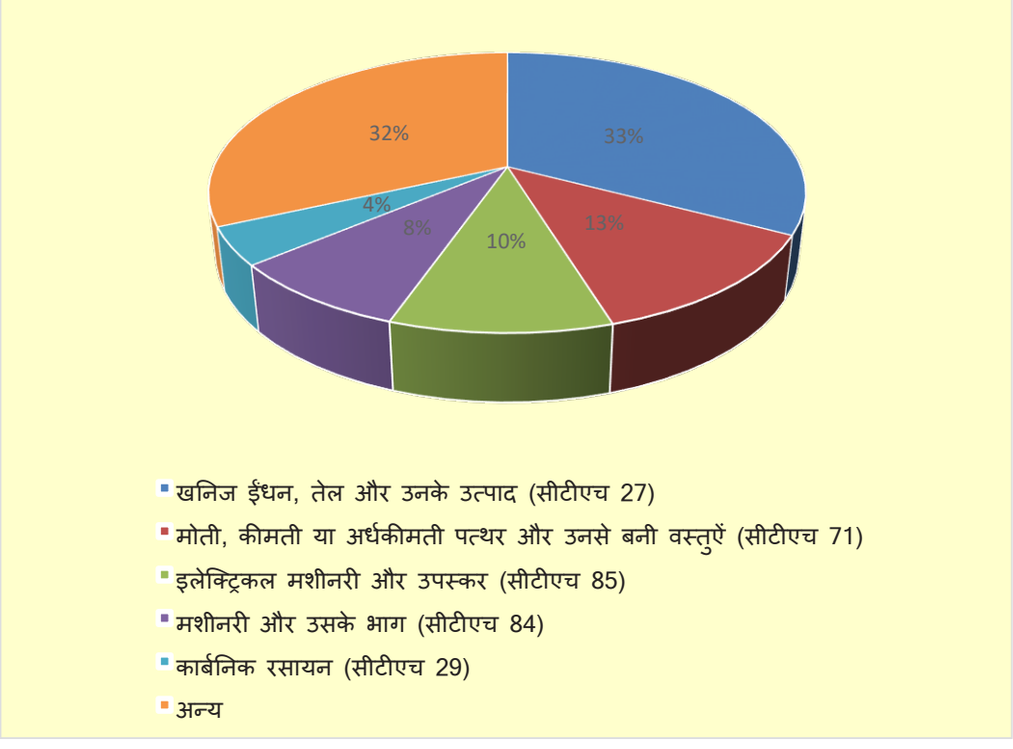

1.8.2 वि.व. 19 के दौरान निर्यात किए गए शीर्ष पांच वस्तुएं निम्नवत् थी:

(i) खनिज ईंधन और उनके आसवन के उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)

(ii) प्राकृतिक या सुवर्धित मोती, कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, सोना और उससे बनी वस्तुएं (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)

(iii) मशीनरी और उपकरण तथा उसके भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84)

(iv) कार्बनिक रसायन (सीमा शुल्क का अध्याय 29) और

(v) अपने सम्बन्धित क्रम में वाहन तथा पुर्जे और उसके सहायक उपकरण (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 87)।

वि.व. 19 के दौरान निर्यात में पांच प्रमुख वस्तुओं की हिस्सेदारी कुल निर्यात का 44 प्रतिशत थी जैसा कि नीचे तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: वि.व. 19 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तुओं की हिस्सेदारी

क्र. सं.	वस्तु	निर्यात (₹ करोड़ में)	कुल निर्यात का %
1	खनिज ईंधन, तेल और उनके उत्पाद (सीटीएच 27)	3,35,474	15
2	मोती, कीमती या अर्धकीमती पत्थर और उनकी बनी वस्तुएं (सीटीएच 71)	2,82,794	12
3	मशीनरी और उसके भाग (सीटीएच 84)	1,46,652	6
4	कार्बनिक रसायन (सीटीएच 29)	1,27,567	6
5	रेलवे के अलावा अन्य वाहन और भाग (सीटीएच 87)	1,26,533	5
6	अन्य	12,88,706	56
	कुल	23,07,726	

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व. 19 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तुओं की हिस्सेदारी को चार्ट 3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3: वि.व. 19 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तुओं का हिस्सा

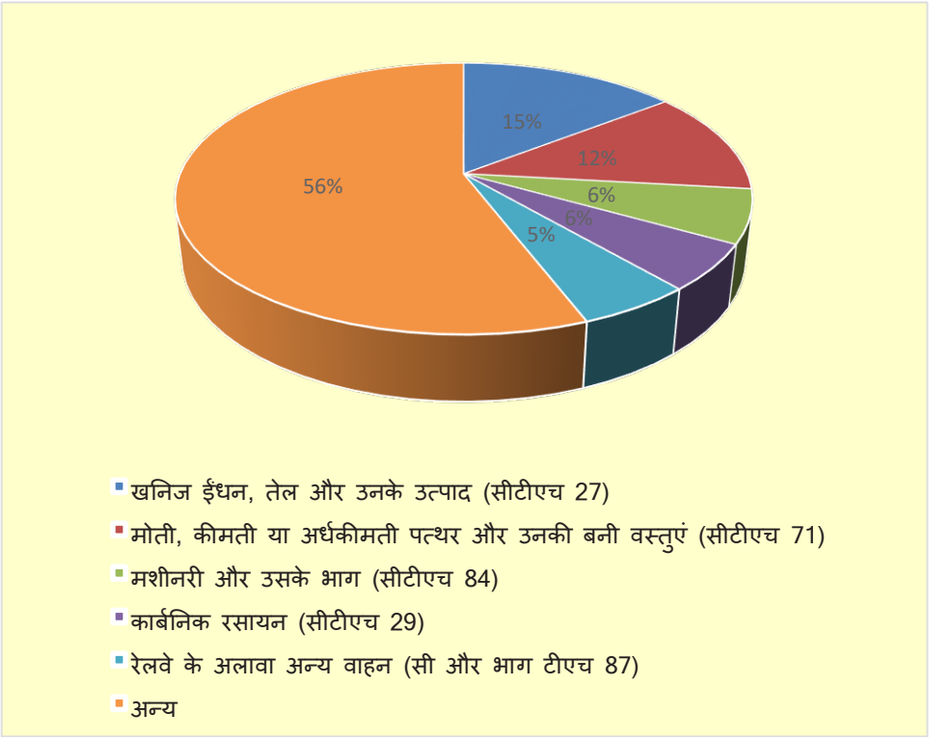

1.9 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निष्पादन

सेज़ नियमों द्वारा समर्थित सेज़ अधिनियम, 2005, 10 फरवरी, 2006 को लागू हुआ था, जिसमें प्रक्रियाओं के सरलीकरण और केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर एकल खिड़की मंजूरी का प्रस्ताव था। सेज़ अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन
- माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना
- रोजगार के अवसरों का सृजन
- बुनियादी सुविधाओं का विकास

जबकि 416 सेज़ को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी, 1 अप्रैल 2019 तक केवल 351 को अधिसूचित किया गया था, जिनमें से केवल 232 सेज़ परिचालित थे **(अनुबंध 1)** जो कि अनुमोदित सेज़ का केवल 55.77 प्रतिशत था।

वि.व. 16 से वि.व. 19 तक की अवधि के लिए सेज़ निष्पादन के तीन मानदंड (i) निर्यात निष्पादन, (ii) निवेश और (iii) रोजगार नीचे तालिका 1.6 में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: सेज़ का निष्पादन

	वि.व.16	वि.व.17	वि.व.18	वि.व.19
निर्यात निष्पादन (₹ करोड़ में)	4,67,337	5,23,637 (12%)*	5,81,033 (11%)*	7,01,179 (21%)*
निवेश (₹ करोड़ में)	3,76,494	4,33,142 (15%)	4,92,312 (14%)	5,07,644 (3%)
रोजगार (व्यक्ति में)	15,91,381	17,78,851 (12%)	19,96,610 (12%)	20,61,055 (3%)

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

* कोष्ठक में आंकड़े वाईओवाई विकास के संकेतक हैं

वि.व. 19 में सेज़ से ₹7.01 लाख करोड़ का निर्यात किया गया जिसमें वि.व. 16 में किए गए निर्यात की तुलना में 50 प्रतिशत (₹2,33,842 करोड़) की समग्र वृद्धि थी। ₹5.81 लाख करोड़ के निर्यात के साथ निर्यात वृद्धि प्रतिशतता वि.व. 18 की तुलना में वि.व. 19 में 21 प्रतिशत थी। निर्यात में वर्ष दर वर्ष वृद्धि पिछले वर्षों **(तालिका 1.6 और अनुबंध 1)** की तुलना में वि.व. 16 में एक प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 19 में 21 *प्रतिशत* हो गई थी।

वि.व. 19 के दौरान सेज़ में कुल ₹5.07 लाख करोड़ का निवेश किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 20.61 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। वि.व. 16 में किए गए ₹3.77 लाख करोड़ के निवेश की तुलना में वि.व. 19 में निवेश में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी अवधि के दौरान सृजित रोजगार में 30 प्रतिशत **(तालिका 1.6 और अनुबंध 1)** की वृद्धि दर्ज की गई थी।

1.10. वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

1.10.1 संग्रहण की लागत सीमा शुल्कों के संग्रहण पर होने वाली लागत है और इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण और अन्य व्यय शामिल हैं।

1.10.2 वि.व. 19 के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 3.75 प्रतिशत थी। वि.व. 15 से वि.व. 19 तक की अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रह की लागत तालिका 1.7 में दी गई है।

तालिका 1.7: वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान संग्रहण की लागत

वर्ष	राजस्व सह आयात/ निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	आरईएस निधि, जमा लेखा में अंतरण और अन्य व्यय	कुल व्यय	सीमा शुल्क प्राप्तियां	सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
वि.व.15	382	2,094	20	2,496	1,88,016	1.33
वि.व.16	412	2,351	36	2,799	2,10,338	1.33
वि.व.17	544	2,771	7	3,322	2,25,370	1.47
वि.व.18	640	3,262	39	3,941	1,29,030	3.05
वि.व.19	743	3,667	9	4,419	1,17,813	3.75

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए केंद्र सरकार के वित्त लेखा

1.10.3 सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त, संग्रहण की लागत 1.33 प्रतिशत (वि.व. 15) से 3.75 प्रतिशत (वि.व. 19) के बीच थी। जीएसटी के लागू करने पर, आयात और निर्यात पर आईजीएसटी सीमा शुल्क विभाग द्वारा उदग्रहित और एकत्र किया जाता है लेकिन आईजीएसटी प्राप्तियां जीएसटी लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की जाती हैं।

1.11 सीमा शुल्क का बकाया

1.11.1 बकाया की वसूली क्षेत्राधिकारिक आयुक्तों की समग्र जिम्मेदारी होती है। उन्हें आयुक्तालयों के भीतर कार्यरत रिकवरी सेल के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करनी होती है। वित्त मंत्रालय के दिनांक 15-12-1997 के परिपत्र के अनुसार, सरकारी बकाया की वसूली करने के उद्देश्य से प्रत्येक सीमा शुल्क आयुक्तालय में एक "रिकवरी सेल (आरसी)" बनाया जाना चाहिए। हर आयुक्तालय के लिए हर साल वसूली लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है।

1.11.2 सीमा शुल्क का बकाया ऐसे शुल्क हैं जिनकी विभाग द्वारा मांग की गई है लेकिन अधिनिर्णयन, विवादित दावों और अनंतिम निर्धारण के लम्बन जैसे विभिन्न कारणों से वसूली नहीं की गई है। 31 मार्च 2019 तक सीमा शुल्क बकाया ₹35,827 करोड़ था।

1.11.3 वि.व. 16 से वि.व. 19 के लिए सीमा शुल्क राजस्व बकाया तालिका 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8: सीमा शुल्क का बकाया

वर्ष	विवाद के तहत सीमा शुल्क का बकाया ₹ करोड़ में	निर्विवाद सीमा शुल्क का बकाया ₹ करोड़ में	कुल ₹ करोड़ में	कुल बकाया के प्रति विवादित बकाया की प्रतिशतता
वि.व.16	12,300	12,322	24,622	49.95
वि.व.17	21,780	4,700	26,480	82.25
वि.व.18	18,836	5,849	24,685	76.31
वि.व.19	27,972	7,855	35,827	78.08

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

1.11.4 वि.व. 18 को छोड़कर, वि.व. 16 से वि.व. 19 के दौरान सीमा शुल्क का बकाया लगातार बढ़ा है। मार्च 2019 (₹35,827 करोड़) को लंबित सीमा शुल्क राजस्व के कुल बकाया में मार्च 2018 (₹24,685 करोड़) को लम्बन की तुलना में 45.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि विभाग बकाया की वसूली के लिए सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है।

वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 19 में सीमा शुल्क के समग्र बकाया में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1.11.5 कुल बकाया राशि के प्रति अनुपात के रूप में विवाद के तहत बकाया राशि वि.व. 16 में 50 प्रतिशत से वि.व. 19 में 78 प्रतिशत बढ़कर ₹35,827 करोड़ हो गई। वि.व. 19 में पिछले वर्ष वि.व. 18 से निर्विवाद बकाया में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

वि.व. 19 के दौरान वसूल किए गए सीमा शुल्कों के बकाया का ब्यौरा सीबीआईसी से मांगा गया है, जिसका जवाब (जुलाई 2020) प्रतिक्षित था।

1.11.6 वि.व. 19 के दौरान कुल 23 जोन (11 सीमा शुल्क आयुक्तालयों और 12 संयुक्त आयुक्तालयों (सीमा शुल्क और जीएसटी) में से 10 जोनों में लम्बित कुल बकाया (₹35,827 करोड़) का 87 प्रतिशत (₹31,084 करोड़) बनता था, जैसा कि नीचे तालिका 1.9 में दिखाया गया है।

तालिका 1.9: 31 मार्च 2019 तक सीमा शुल्क राजस्व का जोन वार बकाया

क्र. सं.	मुख्य आयुक्त जोन	विवाद के तहत राशि	राशि निर्विवाद	31.03.19 को लंबित राशि
		₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
1	मुंबई II सी.शु.	9,708	1,571	1,1279
2	अहमदाबाद सी.शु.	4,248	720	4,968
3	दिल्ली सी.शु.	1,828	1,336	3,164
4	मुंबई III सी.शु.	1,986	128	2,114
5	भोपाल सीई और जीएसटी	950	1,109	2,059
6	बैंगलोर सी.शु.	1,769	126	1,895
7	कोलकाता सी.शु.	1,049	513	1,562
8	चेन्नई सी.शु.	1,127	424	1,551
9	मुंबई-I सी.शु.	1,239	143	1,382
10	विशाखापट्टनम सीई और जीएसटी	998	112	1,110
	उप कुल	**24,902**	**6,182**	**31,084**
11	**अन्य**	**3,070**	**1,673**	**4,743**
	कुल योग	***27,972***	***7,855***	***35,827***

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

1.11.7 मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, मुंबई-II के पास वि.व. 19 में सीमा शुल्क की सबसे अधिक बकाया राशि थी, इसके बाद अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई-III और भोपाल सीमा शुल्क/सीई-जीएसटी जोन इस क्रम में थे।

1.11.8 31 मार्च 2019 तक लंबित निर्विवाद बकाया (₹7,855 करोड़) कुल बकाया (₹35,827 करोड़) का 22 प्रतिशत था जो यह दर्शाता है कि विभाग निर्विवाद बकाया राशि की वसूली के लिए सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है।

1.11.9 निर्विवाद बकाया राशि के वर्षवार विश्लेषण से पता चला कि कुल ₹7,855 करोड़ में से ₹2,494 करोड़ (32 प्रतिशत) की पांच साल से अधिक समय तक वसूली नहीं की गई थी। ₹1,663 करोड़ की राशि का दस वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित रहना यह संकेत देता है कि विभाग के वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

तालिका 1.10: वि.व. 14 से वि.व. 19 तक सीमा शुल्क राजस्व का वर्षवार बकाया

	विवाद के अंतर्गत राशि (*)				राशि विवाद के अंतर्गत नहीं (*)				
वर्ष	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन < 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल (कॉलम 2+3+4)	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन < 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल (कॉलम 6+7+8)	कुल योग (कॉलम 5+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वि.व.14	9,703	1,890	429	12,022	3,321	1,818	825	5,964	17,986
वि.व.15	12,430	1,813	355	14,597	2,951	2,082	1,178	6,211	20,808
वि.व.16	8,681	2,494	1,125	12,300	5,162	4,714	2,446	12,322	24,622
वि.व.17	17,919	2,716	1,145	21,780	2,538	1,245	917	4,700	26,480
वि.व.18	15,554	2,279	1,005	18,836	3,931	980	938	5,849	24,685
वि.व.19	24,670	2,373	929	27,972	5,361	831	1,663	7,855	35,827

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद और सेवाएं

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

1.12.1 सीबीआईसी और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा में महानिदेशक लेखापरीक्षा {डीजी (ऑडिट)} द्वारा की गई तकनीकी लेखापरीक्षा और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआरसीसीए) द्वारा किए गए भुगतान और लेखाओं की लेखापरीक्षा शामिल है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक (लेखापरीक्षा) होते है उनके अधीन अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में सात जोनल इकाइयां आती हैं जिसका प्रत्येक का अध्यक्ष अतिरिक्त महानिदेशक होता है। डीजीए की हर जोनल इकाई का उनके अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्तालयों की जोनल इकाइयों पर क्षेत्रवार क्षेत्राधिकार का नियंत्रण होता है।

1.12.2 वि.व. 19 के लिए महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा नियोजित और संचालित आंतरिक लेखापरीक्षा की तकनीकी श्रेणी का ब्यौरा सीबीआईसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.12.3 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीआईसी और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं के भुगतान और लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। 2018-19 के दौरान प्र. सीसीए द्वारा की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सीबीआईसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2019 तक ₹9,040 करोड़[2] की

[2] प्र. सीसीए सं. आईए/एनज़ेड/मुख्यालय/सीएजी/सूचना/2017-18/366 दिनांक 18 फरवरी 2020

137 अभ्युक्तियां लंबित थीं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अनियमितताएं शामिल थीं:

क) सरकारी विभाग/राज्य सरकार के निकायों/ निजी ईकाईयों/स्वायत्त निकायों से वसूल नहीं किए गए देय; ₹7,383 करोड़;

ख) सरकारी धन का अवरोधन; निष्फल व्यय, अनियमित खरीद/व्यय आदि के कारण ₹314 करोड़

1.13 कर अपवंचन और जब्ती

1.13.1 राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या वि.व. 15 में 407 से बढ़कर वि.व. 19 में 752 हो गई जबकि उसी अवधि के दौरान मूल्य ₹2,926 करोड़ से बढ़कर ₹6,228 करोड़ हो गया **(अनुबन्ध 2)** । तथापि, वि.व. 19 के दौरान पता लगाए गए मामलों में की गई वसूली का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.13.2 अपवंचन के मामलों में शामिल प्रमुख वस्तुएं सोना, विदेशी और भारतीय मुद्रा, मादक पदार्थ, हीरे और कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक मदें (कंप्यूटर पार्ट्स सहित), कपड़ा और घड़ियां थीं।

अध्याय II

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार

2.1. 1 सी.ए.जी. के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, सी.ए.जी. को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार और विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा और स्वयं को संतुष्ट करने कि राजस्व का निर्धारण, संग्रहण और उचित संवितरण पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के जो नियम और क्रियाविधियां बनाई गई है और इनका यथावत पालन किया जा रहा है, के लिए अधिकृत करता है। लेखा एवं लेखापरीक्षा पर विनियमों में, प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है।

2.1.2 सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालन लेखापरीक्षा में उन संव्यवहारों को शामिल किया जाता है जिसमें सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण, सीमा शुल्क के कोई अन्य उदग्रहण, एफटीपी के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए आयात और निर्यात के संव्यवहार और समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए विशेष अनुपालन क्षेत्र शामिल है। इस प्रतिवेदन में शामिल संव्यवहार वि.व. 19 से संबंधित है, परंतु कुछ मामलों में समग्र स्थिति प्राप्त करने के लिए पूर्व अवधि के संव्यवहारों की भी समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष लेखापरीक्षा में एसएससीए "एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया" पर टिप्पणियां की गई।

2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.1 सी.ए.जी, सीमा शुल्क के क्षेत्रीय संगठनों के आयातों, निर्यातों, प्रतिदायों से संबंधित संव्यवहार अभिलेखों के नमूनों सहित सीबीआईसी के विभिन्न कार्यात्मक विंग के जोखिम आधारित नमूनों से चयनित अभिलेखों की जांच करता है। सी.ए.जी विभागीय कार्यों जैसे बकाया के अधिनिर्णयन एवं वसूली तथा निवारक कार्यों से संबंधित अभिलेखों की भी जांच करता है।

2.2.2 एफटीपी के अंतर्गत आयातकों/निर्यातकों द्वारा लिए गए सीमा शुल्क छूट लाभ के संबंध में डीजीएफटी के अधीन आने वाले संबंधित आरए के अभिलेखों की जांच की गई है। इसी प्रकार सी.ए.जी सरकारी स्वामित्व की

सेज़ के लेखाओं के प्रमाणीकरण सहित डीसी-सेज़/ईओयू और साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) की लेखापरीक्षा करता है।

2.3 लेखापरीक्षा संसृति

2.3.1 लेखापरीक्षा संसृति में सीबीआईसी, इसके सीमा शुल्क क्षेत्रीय संगठन और पोर्ट (ईडीआई संबंधी और गैर-ईडीआई दोनों) तथा बीई व एसबी के अधीन निष्पादित लेन-देन शामिल हैं।

2.3.2 सीमा शुल्क के क्षेत्रीय संरचनाओं को मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता वाले 20 जोनों, 11 सीमा शुल्क जोन और 09 संयुक्त (सीमा शुल्क एवं जीएसटी) जोन वाले 70 प्रधान आयुक्त/आयुक्त में बांटा गया है। 1 अप्रैल 2019 तक, 44 सीमा शुल्क कार्यकारी आयुक्तालय, 13 सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, नौ सीमा शुल्क अपील आयुक्तालय तथा चार सीमा शुल्क लेखापरीक्षा आयुक्तालय थे।

2.3.3 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की लेखापरीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा संसृति में डीजीएफटी इसके आरए और सेज़/ईओयू/एसटीपी के डीसी शामिल हैं। डीजीएफटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है और इसकी अध्यक्षता महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा की जाती है। डीजीएफटी भारत के निर्यात प्रोत्साहन के मुख्य उद्देश्य से एफटीपी बनाने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। डीजीएफटी निर्यातकों को स्क्रिप/प्राधिकार जारी करता है तथा 38 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क और इंदौर में एक विस्तार काउंटर के माध्यम से उनके तदनुरूपी दायित्वों की निगरानी करता है।

2.3.4 सेज़ और इओयू के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं की लेखापरीक्षा सेज़/ईओयू के संबंधित डीसी के कार्यालय में की जाती है। सीमा शुल्क लेखापरीक्षा सात सार्वजनिक क्षेत्र की सेज़[3] के लेखाओं के वार्षिक प्रमाणीकरण के लिए भी उत्तरदायी है।

2.4 लेखापरीक्षिती के डेटा तक पहुँच

लेखापरीक्षा में यह आश्वासन[4] प्राप्त करने हेतु सीमा शुल्क संव्यवहार डेटा पर विश्वास किया जाता है कि राजस्व की हानि को रोकने के लिए कानूनों को उचित रूप से लागू किया गया है। पेन इंडियां के डेटा तक पूर्ण पहुँच की कमी

[3]सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एसईईपीज़ेड), कांडला सेज, मद्रास सेज, कोचीन सेज, विशाखापट्टनम सेज, नोएडा सेज और फाल्टा सेज

[4]'मापदंड के खिलाफ किसी विषय के मूल्यांकन या माप के परिणाम के बारे में जिम्मेदार पार्टी के अलावा अन्य इच्छित उपयोगकर्ताओं के विश्वास की डिग्री को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए एक निष्कर्ष को व्यक्त करना'

संव्यवहारों की नमूना जांच हेतु लेखापरीक्षा संवीक्षा को सीमित करती है और राजस्व प्राप्तियों के प्रमाणीकरण में आश्वासन को सीमित करती है।

पैन इंडिया ट्रांजेक्शनल डेटा अंतरण के लिए लेखापरीक्षा ने मार्च 2015 में सीबीआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है, जो सीबीआईसी की डेटा शेयरिंग नीति और डेटा अखंडता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यकताओं का विधिवत पालन करता है।

बार-बार अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा द्वारा वि.व. 19 के लिए मांगा गया (जून 2019) पैन इंडिया आयात और निर्यात लेन-देनों का डेटा प्राप्त नहीं हुआ। पैन इंडिया ट्रांजेक्शनल डेटा के अभाव में, आईसीईएस के सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीआरए) मॉड्यूल इंटरफेस के माध्यम से 48 आयुक्तालयों की प्रत्यक्ष रूप से दौरा करके लेखापरीक्षा की गई, जिसकी अपनी सीमाएं थीं।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सीआरए मॉड्यूल पहुंच के माध्यम से नमूना जांच में निष्कर्षों के आधार पर जहां तक संभव हो सका, लेखापरीक्षा द्वारा जोखिम वाले लेन-देनों की कुल संख्या निर्धारित की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वह हैं जो 2018-2019 की अवधि और कुछ मामले पिछले वर्ष के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए थे। लेखापरीक्षा में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर आधारित यथा संभव सीमा तक और नमूना जांच निष्कर्षों के आधार पर जोखिम वाले संव्यवहारों की कुल संख्या का मापन किया गया था।

2.5 लेखापरीक्षा नमूना

संव्यवहारों की नमूना जांच 70 आयुक्तालयों में से 48 में (69 *प्रतिशत*) की गई थी। सीमा शुल्क आयुक्तालयों की लेखापरीक्षा में 44 कार्यकारी आयुक्तालयों में से 36, 13 निवारक आयुक्तालयों में से नौ तथा नौ अपील आयुक्तालयों में से तीन शामिल थे। डीजीएफटी द्वारा प्रदान की गयी एफटीपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इसके आरए के माध्यम से 38 आरए में से 28 में लाइसेंसों की लेखापरीक्षा की गई थी।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा संसृति तथा नमूना

लेखापरीक्षा संसृति			लेखापरीक्षा नमूना
	लेखापरीक्षा ईकाई	कुल	
राजस्व विभाग	मुख्य आयुक्तालय सीमा शुल्क एवं निवारक	11[5]	7 (64 %)
	मुख्य आयुक्तालय/आयुक्तालय	70	48(69 %)
	कार्यकारी आयुक्तालय	44	36 (82%)
	निवारक आयुक्तालय	13	9 (69%)
	अपील आयुक्तालय	9	3 (33%)
	लेखापरीक्षा आयुक्तालय	4	0
	निर्धारण इकाइयां	285	203(71%)
	गैर निर्धारण इकाइयां	206	62(30%)
वाणिज्य विभाग	क्षेत्रीय प्राधिकरण	38	28 (74%)
	विकास आयुक्त	8[6]	8 (100%)

2.6 लेखापरीक्षा प्रयास

2.6.1 वि.व. 19 के दौरान संबंधित आयुक्तालयों/आरए/डीसी को 353 निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गयी थी जिसमें 2,299 अभ्युक्तियां थी और उनका राजस्व प्रभाव ₹3,296 करोड़ था।

2.6.2 लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य वाले मामले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणी के लिए मंत्रालय को जारी किए गए थे। इस रिपोर्ट में वि.व. 19 के दौरान पाए गए ₹10,909 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 114 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं।

2.6.3 मंत्रालय ने ₹62.50 करोड़ के धन मूल्य के 93 पैराग्राफों में, एससीएन जारी करने, एससीएन के अधिनिर्णयन के रूप में परिशोधन कार्रवाई की है और सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के 66 मामलों में ₹31.58 करोड़ की वसूली सूचित की है।

---

[5]सीमा शुल्क क्षेत्र-11 (अहमदाबाद, बंगलुरू., चेन्नई ., त्रिची प्रिवेनटिव., दिल्ली कस्टम, दिल्ली प्रिवेनटिव. कोलकाता, पटना प्रिवेनटिव, मुंबई-1, मुंबई-II, मुंबई-III)

[6]सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एसईईपीज़ेड), । कांडला सेज़, मद्रास सेज़, कोचीन सेज़, विशाखापट्टनम सेज़, नोएडा सेज़ और फाल्टा सेज़ और एक सेज़-इंदौर

2.6.4 सीमा शुल्क, आरए और डीसी कार्यालय में 'एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया' पर एक एसएससीए को भी अध्याय III के रूप में इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा ने 'एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया' के संबंध में सीमा शुल्क क्रियाविधियों के अनुपालन की जांच की और ₹10,649 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले निष्कर्ष सूचित किए गए हैं।

2.6.5 अध्याय IV में लेखापरीक्षा चयनित आयुक्तालयों में बीई और अन्य अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष सूचित किए जिनका राजस्व निहितार्थ ₹233 करोड़ है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष सामान्यत: सामान्य छूट अधिसूचना के गलत प्रयोग, आयातों के गलत वर्गीकरण और लागू उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों के गलत उद्ग्रहण होने से संबंधित थे। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में निम्नलिखित प्रणालीगत मुद्दें और अनवरत अनियमितताएं शामिल है।

(क) प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सर्वांगी मुद्दों वाले कुछ आयात मामलों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) ने निर्धारित आयात शर्तों को पूरा नहीं किए जाने के बावजूद निकासी की अनुमति दी। आरएमएस को लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित आयात शर्तों का अनुपालन किया जा सके और प्रणाली से बीई पास होने के बाद लागू शुल्क स्वचालित रूप से प्रभारित किए जा सकें।

कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है और रिपोर्ट के अध्याय IV में भी चर्चा की गई है।

(i) अधिसूचना के गलत लागू करने के कारण आई फोन (स्मार्ट फोन) आयात पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण।

(ii) 'कैमरा मॉड्यूल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली' को दी गई गलत छूट पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण।

(iii) न्यूनतम आयात कीमत से कम प्रतिबंधित वस्तु का आयात।

(iv) दवा उत्पादों के आयात पर आईजीएसटी की अनुचित छूट।

(v) कालीनों और अन्य टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग (सीटीएच- 57033090) के आयात पर आईजीएसटी दर को गलत लागू करना।

(vi) माल के अव मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम उदग्रहण।

(ख) अनवरत अनियमितताएं

सीबीआईसी के आश्वासनों के बावजूद, कि उनके क्षेत्रीय संगठनों को इसी तरह के मुद्दों को सावधानी से रोकने के लिए संवेदनशील बनाया गया है, सेज़ में इकाइयों से लागत वसूली (स्थापना) प्रभारों की वसूली न होने और पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मंत्रालय को चिन्हित किए गए आयातों के गलत वर्गीकरण के ऐसे ही मामले सीमा शुल्क के क्षेत्रीय संगठनों में नियमित रूप से सूचित किए जाते रहे हैं। कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) डेवलपर्स से लागत वसूली प्रभारों की वसूली न करना।

(ii) पशु चारे के लिए मशीनरी का गलत वर्गीकरण।

(iii) आरएफआईडी टैग का गलत वर्गीकरण।

2.6.6 अध्याय V में सूचित अनियमितताएं, विशेषरूप से निर्यात दायित्वों को पूरा न करने और एफटीपी के अनुसार निर्यातक/आयातक द्वारा शर्तों को पूरा न करने का मुद्दा व्यापक प्रतीत होता है और डीजीएफटी, नई दिल्ली और सीबीआईसी द्वारा इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। शेष मामलों पर संबंधित क्षेत्रीय संगठनों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लेखापरीक्षा में इंगित मामलों में बचाए गए शुल्क की वसूली हेतु उचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

2.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

वि.व. 15 से वि.व. 19 से संबंधित पांच प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा ने ₹18,014 करोड़ के 530 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए गए है **(तालिका 2.2)**। सरकार ने ₹565 करोड़ मूल्य के 410 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है और 278 पैराग्राफों में ₹107 करोड़ की वसूली की है।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकार किए गए पैराग्राफ		प्रभावी वसूली	
	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)
वि.व.15	122	1,162	91	85	67	23
वि.व.16	103	1,063	70	19	54	15
वि.व.17	99	85	77	30	50	19
वि.व.18	92	4,795	79	368	42	18
वि.व.19	114	10,909	93	63	65	32
कुल	**530**	**18,014**	**410**	**565**	**278**	**107**

अध्याय III

कारण बताओ नोटिस और अधिनिर्णयन प्रक्रिया पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना

जब विभाग निर्धारिती के प्रतिकूल कार्रवाई पर विचार करता है, तो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देने के लिए एससीएन जारी किया जाता है। उन मामलों में एससीएन, अधिनियम, 1962 की धारा 28 (1) के तहत सामान्य मामलों में प्रासंगिक तिथि से दो साल के भीतर (13 मई 2016 तक एक वर्ष के भीतर) जारी किया जाएगा है जहां सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया हो या कम भुगतान किया हो या त्रुटि पूर्ण प्रतिदाय दिया गया हो। हालांकि, शुल्क के भुगतान से बचने या गलत प्रतिदाय प्राप्त करने के इरादे से वादविवाद, जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करना या तथ्यों को छिपाने के मामले में, एससीएन को सुसंगत तिथि से पांच साल के भीतर अधिनियम की धारा 28 (4) के तहत जारी किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त, सेज़ के मामले में, डीसी, सेज़ नियमावली 2006 के नियम 25 के तहत एससीएन जारी करेगा, यदि निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) की प्राप्त आय तीसरे वर्ष के अंत तक नकारात्मक रहती है और यदि नकारात्मक प्रदर्शन पांचवें वर्ष तक जारी रहता है तो एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के तहत जारी करेगा । हालाकि, एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में एससीएन जारी करने और उसके अधिनिर्णयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

3.1.1 एससीएन का अधिनिर्णयन

अधिनियम की धारा 28 (1) या 28 (4) के तहत एससीएन जारी करने के बाद अधिनिर्णयन होता है जो अधिनियम के तहत सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों का अर्ध-न्यायिक कार्य है। यदि अधिनियम की धारा 122ए के तहत इच्छा व्यक्त करता है तो नोटिस प्राप्त कर्ता को कार्यवाही में सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा। अधिनिर्णयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक लिखित ओआईओ जारी होगा, जिसमें मामले के तथ्यों का ब्यौरा और अधिनियम की धारा 28 के तहत अधिनिर्णयन आदेश का औचित्य दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 28 (9) में यह निर्धारित किया गया है कि जहां ऐसा करना संभव हो, वहां व्यक्ति को नोटिस दिए जाने की तारीख से सामान्य मामलों में छह महीने के भीतर और विस्तारित मामलों में एक वर्ष के भीतर

एससीएन का अधिनिर्णयन हो जाना चाहिए। "जहां कही ऐसा करना संभव हो" शब्दों को वित्त अधिनियम, 2018 दिनांक 29 मार्च 2018 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसी प्रकार, आरए को भी एफटीडीआर अधिनियम, 1992 की धारा 13 और 14 के तहत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश या एफटीपी के उल्लंघन के लिए किसी शास्ति के उद्ग्रहण करने की शक्ति प्रदान की गयी है।

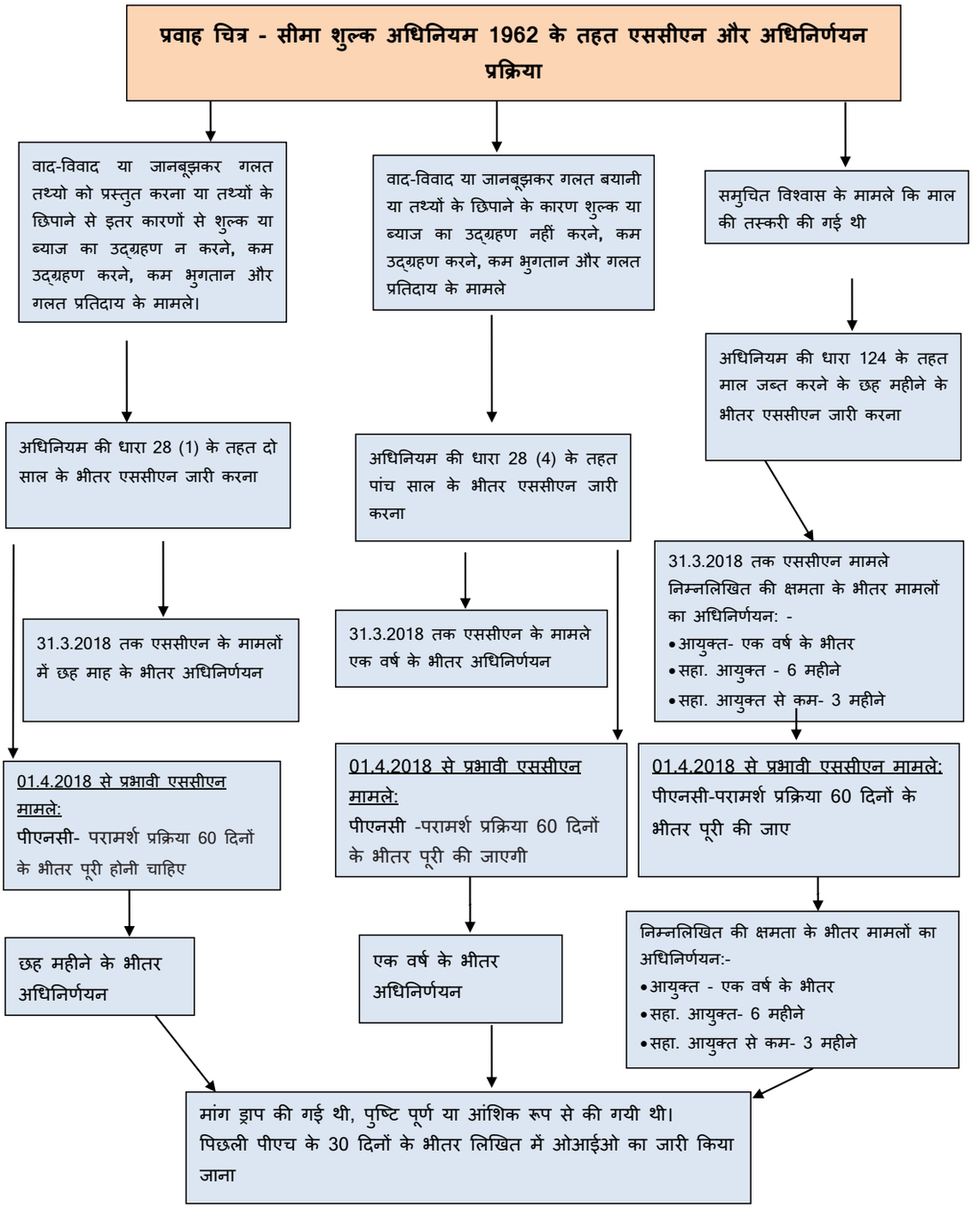

एससीएन जारी करने और उनके अधिनिर्णयन के लिए कानूनी प्रावधान और प्रशासनिक अनुदेशों को **अनुबंध 3** में दिया गया हैं ।

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया पर एक एसएससीए यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया गया है कि:

(i) एससीएन जारी करना और अधिनिर्णयन निर्धारित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, परिपत्रों/अनुदेशों और क्रियाविधियों के अनुसार है;

(ii) एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और तंत्र मौजूद हैं।

3.3 लेखापरीक्षा आवृत्त क्षेत्र और कार्यक्षेत्र

एसएससीए अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान किया गया था। लेखापरीक्षा ने वि.व. 2016-17 से 2018-19 के दौरान जारी एससीएन और पारित ओआईओ तथा 31 मार्च 2019 तक अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन की जांच की। एससीएन की अधिनिर्णयन प्रक्रिया के अलावा कॉल बुक में लंबित एससीएन, विभिन्न रजिस्टरों के रखरखाव नामत: एससीएन रजिस्टर, ओआईओ रजिस्टर आदि की भी जांच की गई।

एसएससीए का संचालन सीमा शुल्क आयुक्तालय, आरए और डीसी-सेज़ जैसी चयनित इकाइयों में अभिलेखों की जांच मामलों के अधिकतम विलबंन और अधिनिर्णयन में देरी के आधार पर किया गया था। इन नमूना इकाइयों में 31 मार्च 2019 तक अधिनिर्णीत मामलों और अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन का चयन यादृच्छिक नमूने के माध्यम से किया गया।

लेखापरीक्षा संसृति और नमूना चयन और इस लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों **(अनुबंध 4)** में चयनित मामलों के संबंध में प्रस्तुत किए गए/ प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.1: नमूना चयन

लेखापरीक्षणीय इकाई	इकाइयों की कुल सं.	चयनित इकाईयां	चयनित इकाइयों में कुल मामले	लेखापरीक्षा द्वारा चयनित मामले	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए मामले	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामले
सीमा शुल्क आयुक्तालय	70	25	21,932	4,222	3,520	702
क्षेत्रीय प्राधिकरण (डीजीएफटी)	25	12	10,358	824	811	13
विकास आयुक्त (सेज़)	08	08	414	210	210	0
कुल	**103**	**45**	**32,704**	**5,256**	**4,541**	**715**

3.3.1 अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतिकरण

एससीएन के जारी करने अधिनिर्णय और अधिनिर्णयन प्रक्रिया की निगरानी में सीमा शुल्क नियमों और विनियमों के लागू करने के बारे में आश्वासन प्राप्त करने के लिए कुल 32,704 मामलों में से 5,256 मामलों (16 प्रतिशत) का चयन किया गया था, ताकि लंबित और साथ ही 31 मार्च 2019 को अधिनिर्णयन किए गए मामलों की नमूना जांच की जा सके। कुल 5,256 चयनित मामलों में से केवल 4,541 मामले (86.39 प्रतिशत) लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए। आठों डीसी ने मांगे गए सारे रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। चयनित 25 में से 12 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[7] और चयनित 12 आरए में से 02 आरए[8] ने आंशिक रूप से लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए जानकारी प्रदान की थी, जैसाकि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया।

लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए 715 मामलों में से 220 मामलें, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर से संबंधित हैं जिन्होंने उस आयुक्तालय में चयनित 255 मामलों में से इन 220 मामलों को प्रस्तुत नहीं किया। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), अहमदाबाद (नवंबर 2019) ने सीमा शुल्क

[7]सीमा शुल्क आयुक्तालय -बेंगलुरु, कोचीन सागर, जेएनसीएच मुंबई एनएस-1, एनएस-2, एनएस-3 और एनएस-वी, सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्रीवि)) जोधपुर, सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्रीवी))- लखनऊ और पटना, सीमा शुल्क आयुक्तालय, नोएडा, आयात आयुक्तालय, एनसीएच, नई दिल्ली, निर्यात आयुक्तालय, एनसीएच, नई दिल्ली

[8]सीएलए दिल्ली, आरए बेंगलुरू

आयुक्तालय, जोधपुर और सी.ए.जी मुख्यालय ने इस मामले को डीओआर के संज्ञान में भी लाया गया (दिसंबर 2019)। तथापि, मांगे गए रिकॉर्ड और जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। परिणामस्वरूप, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, जोधपुर में एससीएन/अधिनिर्णयन मामलों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत मामलों (86 प्रतिशत) के सत्यापन के आधार पर की गयी लेखापरीक्षा से निकलने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी पैराग्राफ में वर्णित किया गया है।

3.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने एससीएन के जारी होने में कमियाँ (पैराग्राफ 3.4.1), प्रक्रिया और क्रियाविधियों में कमियाँ जिससे अधिनिर्णयन हुआ (पैराग्राफ 3.4.2), अधिनिर्णयन और पुन:विचार आदेशों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव और निगरानी और आंतरिक नियंत्रणों में कमी (पैराग्राफ 3.4.4) पाई। ₹10,649 करोड़ के मौद्रिक मूल्य की कुल 141 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की गई।

एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन की प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ अगले पृष्ठ पर तालिका 3.2 में संक्षेप में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 3.2: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार

क्र. सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की श्रेणी	अभ्युक्तियों की संख्या	शामिल धन राशि (₹ लाख में)
1.	एससीएन के जारी करने में कमियां (पैराग्राफ 3.4.1)	25	9,37,239
2.	अधिनिर्णयन के परिणामस्वरूप प्रक्रियाओं और पद्धतियों में कमियां (पैराग्राफ 3.4.2)	43	79,483
3.	अधिनिर्णयन और समीक्षा आदेशों के उचित अनुपरीक्षण में कमी (पैराग्राफ 3.4.3)	13	4,973
4.	निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता (पैराग्राफ 3.4.4)	60	43,187
	कुल	**141**	**10,64,882**

आगामी पैराग्राफों में विस्तार से निष्कर्षों की चर्चा की गई है:

3.4.1 एससीएन के जारी करने में कमियां

3.4.1.1 नोटिस पूर्व परामर्श विनियमावली का अननुपालन

पीएनसी विनियमावली, 2018 के पैराग्राफ 3(1) में कहा गया कि 1 अप्रैल 2018 से अधिनियम की धारा 28(1) के तहत एससीएन जारी करने से पहले उपयुक्त अधिकारी लिखित रूप में, उस व्यक्ति को उपयुक्त अधिकारी को ज्ञात आधारों वाली सूचना जारी करने के इरादे के शुल्क या ब्याज के साथ प्रभार्य व्यक्ति को सूचित करेगा, जिस पर इस तरह का नोटिस जारी करने का प्रस्ताव है और पीएनसी की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) में उल्लिखित समय-सीमा की समाप्ति से पहले कम से कम दो महीने में जितनी जल्दी संभव हो शुरू की जाएगी।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 25 आयुक्तालयों में से नौ आयुक्तालयों[9] ने सूचना प्रदान नहीं की और नौ आयुक्तालयों ने मांगी गई सूचना में 'शून्य' बताया। अत: लेखापरीक्षा इन 18 आयुक्तालयों में पीएनसी विनियमन के अनुपालन पर टिप्पणी नहीं कर सका। शेष सात आयुक्तालयों जिन्होंने पीएनसी विवरण प्रदान किया, में से तीन[10] आयुक्तालयों में पीएनसी जारी किए बिना 2018-19 के दौरान ₹401.75 करोड़ की धन राशि वाले 82 एससीएन जारी किए गए थे। इन मामलों में, विभाग आयातकों को एससीएन जारी करने से पहले अपना मामला प्रस्तुत करने या शुल्कों और ब्याज के भुगतान के लिए अवसर प्रदान करने में विफल हो गया था।

इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2019), सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद ने जवाब दिया (दिसम्बर 2019) कि इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं ने उन मुद्दों पर एससीएन का मसौदा तैयार किया जिन्हें उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था और फिर इन्हे आवश्यक दस्तावेजों के साथ मुख्यालय के अधिनिर्णयन अनुभाग को अधिनिर्णयन के लिए अग्रेषित किया गया था और इसलिए, आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) में कोई पीएनसी आयोजिक नहीं की गई थी।

विभाग का जवाब तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि पीएनसी का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचना था और आयुक्त कार्यालय को ऐसे कोडल प्रावधानो के अनुपालन की निगरानी करना अपेक्षित था। इस बात की पुष्टि करने के बजाय

---

[9]सीमा शुल्क आयुक्तलय - अहमदाबाद, मुंद्रा, (निवारक) - जोधपुर, एसीसी-बेंगलुरु, एनसीएच-मैंगलुरु, कोचीन, आयात-एनसीएच दिल्ली, एक्सपोर्ट-एनसीएच दिल्ली, इंदौर, एसीसी-कोलकाता, सीसीपी-कोलकाता, मुंबई- न्वाहा शेवा- I,II,III,V, पटना, लखनऊ, विशाखापट्टनम,

[10]सीमा शुल्क आयुक्तालय हैदराबाद, नोएडा और निवारक आयुक्तालय- भुवनेश्वर

कि इन मामलों में पीएनसी किया गया था या नहीं, हैदराबाद आयुक्तालय के प्रत्युत्तर में कहा कि इन्हें उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा शुरू एवं अनुमोदित किया गया था जो तर्कसंगत नहीं था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), भुवनेश्वर ने कहा (दिसम्बर 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामले बिटुमिनस कोयले के गलत वर्गीकरण से संबंधित है, जो मुद्दा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मुद्दों पर निर्णय लिए जाने तक विभाग पूर्व-एससीएन परामर्श में अलग दृष्टिकोण नहीं रख सका।

विभाग का तर्क अधिसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने मुकदमेबाजी के मामलों पर आपत्ति नहीं की है परन्तु उन मामलो में की है जो एससीएन 2018-19 में बिना पीएनसी, पीएनसी विनियमावली के उल्लंघन के साथ जारी किए गए थे।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) जोधपुर ने कहा कि केवल अधिनियम की धारा 28(1)(ए) के संदर्भ में जारी किए गए नोटिसों में पीएनसी की आवश्यकता होती है न कि अधिनियम की धारा 28(4) के तहत जारी किए गए नोटिसों में। तद्नुसार, अधिनियम की धारा 28(4) के तहत जारी किए गए दो मामलों में, पीएनसी जारी नहीं किया गया था और नौ मामलों में दस्तावेज कॉल (डी-कॉल) नोटिसों को जारी किया गया था, जबकि एक मामले में पीएनसी मई 2019 में जारी किया गया था।

जोधपुर आयुक्तालय का जवाब इस तथ्य की स्वीकृति थी कि अधिकांश मामलों में अधिनियम में निर्धारित पीएनसी की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और मुद्दों को लेखापरीक्षा में उठाने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। इसके अलावा, एक वर्ष से अधिक समय समाप्त होने के बाद भी जारी किए गए एससीएन की स्थिति के बारे में जवाब मौन था।

शेष पांच आयुक्तालयों से जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.1.2 साधारण नोटिस जारी करने के संबंध में बोर्ड परिपत्र का अननुपालन

सीबीआईसी के परिपत्र सं. 16/2017 दिनांक 2 मई 2017 के अनुसार, क्षेत्रीय संरचना ईओ के निर्वहन के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए लाइसेंस धारकों को साधारण नोटिस जारी करें। यदि लाइसेंस धारक डीजीएफटी को प्रस्तुत किए गए अपने आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो डीजीएफटी द्वारा इस मामले का निर्णय लेने तक इसे स्थगित रखा जा सकता है। हालांकि, यदि लाइसेंस धारक ईओडीसी/मोचन प्रमाण-पत्र, विस्तार/क्लबिंग आदि के लिए अपने आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बांड/बैंक गारंटी को लागू करके वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है। धोखाधड़ी, पूर्णतया अपवंचन आदि के मामले में, क्षेत्रीय संरचनाएं प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई जारी रखेंगे।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुम्बई ने ईओडीसी के गैर-प्रस्तुतीकरण के मद्दों पर 2 मई 2017 के बाद ₹222.83 करोड़ की धन राशि से जुड़े 210 एससीएन (फरवरी से अगस्त 2018) जारी किए थे। यह ईओ के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए लाइसेंस धारकों को एक साधारण नोटिस जारी करने के लिए बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन था। ये मामले दिसम्बर 2019 तक अधिनिर्णयन के लिए अभी भी लंबित थे।

साधारण नोटिस के बजाय एससीएन जारी करना और बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए इसे स्थगित करना अनुचित था।

इसे लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाया गया था (जनवरी 2020), जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.1.3 एससीएन जारी करने के लिए समय की विस्तारित अवधि की गलत मांग

तीन[11] आयुक्तालयों में, अधिनियम की धारा 28(4) के तहत विस्तारित अवधि में 100 बीई (अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2017) में एससीएन जारी करने की मांग की गई थी, जिसमें गलत वर्गीकरण/गलत छूट लाभ के विस्तार जैसे मुद्दों के लिए ₹76.48 करोड़ की शुल्क राशि शामिल थी, जो माल की निकासी से पहले विभाग के संज्ञान में थी। चूँकि इन्हें अधिनियम की धारा 28(1) और धारा 28(4) के तहत कवर किया गया था जो जानसूझकर गलत-विवरण या तथ्यों को छिपाने के मामलों के लिए लागू होता हैं अत: इन मामलों के लिए

[11]सीमा शुल्क आयुक्तालय (समुद्र) व (एयर), चेन्नई, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) भुवनेश्वर

इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 100 बीई में से 88 बीई में अप्रैल 2012 से नवम्बर 2016 तक की अवधि से संबंधित ₹76.25 करोड़ की शुल्क राशि शामिल थी, जो अधिनियम की धारा 28(1) के तहत एससीएन जारी करने के लिए समय बाधित हो गई थी।

अधिनियम की अनुचित धारा के तहत एससीएन जारी करने सहित अनियमितताओं के मामलों की विस्तार से जांच की जा सकती है और भूल और चूक की त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

3.4.1.4 समय बाधित एससीएन

(क) सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट), कोलकाता और जेएनसीएच मुम्बई में, ₹87.31 लाख की शुल्क राशि वाले ग्यारह मामलें (32 बीई और 152 एसबी) को अधिनियम की धारा 28(1) के तहत एससीएन जारी करने के लिए आयुक्त द्वारा समय बाधित घोषित किया गया था।

दो ऐसे मामले नीचे बताए गए है

(i) सीमा शुल्क, आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुम्बई में, मैसर्स 'ए' चेम ईन्ड्रस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को सितम्बर 2015 से सितम्बर 2016 तक की अवधि से संबंधित ₹97.92 लाख की धन राशि से जुड़े 41 बीई के लिए एससीएन जारी किए गए (मई 2017)। एससीएन का अधिनिर्णय जनवरी 2018 में किया गया था जिसमें आयुक्त ने ₹66.15 लाख के शुल्क वाले 30 बीई को समय बाधित घोषित किया, चूँकि ये बीई अधिनियम की धारा 28(1) के तहत संशोधित (मई 2016) होने से पहले की अवधि से संबंधित थे और केवल एक वर्ष की नोटिस अवधि के तहत आते थे।

विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

(ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट), कोलकाता में, जून 2010 से मार्च 2014 की अवधि से संबंधित अभ्रक निर्यात के लिए 152 एसबी के संबंध में 09 मामले थे, जिनमें ₹ 10.94 लाख का उपकर शामिल था। इन एसबी के लिए एससीएन छह महीने (7 अप्रैल 2011 से पहले) या एक वर्ष (8 अप्रैल से 13 मई 2016) की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अधिनियम की धारा 28(1) के तहत जून 2015 और अप्रैल 2016 के बीच जारी किए गए थे। अधिनिर्णयन प्राधिकारियों ने अधिनियम की धारा 28(1) के बजाय जानबूझकर गलत विवरण और तथ्यों को छिपाने की अधिनियम की धारा 28(4) के प्रावधानो के तहत जनवरी 2018 और मार्च 2018 के बीच नौ मांगों की पुष्टि की। आदेशों से असंतुष्ट होकर निर्यातकों ने सीमा शुल्क

आयुक्तालय (अपील) के समक्ष अपीलों को तरजीह दी जहां अपीलीय प्राधिकरण ने निर्णय लिया (सितम्बर 2018) कि एससीएन समय बाधित थे। दिसम्बर 2018 में, विभाग ने अधिनिर्णयन प्राधिकारियों द्वारा पारित किए गए ओआईओ की पुन: स्थापना के लिए सेसटेट, कोलकाता के समक्ष एक अपील दायर की।

यद्यपि, सेसटेट का निर्णय तत्काल मामलों के संबंध में लंबित था, फिर भी इसी तरह के एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता ने 2007 के डब्ल्यूपी सं. 314 के प्रति एक्सवाईजेड एंड कंपनी एंड एएनआर बनाम संघ सरकार व अन्य के मामले में यह निर्णय लिया था कि वे एससीएन जो याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 28(1) के तहत जारी किए गए थे, को जारी करने के समय पर समय सीमा तक स्वयं को बाधित कर दिया था और अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 28(4) लागू करके वसूली नहीं की जा सकती थी।

तथ्य यह है कि एससीएन के समय पर जारी होने में देरी के परिणामस्वरूप निर्यातकों और विभाग के बीच परिहार्य विवाद हुआ है जिसके लिए राजस्व निर्यात की तिथि से लगभग छह से दस वर्षों तक अवरूद्ध रहा और विभाग को समय बाधित होने के कारण इन मांगों में शामिल राजस्व को खोने का जोखिम है।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित (जुलाई 2020) था।

(ख) अधिनियम की धारा 75 और सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017[12] के नियम 18 के उप-नियम (2) में प्रतिअदायगी वसूली के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है, यदि ऐसे माल के संबंध में बिक्री आय विदेशी मुद्रा प्रबंधन (फेमा) अधिनियम, 1999 के तहत नौ महीने की अनुमत समय-सीमा के भीतर न हो। सीमा शुल्क आयुक्तालय ने बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (बीआरसी) के माध्यम से विदेशी मुद्रा की वसूली को देखना है और गैर-प्राप्ति के मामले में, एससीएन जारी करके प्रतिअदायगी की वसूली के लिए आगे कार्रवाई करनी है।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात), एनसीएच नई दिल्ली के तहत दो मामलों में, एससीएन को बीआरसी के गैर-प्रस्तुतीकरण के लिए क्रमश: 11 और 8 वर्षों की देरी के बाद ₹61.13 लाख की प्रतिअदायगी राशि की वसूली के लिए

[12] सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमों का पूर्व नियम 16 (ए) (2) 01.10.2017 से बदल गया है।

मैसर्स 'बी' (यूजेड) इम्पैक्स और मैसर्स 'सी' इम्पैक्स (भारत) को अधिनियम की धारा 75 व सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 2017[13] के नियम 18 के उप-नियम (2) के तहत जारी किया गया था (दिसम्बर 2016)।

पक्षकारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इन एससीएन के प्रति रिट याचिका दायर की, जिसमें एससीएन को जारी करने में देरी को बताया गया। विभाग ने सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 16(ए)(2) को संदर्भित किया और यह प्रस्तुत किया कि इसके तहत कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 05 अगस्त 2019 के अपने आदेश के अनुसार एससीएन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि जहां निर्धारण पूरा करने के लिए कोई समय सीमा की निर्धारित नहीं थी, इसका तात्पर्य यह नहीं था कि किसी भी समय शक्ति का प्रयोग किया जा सके। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग उचित अवधि के भीतर किया जाना था, और उचित अवधि क्या थी यह कानून अधिकारों और उसके तहत देनदारियों और अन्य प्रासंगिक कारकों की प्रकृति पर निर्भर होगा।

तद्नुसार, यदि आयुक्तालय ने फेमा के तहत निर्धारित नौ महीने की अवधि की समाप्ति के बाद बीआरसी प्रस्तुत न करने के लिए एससीएन जारी किए होते तो, विभाग स्वयं को ऐसे मुकदमों से बचा लेता और ₹61.13 लाख के सरकारी राजस्व की रक्षा होती।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात) न्यू कस्टम हाऊस, नई दिल्ली ने जवाब में कहा कि अब इन मामलों में नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है। एससीएन को उचित समय अवधि के भीतर प्रतिअदायगी नियमावली के प्रावधान के अनुसार जारी किया जा रहा है।

एससीएन जारी करने में असामान्य देरी की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2020) था।

[13] इससे पहले सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 1995 का पूर्व नियम 16 (ए) (2) 01.10.2017 से बदल गया है

3.4.1.5 सेज को एससीएन जारी करने में देरी

सेज नियमावली 2006 के नियम 25 में बताया गया है कि जहां कोई उद्यमी या डेवलपर उस माल या सेवाओं का उपयोग नहीं करते है जिन पर प्राधिकृत परिचालन के लिए छूटें, प्रतिअदायगी, उपकर और रियायते प्राप्त की गई है या इसके लिए विधिवत लेखा देने में असमर्थ है, उद्यमी या डेवलपर को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत किसी अन्य कार्रवाई के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के प्राप्त लाभों के बराबर राशि वापस करेगा।

डीसी-सीप्ज, मुम्बई और विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र (वीसेज़) में छह मामलों[14] में ₹25.52 करोड़ के सीमा शुल्क वाले एससीएन को विनिर्माण के निलंबन, अनधिकृत परिचालन के लिए सार्वजनिक परिसरों का उपयोग करने, इकाई की डी-बांडिंग के लिए कार्रवाई शुरू करने और उप-पट्टा करार के गैर-कार्यान्वयन करने के लिए जारी किया गया था। ये एससीएन 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि के लिए अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे।

दो ऐसे मामले नीचे बताए गए है:

(i) डीसी- सीप्ज, मुम्बई में मैसर्स 'डी-1' ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड (ईओयू) को मार्च 2004 में स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया गया था। इकाई ने वित्तीय संकट के कारण जनवरी 2014 में अपनी विनिर्माण गतिविधि को निलम्बित कर दिया था। हालांकि, इकाई कार्यात्मक नहीं थी और 2014-16 की अवधि के लिए सकारात्मक एनएफई प्राप्त नहीं कर रही थी, एससीएन को केवल अक्टूबर 2017 में जारी किया गया था। मार्च 2019 में पीएच के दौरान, यह देखा गया था कि गैर-कार्यात्मकता के अलावा सीमा शुल्क देयों सहित बकाया सरकारी देय भी मौजूद थे। इसलिए सभी लंबित मुद्दों को शामिल करते हुए जुलाई 2019 में नए समेकित एससीएन जारी किया गया जो अधिनिर्णयन के लिए लंबित था। एससीएन को जारी करने में देरी और अधिनिर्णयन को अंतिम रूप न दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 86.98 लाख के सीमा शुल्क और उस पर ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(ii) डीसी-वीसेज़ ने तीन वर्षों के भीतर एक ईओयू की स्थापना के लिए 23 मई 2007 को मैसर्स 'डी-2' फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अनुमति

[14] मेसर्स 'डी-3' ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 'डी-4' एजेंसी (ट्रेडिंग), मेसर्स 'डी-5', कंपनी और मेसर्स 'डी-6' मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड, मेसर्स 'डी-7' फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 'डी-8' सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

पत्र (एलओपी) जारी किया गया। इकाई ने वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान ₹59.55 लाख मूल्य के पूंजीगत माल और कच्ची सामग्री की खरीदारी की। इकाई ने दिनांक 27 फरवरी 2013 के अपने पत्र के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण की मांग की, हालांकि, एलओपी 22 मई 2010 को समाप्त हो गई थी। यद्यपि, दिनांक 27 फरवरी 2013 के बाद कोई संप्रेषण नहीं किया गया था, तथापि, डीसी, वीसेज़ ने एलओपी को रद्द करने के लिए जनवरी 2017 में एससीएन जारी किया था और मामले को दिनांक 19 मई 2017 के ओआईओ के द्वारा अधिनिर्णित किया गया था। सीमा शुल्क विभाग ने दिनांक 12 सितम्बर 2017 के अपने पत्र में सूचित किया कि इकाई पंजीकृत परिसरों से नदारद थी और ऐसी कोई पूंजीगत माल एवं कच्ची सामग्रियां जो शुल्क के भुगतान के बिना खरीदी गई थी उक्त परिसरों में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, यद्यपि एलओपी 22 मई 2010 को समाप्त हो गई और एससीएन को छह साल से अधिक की देरी से 9 जनवरी 2017 को जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एलओपी का दुरूपयोग हुआ और राजस्व की हानि हुई।

मंत्रालय एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन के लिए एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में निर्दिष्ट समय सीमा प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.1.6 त्रुटिपूर्ण एससीएन को ड्रॉप करना

यदि इस तरह के परिशोधन/संशोधन से मूल एससीएन की शुद्धि पत्र/ परिशिष्ट जारी करके पार्टी पर और अधिक बोझ पड़ता है तो जारी किए गए एक एससीएन को परिशोधित या संशोधित किया जाएगा। एससीएन को अधिनिर्णित करते समय संशोधन/परिशोधन के तथ्य की उचित रिकॉर्डिंग ओआईओ में करनी है। इसी तरह एससीएन में बताए गए मुद्दों के संबंध में पार्टी के साथ किसी भी अनुवर्ती प्रासंगिक संप्रेषण को रिकॉर्ड किया गया है और प्रासंगिकता के बिंदू जैसे पार्टी द्वारा विवाद के कारणों और उसके खंडन को ओआईओ में दर्शाना पड़ता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो आयुक्तालयों[15] के तहत तहत ₹21.88 लाख के धन मूल्य से जुड़े दो मामलों में एससीएन को निर्धारित प्रक्रिया के अननुपालन और तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण के कारण अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था।

[15] कोचीन (समुद्र) आयुक्तालय, सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात) एनसीएच नई दिल्ली

मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (समुद्र) कोचीन में, एसआईआईबी इनपुट्स के आधार पर एससीएन को सीटीएच 33049090 के बजाय सीटीएच 30067000/34039900/33073090 के तहत माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹21.32 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण दर्शाते हुए ग्यारह बीई के लिए मैसर्स 'ई' केयर लिमिटेड को अधिनियम की धारा 28(4) के तहत जारी किया गया था (मार्च 2017)। पार्टी द्वारा विरोध किए जा रहे वर्गीकरण पर, सीमा शुल्क विभाग ने अन्य सीटीएच 38249090 का प्रस्ताव करते हुए मई 2018 में एक पत्र जारी किया जिसे भी पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने दो बीई जिसे मूल एससीएन में शामिल नहीं किया गया था, को शामिल करते हुए ₹21.88 लाख के कम उद्ग्रहण को संशोधित करते हुए अगस्त में मूल एससीएन का एक शुद्धिपत्र जारी किया। एससीएन के लिए अगस्त 2018 में जारी किए गए ओआईओ को केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने मूल एससीएन के प्रस्ताव के अनुसार एक आदेश पारित किया था, जिसमें शीर्ष 33049090 के तहत माल का वर्गीकृरण किया, जिसे बाद में जारी किए गए पत्र को रद्द किए बिना सीटीएच 38249090 के तहत माल का वर्गीकरण किया गया। अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने अंततः अध्याय शीर्ष 33049090 के तहत माल को वर्गीकृत करने के लिए एससीएन में प्रस्ताव को छोड़ दिया। एससीएन को जारी करने के बाद गलत टैरिफ श्रेणी (नामतः सीटीएच 38249090) का प्रस्ताव बाद वाले संप्रेषण को रद्द किए बिना मूल एससीएन के अधिनिर्णय के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी की कार्रवाई विधि न्यायालय में अधिनिर्णयन आदेश को चुनौती देने के लिए आयातक हेतु आधार बन गई। इसके अलावा, अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने पत्र में दिए गए प्रस्ताव पर पीएच के परिणाम और ओआईओ में प्रस्ताव को छोडने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रिकार्ड नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णयन आदेश को रद्द कर दिया गया था।

(ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक एससीएन अधिनियम की धारा 28(1) के तहत ₹85 की शुल्क राशि के कम उद्ग्रहण के लिए मैसर्स 'एफ' सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया था (मार्च 2018)। ₹100 से कम के शुल्क के कम उद्ग्रहण के लिए एससीएन जारी करना अधिनियम की धारा 28(1) के प्रावधान के विरूद्ध था। इसके अलावा, एससीएन को अधिनिर्णय प्राधिकारी द्वारा ड्र दिया गया था (दिसम्बर 2018)। ₹100 से कम के शुल्क कम उद्ग्रहण के

लिए एससीएन को जारी करना न केवल अनावश्यक मुकदमेबाजी है बल्कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी पर बोझ भी है जिससे बचा जा सकता था।

इसे जनवरी 2020 में बताया गया था, मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.1.7 आरए द्वारा नोटिस देरी से जारी करना/जारी न करना

हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर (एचबीपी) खंड 1 के पैराग्राफ 5.13 के अनुसार, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) प्राधिकार धारक संबंधित आरए को ईओ की पूर्ति के प्रमाण के रूप में निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, ईपीसीजी अधिसूचना के साथ पठित एचबीपी खंड 1 के पैराग्राफ 5.8 में ईओ की खंड-वार उपलब्धियां निर्धारित है। ऐसे मामलों जहां किसी विशेष ब्लॉक के ईओ की पूर्ति नहीं होती है, तो वहां धारक उक्त ब्लॉक के अंत से तीन महीने के भीतर आपूर्ति न किए गए ईओ के आयात अनुपात पर सीमा शुल्क के शुल्क का भुगतान करेगा। डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार, एचबीपी खंड-1, 2015-20 के पैराग्राफ 4.44(बी) के अनुसार अग्रिम प्राधिकार धारक ईओ की अवधि की समाप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर, प्राधिकार के प्रति एसबी के विवरण को लिंक करके ऑनलाइन आवेदन फाइल करेगा। ईओ की अवधि लाईसेंस जारी करने से अठारह महीने हैं। इसके अलावा, एचबीपी खंड 1 का पैराग्राफ 4.44(एफ) बताता है कि यदि प्राधिकार धारक ईओ को पूरा करने में या प्रासंगिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आरए प्राधिकार और उपक्रम की शर्त को लागू करेगा और चूककर्ता निर्यातक के अगले प्राधिकार के खंडन सहित कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेगा। हालांकि, डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए एफटीआर अधिनियम 1992 या उसके तहत नियमावली अथवा प्रशांसनिक निर्देशों में लाईसेंस धारकों के प्रति कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जो प्रावधान का उल्लंघन करेगा।

छः आरए[16] में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2001 से 2016 के दौरान ₹8,645 करोड़ की बचत शुल्क राशि कुल 5,061 लाईसेंस (4,849 ईपीसीजी और 212 अग्रिम लाईसेंस) जारी किए गए थे और जिनमें ईओ अवधि 2 से 11 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी थी। लेकिन विभाग ₹5,342 करोड़ के राजस्व

[16] एडीजीएफटी, मुंबई, एडीजीएफटी, अहमदाबाद, एडीजीएफटी, राजकोट, जेडीजीएफटी, चेन्नई, डीडीजीएफटी, कानपुर और एडीजीएफटी, हैदराबाद

वाले 2,665 मामलों में निर्धारित ईओ की पूर्ति करने में असफल होने के लिए लाइसेंस धारकों के प्रति एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा। ₹303 करोड़ के राजस्व वाले 2,396 मामलों में, यद्यपि एससीएन को काफी देरी के बाद जारी किया गया था, इन एससीएन को दिसम्बर 2019 तक अधिनिर्णित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में (जनवरी/फरवरी 2020), अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार (एडीजीएफटी), हैदराबाद ने कहा कि अपर्याप्त स्टाफ देरी का कारण था, शेष पांच आरए से जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2 प्रक्रियाओं और पद्धतियों में कमियों के कारण अधिनिर्णयन

एससीएन के अधिनिर्णयन के लिए समय सीमा अप्रैल 2018 के पहले और अप्रैल 2018 के बाद भिन्न थी। इसलिए एससीएन के अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित समय सीमा के पालन पर दोनों अवधियों के लिए अलग-अलग टिप्पणियां दी गई हैं।

3.4.2.1 अधिनिर्णयन के लिए मौद्रिक सीमाओं का पालन न करना

सीबीआईसी ने दिनांक 31 मई 2011 के परिपत्र[17] द्वारा एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन के लिए मौद्रिक सीमा निर्धारित की है। तद्नुसार, उप आयुक्त/सहायक आयुक्त द्वारा एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा ₹5 लाख तक है, अतिरिक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त द्वारा यह ₹50 लाख तक है और आयुक्त के लिए कोई सीमा नहीं।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) भुवनेश्वर में, ₹51.62 लाख और ₹36.59 लाख की धन राशि वाले दो मामले (मै. 'जी' इंडिया प्रा. लि. एवं 'एच' स्टील कॉ. लि.) में एससीएन सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क डिविजन, पारादीप द्वारा अधिनिर्णित किया गया था जो सीबीआईसी परिपत्र में बताई गई शर्तों का उल्लंघन हैं। ये मामले केवल अतिरिक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा अधिनियर्णित किए जाने चाहिए।

इस विषय में बताए जाने पर उप आयुक्त, सीमा शुल्क डिविजन पारादीप ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2019) कि भविष्य में एससीएन को जारी करने से पहले भी मौद्रिक सीमा का ध्यान रखा जाएगा।

[17] परिपत्र संख्या 24/2011-सीमा शुल्क दिनांक 31 मई 2011

3.4.2.2 31 मार्च 2018 तक जारी किए गए एससीएन का अधिनिर्णयन न करना

अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा 9 वर्णित करती है कि उपयुक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 28(1) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में "जहां ऐसा करना संभव है"[18] एससीएन की तिथि से छह महीने के भीतर और अधिनियम की धारा 28(4) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में "जहां ऐसा करना संभव है" नोटिस की तिथि से एक वर्ष के भीतर शुल्क और ब्याज की राशि का निर्धारण करेगा।

बारह आयुक्तालयों में, ₹497.49 करोड़ की धन राशि से जुड़े 117 एससीएन एक महीने से 182 महीने की अवधि के लिए अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। एक मामले की चर्चा नीचे की गई है:

सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद में, धोखे से शुल्क मुफ्त क्रेडिट एनटाइटलमेंट (डीएफसीई) लाइसेंस प्राप्त करने में डीआरआई (दिसम्बर 2012) द्वारा ₹49.77 करोड़ की शुल्क राशि के लिए एक एससीएन जारी किया गया था। गुजरात के माननीय[19] उच्च न्यायालय ने एसीएन के अधिनिर्णयन के लिए 31 मार्च 2016 की सीमा निर्धारित की। विस्तार मांगने वाले विभाग द्वारा दायर किए गए विविध आवेदन को दिनांक 11 अगस्त 2017 के आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। मामले की उच्च न्यायालय के आदेश की तिथि से14 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद 2 नवम्बर 2018 को बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था और मामला लेखापरीक्षा की तारीख (नवम्बर 2019) तक भी अधिनिर्णयन के लिए लंबित था। मामला मई 2020 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था, उनका जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)। ₹13.44 करोड़ की शुल्क राशि वाले ऐसे ही सात मामले नीचे तालिका 3.3 में विस्तृत हैं:

[18] वित्त अधिनियम, 2018 के तहत हटाया गया

[19] दिनांक 26 नवंबर 2015 के आदेश द्वारा

तालिका 3.3: डीजीएफटी नई दिल्ली से समीक्षा आदेशों के अभाव में सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद में लंबित एससीएन

क्र. सं.	निर्यातक का नाम	डीआरआई एससीएन सं. एवं तिथि	डीजीएफटी ओआईओ सं. एवं तिथि	धन राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियां
1	मेसर्स 'आई' इंटरमीडिएट	डीआरआई/एज़ेडयू / आईएनवी-45/2009 दि. 09-03-2010	08/एफ-3/01/एएम-11/ईसीए दि. 10.07.13	76.95	डीआरआई द्वारा जारी एससीएन के आधार पर जेडीजीएफटी-अहमदाबाद ने भी एससीएन जारी किया जिसे बाद में ड्रॉप कर दिया गया। डीआरआई ने 03 फरवरी 2016 को पत्र भेजकर प्रधान आयुक्त से अनुरोध किया कि वे आरोपित एससीएन के अधिनिर्णयन को आगे की सूचना तक स्थगित रखें। डीआरआई ने 08 जुलाई 2016 को पत्र के माध्यम से डीजीएफटी, नई दिल्ली से जेडीजीएफटी, अहमदाबाद द्वारा पारित आरोपित ओआईओ की समीक्षा करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त ने बोर्ड से भी अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे को वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठाए ताकि डीजीएफटी द्वारा कार्यवाही में तेजी लाई जा सके। मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, गुजरात जोन के कई अनुस्मारकों के बावजूद, बोर्ड ने कोई कारेरवाई नही की और मामले अभी भी अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं जिसके परिणामस्वरूप ₹1344 लाख के सरकारी बकाया का अवरोधन हुआ।
2	मेसर्स 'जे' केमिकल्स	डीआरआई/एज़ेडयू / आईएनवी-47/2009 दि. 14-08-2012	08/एफ-3/2/एएम13/ ईसीए दि.15.07.13	203.00	
3	मेसर्स 'के' (पी) लिमिटेड	डीआरआई/एजेडयू/ आईएनक्यू-56/2013 दि. 30-10-2013	08/एफ-3/04/एएम14/ ईसीए दि. 27.01.14	188.42	
4	मेसर्स 'एल' केमिकल्स	डीआरआई/एयूजेड/ आईएनवी-48/2009 दि. 15-06-2012	08/एफ-3/3/ एएम11/ईसीए दि.16.07.13	120.00	
5	मेसर्स 'एम' डाई केम इंडस्ट्रीज	डीआरआई/एयूजेडी / आईएनवी - 6/2010 दि. 14-08-2012	08/एफ-3/02/एएम11/ ईसीए दि.01.11.13	55.87	
6	मेसर्स 'एन' डाईस एंड इंटरमीडिएट	डीआरआई/एज़ेडयू /आईएनक्यू-53/2013 दि. 24.06.2013	08/एफ-3/05/एएम14/ ईसीए दि.14.03.14	103.00	
7	मेसर्स 'ओ' केमिकल्स इंडस्ट्रीज	डीआरआई/एज़ेडयू /आईएनक्यू-55/2013 दि. 30.10.2013	08/एफ-3/05/एएम14/ ईसीए दि. 10.02.14	597.00	
			कुल	**1,344.24**	

सीमा शुल्क आयुक्तालय लुधियाना ने कहा (मार्च 2020) कि एससीएन वित्त बिल 2018 (29 मार्च 2018) की समाप्ति से पहले जारी किए गए थे और इसलिए अधिनियम की धारा 28(9) में प्रदान की गई एक वर्ष की समय सीमा इन मामलों में लागू नहीं होती है। ये मामले अधिनियम की धारा 28 के प्रावधान द्वारा शासित होंगे क्योंकि यह ऐसी तिथि से तुरन्त पहले आते है जिस समय अधिनिर्णयन के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी, इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों के अधिनिर्णयन में देरी नहीं हुई थी। मामलों की मौजूदा प्रास्थिति के बारे में उत्तर मौन था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वित्त अधिनियम 2018 (29 मार्च 2018 से लागू) के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम में किए गए संशोधन से पहले भी अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित समय-सीमा मौजूद थी। शब्द "जहां ऐसा करना संभव है" को हटाने के लिए संशोधन किया गया और निर्धारित समय सीमा को हटाने के लिए नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह इन सभी मामलों में भी लागू होगा, यद्धपि एससीएन को 29 मार्च 2018 में पहले जारी किया गया था।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2.3 निर्धारित अवधि के भीतर 1 अप्रैल 2018 के बाद जारी किए गए एससीएन का अधिनिर्णयन न करना

1 अप्रैल 2018 से लागू अधिनियम की धारा 28(9) बताती है कि 1 अप्रैल 2018 के बाद जारी किए गए एससीएन को अधिनियम की धारा 28(1) और धारा 28(4) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में नोटिस जारी करने की तारीख से क्रमश: 6 महीने और एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णित करना होता है। यह समय सीमा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 28(1) और धारा 28(4) के तहत क्रमश: अन्य छह महीने और एक वर्ष के लिए आगे विस्तारित की जा सकती है। यह भी बताया गया था कि यदि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर मामलों के अधिनिर्णय में विफलता के परिणामस्वरूप की जा रही कार्रवाई की निष्कर्ष माना जाएगा। तद्नुसार, निर्धारित समय के भीतर अधिनिर्णयन न करने के कारण एससीएन को बंद माना जा सकता है और परिणामस्वरूप चूककर्ता से राजस्व की गैर-प्राप्ति यदि कोई हो, की वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा।

दो आयुक्तालयों[20] में, ₹9.03 करोड़ की धन राशि से जुड़े छह मामलों में, अधिनियम की धारा 28(1) और धारा 28(4) के तहत फरवरी 2018 से फरवरी 2019 के दौरान जारी किए गए एससीएन के लिए अधिनिर्णयन आदेश को निर्धारित अवधि को पूरा करने के बाद भी पारित नहीं किया गया था।

दो मामले नीचे दिए गए है:

i. सीमा शुल्क आयुक्तालय जेएनसीएच, मुम्बई के तहत मैसर्स 'पी' मॉम प्राइवेट लिमिटेड ने आयातित माल की सही खुदरा कीमत के छिपाव के लिए अधिनियम की धारा 28(4) के तहत फरवरी 2018 में एससीएन जारी किए गए थे। और ₹8.71 करोड़ के विभेदक शुल्क की मांग की गआ। अंतिम पीएच के दौरान पार्टी ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि वित्त अधिनियम 2018 के लागू होने के बाद 29 मार्च 2018 से पहले जारी किए गए एससीएन भी 28 मार्च 2019 तक अधिनिर्णित हो जाने चाहिए और ऐसा करने में विफल होने पर, एससीएन को ऐसे लिए जाएगा जैसे वे कभी जारी ही नहीं किए गए थे। इसके अलावा, जेएनसीएच द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेश[21] के पैराग्राफ 5 के अनुसार, अधिनियम की धारा 28(4) से संबंधित मामलों के संबंध में अधिनिर्णयन आदेश 28 मार्च 2019 तक जारी किए जाने चाहिए। यह मामला एक वर्ष की देरी के बाद भी अधिनिर्णयन के लिए लंबित था और ₹8.71 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध रहा।

ii. सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुम्बई में मैसर्स 'क्यू' एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड ने अधिनियम की धारा 28(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 124 के तहत ₹25.20 लाख की राशि के लिए जून 2018 में एससीएन जारी किया गया था। एससीएन को चार महीने की देरी के बाद अक्टूबर 2019 में अधिनिर्णित किया गया था जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह पुष्टि की गई थी कि अधिनिर्णयन अवधि के विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई विस्तार नहीं मांगा गया था।

[20] सीमा शुल्क आयुक्तालय जेएनसीएच मुंबई और सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली

[21] स्थायी आदेश संख्या 22/2018 दिनांक 15 जून 2018

समय सीमा के भीतर मामले के अधिनिर्णय में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 9.03 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध हो गया था।

यह आयुक्तालय को बताया गया है (जनवरी/फरवरी 2020); उनका जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2.4 निर्धारित मानकों से अधिक पीएच देना

अधिनियम की धारा 122ए निर्धारित करती है कि यदि पार्टी ऐसा चाहती हैं, तो अधिनिर्णयन प्राधिकारी कार्रवाई में पार्टी को सुनने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, यदि कार्रवाई के किसी भी चरण में पर्याप्त कारण दर्शाया जाए तो, अधिनिर्णयन प्राधिकारी समय-समय पर, पार्टियों को या उनमें से किसी को भी समय प्रदान करना और जिन कारणों के लिए सुनवाई को स्थगित किया गया उन्हें लिखित में रिकॉर्ड किया जाएं बशर्ते कि ऐसा कोई भी स्थगन कार्रवाई के दौरान एक पार्टी को तीन बार से ज्यादा प्रदान नहीं किया जाएगा।

12 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[22] में, अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने उपर्युक्त सांविधिक प्रावधान के उल्लंघन में ₹16 करोड़ की धन राशि वाले 56 मामलों में पार्टियों के पीएच को तीन से अधिक स्थगन प्रदान किए गए है। इन 56 मामलों में से, ₹6.94 करोड़ को धन राशि वाले 26 मामलों में, पीएच का 4 से 11 बार स्थगन किया गया था और 31 दिसम्बर 2019 तक 10 महीने से 118 महीने के अवधि के मामलों में अधिनिर्णयन लंबित था।

अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने उक्त धारा के प्रावधान का उल्लंघन किया और पीएच को तीन से अधिक बार स्थगन प्रदान किया गया जिससे अंतत: अधिनिर्णयन प्रक्रिया में देरी हुई और जिसके परिणामस्वरूप वसूली प्रक्रिया प्रभावित हुई।

तीन मामलें नीचे बताए गए है:

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली में, ₹1.01 करोड़ की धन राशि वाले दो मामलों के लिए सीमा शुल्क संयुक्त आयुक्त/ आयुक्त द्वारा छह स्थगन प्रदान किए गए थे और इन्हीं दो मामलों में 48 महीने से 118 महीनों की अवधि के लिए अधिनिर्णयन अभी भी लंबित थे।

[22] सीमा शुल्क (निवारक) लखनऊ और पटना, कोलकाता (एयरपोर्ट), पश्चिम बंगाल (निवारक), सीमा शुल्क (अहमदाबाद), मुंद्रा, भुवनेश्वर, हैदराबाद, लुधियाना, जेएनसीएच (मुंबई), दिल्ली, आयात) और दिल्ली (निर्यात)।

(ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट), कोलकात्ता में, ₹5.40 करोड़ की धन राशि वाले 4 मामलों में सीमा शुल्क अतिरिक्त आयुक्त/आयुक्त द्वारा पीएच को पांच से दस स्थगन प्रदान किए गए थे। मामले 9 महीनों से 36 महीनों से अधिनिर्णयन हेतु अभी भी लंबित थे।

इस विषय में बताए जाने पर, सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, कोलकात्ता ने जवाब दिया कि श्रमबल की कमी, अधिनिर्णयन प्राधिकारियों के अनेकों प्रभारों और बार-बार स्थानांतरणों ने अधिक पीएच प्रदान करने में योगदान दिया। तथ्य यह है कि निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन में पीएच को स्थगन प्रदान करने के बावजूद ₹5.48 करोड़ को धन राशि वाले नौ मामलों में अधिनिर्णयन लंबित था।

(iii) सीमा शुल्क आयुक्तालय लुधियाना में, ₹1.45 करोड़ की धन राशि वाले पांच मामलों में, पीएच के चार से ग्यारह स्थगन सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/आयुक्त द्वारा प्रदान किए गए थे।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना ने उत्तर दिया कि पीएच के लिए अवसर दिए गए थे और अंतिम पीएच की तिथि से निर्धारित समय अर्थात 30 दिनों के भीतर ओआईओ जारी किया गया था। उत्तर लंबित मामलों की मौजूदा प्रास्थिति के बारे में मौन था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अधिनियम की धारा 122ए के प्रावधानों के उल्लंघन में तीन बार से अधिक स्थगन प्रदान किए गए थे।

अन्य आयुक्तालयों से उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2020)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2020)।

3.4.2.5 अंतिम पीएच के बाद अधिनिर्णयन आदेश जारी करने में देरी

सीबीआईसी ने दिनांक 10.03.2017 के अपनी मास्टर परिपत्र सं. 1053/02/2017-सीएक्स में कहा कि "सभी मामलों में जहां पीएच पूर्ण किया गया है, जितनी जल्दी संभव हो, लेकिन किसी भी मामले में एक महीने के बाद नहीं, निर्णय का संप्रेषण करना आवश्यक है, विशेष परिस्थितियों को फाइल में रिकॉर्ड किया जाए।"

पांच आयुक्तालयों[23] में देखा गया कि अंतिम पीएच की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 02 दिन से 808 दिनों के बीच की देरी के साथ ₹ 85.46 करोड़ की धन राशि वाले 117 मामले के लिए अधिनिर्णयन आदेश जारी किए गए थे जैसा कि नीचे तालिका 3.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4 अंतिम पीएच के बाद अधिनिर्णयन आदेश जारी करने में देरी

देरी की सीमा (दिनों में)	मामलों की सं.	सम्मिलित धन राशि (₹ लाख में)
1 महीने तक	46	945.80
1 महीने से 3 महीने	37	3,633.73
3 महीने से 6 महीने	24	937.14
6 महीने से 1 वर्ष	7	3,012.12
1 वर्ष से अधिक	3	17.03
कुल	**117**	**8,545.82**

कुल 117 विलम्बित मामलों में से, ₹30.29 करोड़ की धन राशि वाले 10 मामलें जहां देरी 6 महीनों से अधिक थी, में देरी किए गए आदेशों में शामिल कुल धन राशि का 35 प्रतिशत था। इन सभी दस मामलों में ₹30.29 करोड़ की मांग की पुष्टि अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई थी। इस प्रकार, अधिनिर्णयन के लिए अपेक्षित सभी कदम उठाने के बाद भी, अधिनिर्णयन आदेश जारी करने में देरी के परिणामस्वरूप राजस्व का अवरोधन और बकायों के लंबन में वृद्धि हुई।

निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अधिनियम के अनुसार एससीएन को जारी और अधिनिर्णन करने पर उचित और समय पर कार्रवाई की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

[23] सीमा शुल्क (निवारक)-लखनऊ, सीमा शुल्क आयुक्तालय-नोएडा, जेएनसीएच मुंबई, आयुक्तालय (आयात), नई दिल्ली और सीमा शुल्क-हैदराबाद

3.4.2.6 एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में पीएच के निर्धारण के लिए प्रावधान का अभाव

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में पार्टियों को समय-समय पर इस शर्त के अधीन सुनवाई प्रदान करने का प्रावधान है कि सुनवाई का स्थगन तीन बार से अधिक नहीं किया जाएगा। हालांकि, एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में इस संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं हैं। निर्धारित प्रावधानों के अभाव में, डीसी बिना किसी नम्बरों की सीमा के पीएच प्रदान कर रहे हैं।

एससीएन और अधिनिर्णयन से संबंधित डीसी, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (केएसेज़) में लेखापरीक्षा के लिए चयनित 52 मामलों की संवीक्षा से पता चला है कि पीएच की संख्या के संबंध में विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने 03 मामले में पार्टी को 3 से अधिक पीएच प्रदान किए।

ऐसा ही एक मामला नीचे बताया गया हैं:

i. डीसी-केएसेज़, गांधीधाम के कार्यालय में एससीएन फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि सेज़ नियमावली, 2006 के प्रावधानों को उल्लंघन अर्थात 2014-15 से 2015-16 की अवधि के लिए वार्षिक निष्पादन विवरणी प्रस्तुत करने में विफल होने पर मैसर्स 'आर' शिपिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, गांधीधाम को दिसम्बर 2016 में बांड शर्त का अनुपालन न करने के लिए एससीएन जारी किया गया था। 02 दिसम्बर 2016 और 06 मार्च 2018 के बीच पार्टी को छह पीएच का मौका पहले ही दिया जा चुका था और पार्टी 06 मार्च 2018 को प्रस्तुत हुई। अभीलेखों में आगे की कोई प्रगति नहीं पायी गई और एससीएन जारी होने के चार वर्षों बाद भी यह अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे।

इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2019), डीसी, केएसेज़ ने जवाब दिया (दिसम्बर 2019) कि एससीएन को अधिनिर्णयन नहीं किया जा सकता क्योंकि डीसी जिसने एससीएन जारी किए और पीएच किया था, को केएसेज़ से स्थानांतरित किया गया है। यह भी कहा गया था कि जारी किए गए एससीएन को पीएच देने के बाद कम समय अवधि के भीतर ही वर्तमान डीसी द्वारा अधिनिर्णित किया जाएगा।

एससीएन का जवाब देने के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता को उचित अवसर देने और असीमित पीएच की अनुमति देने के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी के असीमित विवेकाधिकार का प्रतिबंध संबंधी प्रावधान का व्याख्यान, एफटीडीआर

अधिनियम, 1992 में भी, सीमा शुल्क अधिनियम की तर्ज पर अनुमेय पीएच संख्या को शामिल करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2.7 आरयूडी के अभाव में एससीएन का लंबन

दिनांक 10 मार्च 2017 की मास्टर परिपत्र सं. 1053/02/2017-सीएक्स के अनुसार, अधिनिर्णयन प्राधिकारी को रिकॉर्ड में सभी साक्ष्यों, मुद्दों और सामग्री की जांच करनी, एससीएन में कार्यरत प्रभारों के संदर्भ में उनका विश्लेषण करना और एससीएन को दिए गए उत्तर की जांच करना और उन्हें ठोस तर्क के साथ स्वीकार करना या अस्वीकार करना हैं। पैरा 13 में प्रावधान है कि एससीएन और एससीएन में विश्वसनीय दस्तावेजों पर अधिनिर्णयन कार्यवाहियों शुरू करने के लिए निर्धारिती को भेजने की आवश्यकता है।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात), एनसीएच, नई दिल्ली में, 86 मामलों में से चार मामलों में अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान जारी किए गए, ₹2.09 करोड़ के राजस्व वाले एससीएन दिसम्बर 2019 तक अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। फाइलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी फाइलों में आरयूडी के उपलब्ध न होने के कारण मामलों का अधिनिर्णय नहीं कर सके, जिसके आधार पर एससीएन जारी किए गए थे। मामलों के अधिनिर्णयन के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारियों ने आरयूडी की मांग एससीएन प्राधिकारियों से करने का अनुरोध किया (मई 2017 में मार्च 2019), लेकिन अभिलेखों में आगे की कोई प्रगति उपलब्ध नहीं थी। चार मामलों में से दो में आरयूडी के लिए नोटिस प्राप्त कर्ता का अनुरोध मई 2017/अगस्त 2019 तक लंबित पाया गया था।

एससीएन जारी करने में आरयूडी के साथ एससीएन जारी करने वाले प्राधिकारियों की प्रारंभिक विफलता निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन था। बाद में, निगरानी प्राधिकारी आरयूडी के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता के अनुरोधों के निपटान पर कार्रवाई करने पर विफल रहे। अधिनिर्णयन में देरी को मिलाकर इन विफलताओं ने एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमजोरी की ओर संकेत किया गया है।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात), एनसीएच, नई दिल्ली ने कहा (जनवरी 2020) कि तीन मामलों में नोटिस प्राप्त कर्ता या उनके वकीलों ने बार-बार अन्य पीएच के लिए अनुरोध किया गया है। अधिनिर्णयन प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण भी आगे पीएच देने की आवश्यकता है जिससे

अधिनिर्णयन कार्रवाई में देरी हुई। विभाग ने आगे कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में पीएच देने की आवश्यकता है। हालांकि, यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो मामले में निर्णय एकतरफा होगा।

विभाग के उत्तर में मामलों के समय पर अधिनिर्णयन में निष्क्रियता की स्वीकृति है। इंगित किए गए मामलों के अप्राप्त आरयूडी के बारे में उत्तर मौन था जिनके अभाव में अधिनिर्णयन लंबित थे। मामलों की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है (जुलाई 2020)।

3.4.2.8 पार्टियों से कोई उत्तर न मिलने के बावजूद अधिनिर्णयन मामलों का लंबन

अधिनियम की धारा 124 में यह बताया गया कि यदि नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ या यदि पार्टी सुनवाई के लिए रखे गए मामले में अधिनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है तो रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले का निर्णय एकतरफा होगा।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुम्बई में, रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 101.61 करोड़ की धन राशि वाले 111 मामलों में एससीएन जारी करने के बाद 5 महीनों से 34 महीनों से 31 दिसम्बर 2019 तक अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। इनमें से, 76 मामलों में कोई पीएच जारी नहीं किया गया था और 35 मामलों में, पीएच जारी किए गए थे लेकिन पार्टियों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इन एससीएन का अधिनिर्णयन न होना अधिनियम की उपर्युक्त धारा 124 का उल्लंघन था।

यह जनवरी 2020 में विभाग को बताया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2.9 जब्ती मामलों के अधिनिर्णयन में देरी

बोर्ड ने विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित[24] की है जिसके भीतर विभागीय अधिकारी उन मामलों में अधिनिर्णयन पूरा करेंगे जो अधिनियम की धारा 124 के तहत जब्ती से संबंधित है। आयुक्त या अपर/संयुक्त आयुक्त, सहायक/उप आयुक्त और सीमा शुल्क अधीक्षक को अधिनियम की धारा 124 के तहत एससीएन की सर्विस की तिथि से क्रमश: एक वर्ष, छह महीने और तीन महीने के भीतर अधिनिर्णयन पूर्ण करना अपेक्षित है।

[24] परिपत्र संख्या 3/2007-सीमा शुल्क दिनांक 10.01.2007

लेखापरीक्षा संवीक्षा से, अधिनिर्णयन में बोर्ड के निर्देशों में देरी का अनुपालन न करने और अधिनिर्णयनों को देरी से करने के साथ-साथ ऐसे मामलों पता चला जो अभी भी अधिनिर्णियन हेतु निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय से लंबित है, जैसा कि नीचे तालिका 3.5 में विस्तृत है:

तालिक 3.5: देरी से अधिनिर्णित और अधिनिर्णयन हेतु लंबित मामलों का विवरण

दिन	देरी से अधिनिर्णित मामलें				अधिनिर्णयन के लिए लंबित मामले			
	मामलें		राशि		मामलें		राशि	
	सं.	%	₹ करोड़ में	%	सं.	%	₹ करोड़ में	%
3 महीने तक	175	35	5.90	40	16	12	9.30	18
3 महीने से 6 महीने	136	28	4.18	28	48	36	4.63	9
6 महीने से एक साल	101	20	3.26	22	44	33	7.50	15
एक वर्ष से अधिक	82	17	1.55	10	24	18	29.53	58
कुल	**494**		**14.89**		**132**		**50.96**	

छह[25] आयुक्तालयों में, ₹14.89 करोड़ के राजस्व वाले 494 मामलों में अधिनियम की धारा 124 के तहत 2 दिनों से लेकर 1122 दिनों तक की अधिनिर्णयन में देरी हुई थी। इनमें से 183 मामलों (37 प्रतिशत) में अधिनिर्णयन में देरी 6 महीने से अधिक समय के लिए हुई जिसमें ₹4.81 करोड़ का राजस्व शामिल था जो इसमें शामिल कुल राजस्व (₹14.89 करोड़) का 32 प्रतिशत है।

इसके अलावा, ₹50.96 करोड़ के राजस्व वाली आठ[26] आयुक्तालयों में 132 मामलों में, अधिनियम की धारा 124 के तहत जारी किए गए एससीएन 2 दिनों से 1303 दिनों के बीच की अवधि से निर्धारित समय से अधिक समय (जनवरी 2020 तक) से अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। कुल लंबित मामलों में से, एक वर्ष से अधिक लंबित 24 मामलों (18 प्रतिशत) में अधिनिर्णयन के लिए लंबित मामलों में शामिल धन राशि कुल धन राशि का 58 प्रतिशत है।

अधिनिर्णयन के लिए लंबित मामलों के विषय में बताए जाने पर, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), जोधपुर ने कहा कि इन मामलों में जांच संबंधित नोटिस जारी करने की तिथि तक पूरी नहीं हुई थी क्योंकि परिशिष्ट जारी

[25] सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्री.) लखनऊ, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) पटना, सीमा शुल्क आयुक्तालय-लुधियाना, सीमा शुल्क आयुक्तालय-इंदौर, सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयर पोर्ट) कोलकाता और सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्री.)-पश्चिम बंगाल

[26] सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक- लखनऊ, सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट) कोलकाता, सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्री.) पश्चिम बंगाल, सीमा शुल्क आयुक्तालय - अहमदाबाद और सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्री.) - जोधपुर

किए गए थे। इसके अलावा, एक मामले में, जांच पूरी होने के बारे में सूचित करने वाली जांच एजेंसी से 16 मई 2019 को पत्र प्राप्त हुआ था। मामलों के लंबन की गणना जांच के परिशिष्ट/पूर्णता की तारीख से की जानी चाहिए न कि नोटिस जारी करने की तारीख से।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये जब्तियों से संबंधित मामले है और ये एससीएन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णित किए जाने चाहिए। विभाग ने एससीएन जारी होने की तारीख से एक वर्ष बीत जाने के बाद परिशिष्ट जारी किया और एक अन्य मामले में मई 2019 में जांच पूरी होने के बाद भी अधिनिर्णयन लंबित था।

मामलों के अधिनिर्णयन में देरी के लिए, सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना ने कहा (मार्च 2020) कि पार्टियां मूल रूप से पीएच के लिए विभिन्न सीमा शुल्क प्राधिकारियों के प्रति जवाबदेह थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिपत्र संख्या 3/2007-सीशु दिनांक 10.01.2007 के अनुसार, ओआईओ निर्धारित समय के भीतर जारी नहीं किया गया है।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने अधिनिर्णयन में देरी के विषय के उत्तर में (मार्च 2020) कहा कि सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर, जनवरी, 2018 के महीने में बनाया गया था। उल्लिखित दो मामले जनवरी, 2018 में इस आयुक्तालय में प्राप्त हुए थे और एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्णय दिया गया था। यह दोहराया गया कि 15.01.2018 से नए आयुक्तालय के गठन के कारण, क्षेत्राधिकार और कर्मचारियों की स्थिति के संबंध में शुरुआती समस्याएं मौजूद थीं।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए समान आयुक्तालय द्वारा नवंबर 2017 और जुलाई 2017 में आपत्ति एससीएन जारी किए गए थे और परिपत्र संख्या 03/2007-सीशु दिनांक 10.01.2007 के अनुसार इन पर एक वर्ष की समय सीमा के भीतर निर्णय दिया जाना चाहिए था।

शेष आयुक्तालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2.10 रिमांड बैक मामलों के अधिनिर्णयन में देरी

सीबीआईसी के परिपत्र[27] दिनांक 10 जनवरी, 2007 में यह निर्धारित किया गया है कि डी-नोवो (रिमांड बैक) मामलों को रिमांड बैक की तिथि से छह महीने/एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णयन किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी विशेष मामले में उपरोक्त समयावधि का ध्यान नहीं रख सके, तो अधिनिर्णयन अधिकारी अपने पर्यवेक्षी अधिकारी को उन परिस्थितियों के बारे में सूचित करता रहेगा जिन्होंने उपरोक्त समय सीमा के पालन को अवरूद्ध किया, और पर्यवेक्षी अधिकारी ऐसे मामलों के निपटान के लिए उचित समय सीमा निर्धारित करेगा और तदनुसार उनके निपटान की निगरानी करेगा।

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात) एनसीएच, नई दिल्ली में ₹2.02 करोड़ की शुल्क राशि से जुड़े दो रिमांड बैक मामले जनवरी 2020 तक 19 महीनों से अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे और लंबित होने के कारण, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई फाईलों में उपलब्ध नहीं थे। यह इंगित किया गया (जनवरी 2020), आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

(ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), जोधपुर से संबंधित ₹62.36 लाख के मौद्रिक मूल्य वाले एक अन्य मामले में, 320 दिनों की देरी के बाद अधिनिर्णयन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन में विलंब की अवधि के लिए वसूली स्थगित हुई। अधिनिर्णयन के लिए दी गई समय अवधि के किसी भी विस्तार के संबंध में अभिलेखों में कुछ भी नहीं था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), जोधपुर ने (मार्च 2020) कहा कि न तो अधिनियम की धारा 28 के प्रावधान और न ही परिपत्र 03/2007-सी.शु. रिमांड कार्यवाही में किए गए अधिनिर्णयन के मामले में कोई समय सीमा निर्दिष्ट करते हैं।

विभाग का उत्तर सीबीईसी परिपत्र संख्या 4/2007-सीशु दिनांक 10.01.2007, के संदर्भ में तर्कसंगत नहीं है, अधिनियम की धारा 28(2ए) के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार डी-नोवो (रिमांड बैक) सीमा शुल्क मामलों पर छह महीने/एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णयन दिया जाना था। इसके अतिरिक्त, परिपत्र 4/2007-सीशु के पैराग्राफ 3 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि यदि किसी विशेष मामले में समयावधि का ध्यान नहीं रखा गया, तो अधिनिर्णयन अधिकारी अपने पर्यवेक्षी अधिकारी को उन परिस्थितियों के बारे में सूचित करता रहेगा जिनसे उपरोक्त समय सीमा के पालन में बाधा हुई, और पर्यवेक्षी

[27] परिपत्र सं. 4/2007-सीशु दिनांक 10.01.2007

अधिकारी ऐसे मामलों के निपटान के लिए उचित समय सीमा निर्धारित करेगा और तदनुसार उनके निपटान की निगरानी करेगा। लेकिन, लेखा परीक्षा यह पता लगाने में असमर्थ थी कि पर्यवेक्षी अधिकारी ने ऐसे मामलों के निपटान हेतु कोई समय सीमा तय की थी या नहीं। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

3.4.2.11 एससीएन में निर्दिष्ट शुल्क से अधिक शुल्क की पुष्टि

अधिनियम की धारा 28(8) के अनुसार, शुल्क या देय ब्याज की राशि नोटिस में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आयुक्तालय जेएनसीएच, मुंबई में, पांच मामलों में यह पाया गया कि एससीएन में मांगा गया शुल्क ₹1.39 करोड़ था, जबकि ओआईओ में ₹1.72 करोड़ राशि की पुष्टि की गई थी। इस प्रकार, ओआईओ में पुष्टि किया गया शुल्क एससीएन में मांगे गए शुल्क से अधिक था, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। मामलों के अधिनिर्णयन के समय मांगे गए ₹32.84 लाख अधिक शुल्क के कारण, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.3 अधिनिर्णयन और समीक्षा आदेशों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई की कमी

3.4.3.1 अधिनिर्णयन आदेशों को लागू न करना

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), पशु संगरोध विभाग, वृक्ष संगरोध विभाग आदि द्वारा जारी अनिवार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए आयातित माल जब्त करने, शेष शुल्क के भुगतान, शोधन जुर्माना (आरएफ) और/या शास्ति का भुगतान, पुन: निर्यात/नष्ट करने हेतु अधिनियम की विभिन्न धाराओं[28] के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अधिनिर्णयन आदेश जारी किए जाते हैं।

वित्त मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 15.12.1997 के अनुसार, सरकारी बकाया की वसूली करने के उद्देश्य से प्रत्येक सीमा शुल्क आयुक्तालय में एक "रिकवरी सेल" (आरसी) बनाया जाना चाहिए। तदनुसार, प्रत्येक आयुक्तालय में एक वसूली कक्ष होता है जिसके प्रमुख कार्य अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा चूककर्ताओं की संपत्ति की कुर्की और बिक्री पर नोटिस देना और बकाया के संबंध में मुख्य आयुक्त को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजना है।

[28] सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28,111,112,124,125

छह आयुक्तालयों[29] में यह देखा गया कि ₹38.65 करोड़ के मौद्रिक मूल्य से जुड़े 135 मामलों में विभाग ने दिसंबर 2015 से जून 2019 के दौरान जारी किए गए अधिनिर्णयन आदेशों को पुन: निर्यातित/अनुचित तरीके से आयातित माल के लिए लागू नहीं किया। अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत ₹38.65 करोड़ की सरकारी बकाया राशि की वसूली लंबित थी।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली ने ₹12.64 लाख के मौद्रिक मूल्य से जुड़े पांच मामलों में विलंब स्वीकार किया।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने (मार्च 2020) बताया कि मै. 'एस' पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सैसटैट में (जनवरी 2020) अपील की थी और यह मामला इंदौर सेज से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि एक अन्य मामले में पार्टी के सापेक्ष आपत्ति डीआरआई द्वारा दर्ज की गई थी (जुलाई 2017)।

डीआरआई के मामले में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जुलाई 2017 में डीआरआई द्वारा एससीएन जारी किया गया था और दिसंबर 2018 में अधिनिर्णय दिया गया था, लेकिन विभाग द्वारा आपत्ति की गई राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।

अन्य आयुक्तालय से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.3.2 आयुक्त के समीक्षा आदेशों की अननुपालन

अधिनियम की धारा 129 डी (2) यह निर्दिष्ट करती है कि सीमा शुल्क आयुक्त अपने आप किसी भी कार्यवाही के अभिलेख की मांग और इसकी जांच कर सकता है जिसमें उनके अधीनस्थ एक अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने इस अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कोई भी निर्णय या आदेश पारित किया है, जिससे किसी ऐसे निर्णय की वैधता या उपयुक्तता की जांच की जा सके और अपने आदेश में सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा निदिष्ट निर्णय या आदेश से सृजित ऐसे बिंदुओं के निर्धारण हेतु आयुक्त (अपील) को आवेदन करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी सीमा शुल्क अधिकारी या ऐसे प्राधिकारी को आदेश दे सकता है।

आयुक्तालय सीमा शुल्क (समुद्र-आयात) चेन्नई में समीक्षा आदेशों की संवीक्षा से पता चला है कि विभाग ने ₹1.44 करोड़ का शोधन जुर्माना और शास्ति

[29] सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच नई दिल्ली, इंदौर, चेन्नई सागर सीमा शुल्क, चेन्नई एयर कस्टम, कोचीन सागर सीमा शुल्क और भुवनेश्वर आयुक्तालय

राशि लगाकर प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आने वाले 'प्रयुक्त कपड़े' के आयात से संबंधित 41 बीई के संबंध में 41 मामलों का अधिनिर्णय किया। आयुक्त (आयात) ने अधिनिर्णयन आदेशों की समीक्षा की (दिसम्बर 2017 से अप्रैल 2018) और अधिनिर्णयन प्राधिकरण को शोधन जुर्माना (₹97.46 लाख) और शास्ति (₹46.32 लाख) जो भी उचित माना गया हो; को बढ़ाने हेतु आयुक्त (अपील) के समक्ष एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया। आयुक्त (अपील) के सम्मुख संयुक्त आयुक्त (ग्रुप 3) द्वारा आवेदन दाखिल करने का कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाया गया और न ही लेखापरीक्षा के लिए प्रदान की गई ऑनलाइन एक्सेस के माध्यम से सत्यापित 41 बीई के प्रति शोधन जुर्माना और शास्ति का विवरण उपलब्ध था। इसलिए शोधन जुर्माना और शास्ति बढ़ाने के लिए आयुक्त के समीक्षा आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसे मई 2020 में इंगित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.3.3 आरए द्वारा जारी अधिनिर्णयन आदेशों की अनुचित अनुवर्ती कार्रवाई

ईओ को पूरा न करने के लिए, एफटीडीआर अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अंतर्गत या एफटीपी के अंतर्गत बनाये गए किसी भी नियम या आदेश का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाते हुये, सीमा शुल्क विभाग को भेजी गई प्रति के साथ अधिनिर्णयन आदेश जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एफटीडीआर अधिनियम 1992 की धारा 11(4) के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना, यदि अदा नहीं किया गया है, तो भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। डीजीएफटी द्वारा जारी ओएंडएम निर्देश संख्या 04/2018 दिनांक 2 अगस्त 2018 में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी अधिनिर्णयन आदेशों को क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और पंजीकरण बंदरगाह पर केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) और सीमा शुल्क प्राधिकरण को एक प्रति भेजी जाएगी।

पांच आरए[30] में, सितंबर 2016 से अगस्त 2019 की अवधि के दौरान अधिनिर्णयन के बाद 40 मामलों में एफटीडीआर अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत ₹5.29 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि इन मामलों को आवश्यक वसूली कार्रवाई के लिए सीईआईबी और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को चिह्नित नहीं किया गया

[30] सीएलए नई दिल्ली, जेडीजीएफटी चेन्नई, एडीजीएफटी मुंबई, एडीजीएफटी, राजकोट और एडीजीएफटी, कोलकाता

था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि जुर्माने के भुगतान का कोई साक्ष्य फाइलों में उपलब्ध नहीं था।

कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) आरए, नई दिल्ली में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि ₹13.05 लाख के मौद्रिक मूल्य से जुड़े तीन अधिनिर्णयन आदेश प्रवर्तन सह अधिनिर्णयन (ईसीए) वसूली कक्ष को हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

इसको इंगित किये जाने पर (जनवरी 2020), आरए, नई दिल्ली ने निष्कर्षों को स्वीकार किया कि इसे पहले हस्तांतरित नहीं किया गया था और सूचित किया कि इन मामलों को जनवरी और फरवरी 2020 में ईसीए वसूली कक्ष को भेज दिया गया था।

(ii) इसी प्रकार, एडीजीएफटी, राजकोट में, एससीएन को पहली बार अप्रैल 2008 में और दूसरी बार मार्च 2018 में मैसर्स 'टी' केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को एफटीडीआर अधिनियम, 1992 की धारा 11(5) और धारा 14 के अंतर्गत जारी किया गया था। एससीएन को नवंबर 2018 में तब अधिनिर्णित किया गया जब विभाग ने पाया कि इस नाम से कोई कंपनी नहीं है। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने प्रथम एससीएन जारी होने से 10 साल बीत जाने के बाद भी वसूली की कार्रवाई शुरू करने के लिए जिलाधिकारी को नहीं लिखा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2019), एडीजीएफटी, राजकोट ने वसूली कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए (दिसंबर 2019)।

सीईआईबी और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अधिनिर्णयन आदेशों की प्रति न भेजने के परिणामस्वरूप कार्रवाई में देरी हुई जिससे राजस्व लंबित हुआ तथा उसके कारण राजस्व प्राप्ति में रुकावट आई और विभाग पर बोझ पड़ा। विभाग को इस संबंध में उचित निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी।

शेष मामलों के लिए उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2020) थे।

3.4.3.4 जांच/अधिनिर्णयन के लिए प्रवर्तन प्रभाग को मामलों का हस्तांतरण न करना

डीजीएफटी ने 31 दिसंबर, 2003 के परिपत्र[31] के अंतर्गत उन मामलों के निपटान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जिन्हें वंचित इकाई सूची (डीईएल) के अंतर्गत रखा गया था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ ए(1) के अनुसार, आगे की जांच/अधिनिर्णयन के लिए डीईएल के अंतर्गत रखे गए मामलों को प्रवर्तन प्रभाग को हस्तांतरित करने के लिए विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।

एडीजीएफटी, हैदराबाद में, ₹4.36 करोड़ के बचत शुल्क से जुड़े 13 मामलों, जिन्हे डीईएल सूची में रखा गया था, को जांच/अधिनिर्णयन के लिए प्रवर्तन प्रभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

विभाग ने उत्तर दिया था कि कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के निर्देशों[32] दिनांक 26 जुलाई, 2004 के अनुसार, ईसीए कार्य की निगरानी लाइसेंसिंग अनुभाग द्वारा की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इसने डीईएल के अंतर्गत मामलों को अधिनिर्णयन के लिए प्रवर्तन प्रभाग को हस्तांतरित नहीं करने के मुद्दे को संबोधित नहीं किया था।

तथ्य यह था कि अधिनिर्णयन के लिए डीईएल मामलों के हस्तांतरण न करने से परिहार्य विलंब हुआ जिसमें ₹4.36 करोड़ का बचत शुल्क शामिल है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.4 सीमा शुल्क कार्यालयों में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण एक अभिन्न प्रक्रिया है, जो जोखिम को समाप्त करती है और प्रणालियों और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और पर्याप्तता के बारे में तर्कपूर्ण विश्वसनीयता प्रदान करती है। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में एससीएन जारी करने और उनके अधिनिर्धयन की प्रभावी निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए एससीएन रजिस्टर, अधिनिर्णयन रजिस्टर, रिफंड

[31] एफ सं. 18/24/मुख्यालय/99-2000/ईसीए II, दिनांक 31 दिसंबर 2003

[32] ओएंडएम निर्देश संख्या 11/2004, दिनांक 26 जुलाई 2004

रजिस्टर, कॉल बुक, मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) का रखरखाव निर्दिष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा में एससीएन और अधिनिर्णयन के संबंध में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण में कमियों को देखा गया।

3.4.4.1 डीआरआई आसूचना एकत्रण और जांच तंत्र (डीआईजीआईटी) डेटाबेस को अद्यतित न करना

राजस्व विभाग द्वारा प्रवर्तन और जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रवाह, इसके आदान-प्रदान और समय पर उपयोग के लिए सीमा शुल्क अपराधों का एक पूरा डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से डीआईजीआईटी शुरू किया गया था। सीबीआईसी, जो बोर्ड के रूप में संदर्भित है, ने 28 मार्च 2018 और 2 अप्रैल 2018 के निर्देशों[33] के अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया था कि 1 अप्रैल 2018 से, आसूचना एजेंसियों[34] द्वारा पाए गए अपराधों के लिए सभी एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश केवल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल 'डीआईजीआईटी' के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए और सभी सीमा शुल्क कार्यालयों को 13 जुलाई 2018 तक डीआईजीआईटी में लीगेसी डेटा की प्रविष्टि पूरी करनी थी। डीआईजीआईटी डेटाबेस को अद्यतित रखा जाना था ताकि महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रवाह, इसके आदान-प्रदान और विभाग के प्रवर्तन और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने सभी आयुक्तालयों पर दबाव बढ़ाते हुए तय समयावधि में एससीएन जारी करने और अंतिम दिन तक देरी न करने को कहा। बोर्ड को डीआरआई के माध्यम से कार्य के पूरा होने की निगरानी करनी थी और डीआईजीआईटी के माध्यम से एससीएन भी जारी करना था। यह भी कहा गया कि कार्य को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की विफलता को गंभीरता से देखा जाएगा।

नमूना जांच की गई 25 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 10 आयुक्तालयों[35] में आंशिक रूप से डीआईजीआईटी के माध्यम

[33] अनुदेश संख्या 5/2018 दिनांक 28/30/2018 और 06/2018 दिनांक 02/04/2018

[34] विशेष आसूचना जांच शाखा (एसआईआईबी), डॉक्स आसूचना यूनिट (डीआईयू), एयर आसूचना यूनिट (एआईयू), (सीमा शुल्क आंतरिक जांच एजेंसियां), राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई),

[35] एनसीएच-मंगलुरु, चेन्नई (एयर) कस्टम्स, कोचीन (सागर) कस्टम्स, एसीसी (एक्सपोर्ट) -एनसीएच-दिल्ली, भुवनेश्वर कस्टम्स (प्रीवी), कस्टम्स (प्रीवी)), पटना, जेएनसीएच एनएस I, एनएस-II, एनएस-III और एनएस-IV, मुंबई

से एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश जारी किए गए और नौ आयुक्तालयों[36] में डीआईजीआईटी के माध्यम से एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश जारी नहीं किए गए। छह आयुक्तालयों[37] ने लेखापरीक्षा **(अनुबंध 5)** को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2020) कि यद्यपि लीगेसी डेटा की प्रविष्टि 31 जुलाई 2018 तक पूरी की जानी थी, ऐसा केवल तीन आयुक्तालयों[38] में किया गया था और 19 आयुक्तालयों में लीगेसी डेटा दिसंबर 2019 तक अद्यतित नहीं किया गया था। तीन आयुक्तालयों[39] ने लीगेसी डेटा के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी।

इस विषय में बताए जाने पर सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात) नई दिल्ली, सीमा शुल्क (निवारक) पटना और जोधपुर ने बताया कि एससीएन और अधिनिर्णयन के आदेशों को डीआईजीआईटी डेटाबेस में दर्ज किया जा रहा था।

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2016-2019 के दौरान जारी किये गये एनसीएच, नई दिल्ली में 110 एससीएन में से केवल एक एससीएन, 13 अधिनिर्णयन आदेश, पटना में 68 मामले और जोधपुर में 167 मामले डीआईजीआईटी डेटाबेस में दर्ज किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क पारादीप, कोचीन (समुद्र) और कोलकाता (एयर) आयुक्तालय ने (जनवरी 2020) कहा कि तकनीकी मुद्दों के कारण डीआईजीआईटी में लीगेसी डेटा अपलोड नहीं किया जा सका और अधिकारियों की लॉगइन आईडी और पासवर्ड पूर्ण नहीं हो पाए हैं।

तथापि, सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर और लुधियाना ने कहा (मार्च 2020) कि 31 मार्च 2018 तक लीगेसी डेटा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर अपलोड किया जाएगा।

15 आयुक्तालयों[40] के उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2020)।

---

[36] सीमा शुल्क कॉम-अहमदाबाद, सीशु। कॉम-लुधियाना, कोचीन (एयर) कस्टम्स, एसीसी (आयात) एनसीएच-दिल्ली, इंदौर कस्टम कॉम, कस्टम कॉम हैदराबाद, सीशु। कॉम- विशाखापट्टनम, सीशु। कॉम (हवाई अड्डा) कोलकाता, और सीशु (प्रीवी) प. बंगाल

[37] सीमा शुल्क आयुक्तालय (मुंद्रा), (निवारक) (जोधपुर), एयरपोर्ट एंड एयर कार्गो-बेंगलुरु, चेन्नई (सागर), (निवारक)) लखनऊ और नोएडा

[38] सीमा शुल्क आयुक्तालय- (लुधियाना), कोचीन (सागर) और (विशाखापत्तनम)

[39] सीमा शुल्क, आयुक्तालय-एसीसी और एयरपोर्ट (बेंगलुरु), मुंद्रा, कोचीन (एयर),

[40] सीमा शुल्क आयुक्तालय- एसीसी और हवाई अड्डे-बैंगलोर, आयात, एनसीएच, दिल्ली, मुंद्रा, विशाखापट्टनम, एनसीएच-मंगलौर, कोचीन (एयर), चेन्नई (एयर), चेन्नई (समुद्र), नोएडा (सीमा शुल्क),

सभी सीमा शुल्क क्षेत्र कार्यालयों द्वारा डीआईजीआईटी डेटाबेस का अद्यतन न करने से डीआईजीआईटी के कार्यान्वयन का उद्देश्य विफल हो गया। मंत्रालय न केवल 31 जुलाई 2018 तक निर्धारित लीगेसी डेटा की प्रविष्टि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलताओं पर ध्यान दे बल्कि दो वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नये मामलों की भी अप्रैल 2018 से दर्ज कराए तथा सुधारात्मक कार्रवाई करें।

डीआईजीआईटी के तहत परिकल्पित सीमा शुल्क अपराध के डेटाबेस को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

3.4.4.2 कॉल बुक मामलों में पाई गई अनियमितताएं

बोर्ड के संशोधित परिपत्र[41] में उन एससीएन को कॉल बुक में हस्तांतरित करने के लिए मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं, जहां विभाग ने अपील की हो, न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई हो, बोर्ड ने विशेष रूप से मामले को लंबित रखने और कॉल बुक में दर्ज करने का आदेश दिया हो, या मामला निपटान आयोग को भेजा गया हो। इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां माननीय न्यायालय द्वारा इसमें शामिल मुद्दे पर निर्णय लिया गया है और न्यायालय के ऐसे आदेश को अंतिम रूप दिया गया है वहां ऐसे मामलों को कॉल बुक से बाहर ले जाया जाएगा और अधिनिर्णय कर लिया जाएगा।

सीमा शुल्क की 25 आयुक्तालयों में 286 कॉल बुक मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि 07 आयुक्तालयों[42] में 8 मामले थे जिनका मौद्रिक मूल्य ₹28.93 करोड़ था, जिन्हें अप्रैल 2016 के बोर्ड के परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में समय पर समीक्षा के अभाव में कॉल बुक में गलत तरीके से रखा गया था (अगस्त 2016 से मई 2019)।

ऐसे दो मामले नीचे वर्णित किये गये है:

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली में, ₹81 लाख के लिए एक एससीएन मै. 'यू' न्यूज प्रिंट लिमिटेड को जारी किया (फरवरी 2018) जो अभी भी कॉल बुक में दर्शाया गया था (जनवरी 2020),

---

और जेएनसीएच-मुंबई के तहत चार आयुक्तालय (एनएस-I, एनएस-II, एनएस-III, एनएस-V) और सीमा शुल्क (निवारक) -लखनऊ, पश्चिम बंगाल की आयुक्तालय

[41] परिपत्र संख्या 162/73/95-सीएक्स दिनांक 14 दिसंबर 1995 जैसा कि परिपत्र दिनांक 28 मई 2003, 26 दिसंबर 2014 और 26 अप्रैल 2016 द्वारा संशोधित किया गया है।

[42] सीमा शुल्क आयुक्तालय-मुंद्रा, (आयात), दिल्ली, नोएडा, जेएनसीएच, मुंबई और कॉम ऑफ कस्टम्स (प्रीवी) भुवनेश्वर, पाराद्वीप सीमा शुल्क और लखनऊ

हालांकि निपटान आयोग ने जनवरी 2019 में अंतिम आदेश पारित किया था और पार्टी ने फरवरी 2019 तक सभी बकाया जमा कर दिया था।

(ii) इसी प्रकार, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुंबई में, ₹1.38 करोड़ के लिए मै. 'वी' ऑटोमोबाइल्स और मै. 'डब्ल्यू' सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को जारी किए गए दो एससीएन (अक्टूबर 2015 और नवम्बर 2017) कॉल बुक में थे, यद्यपि निपटान आयोग ने अपने आदेश (जुलाई 2018) पारित किए थे।

कॉल बुक मामलों की अपर्याप्त निगरानी के परिणामस्वरूप बोर्ड को गलत रिपोर्टिंग के साथ-साथ अधिनिर्णयन होने योग्य मामलों का अधिनिर्णयन भी नहीं हुआ।

यह विभाग के संज्ञान में लाया गया था (जनवरी/फरवरी 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.4.3 मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर)/मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) के माध्यम से रिपोर्टिंग का निगरानी तंत्र

बोर्ड ने परिपत्र संख्या 717/33/2003-सीएक्स दिनांक 23 मई, 2003 के माध्यम से सभी मुख्य कमिश्नरों/कमिश्नरों से अनुरोध किया था कि वे रिपोर्ट (एमटीआर/एमपीआर) भेजते समय विशेष रूप से लंबित मामलों और इससे जुड़े राजस्व से संबंधित आंकड़ों के संकलन में अत्यधिक सावधानी बरतें।

लेखापरीक्षा में चयनित 25 आयुक्तालयों में अभिलेखों की नमूना जांच की गई और 10 आयुक्तालयों[43] में अग्रलिखित विसंगतियाँ पाईं गईं:

क. एमपीआर में जारी किये गये एससीएन का न दर्शाया जाना

ख. एमपीआर में लंबित मामलों के प्रारम्भिक शेष और अंतिम शेष के बीच अंतर

ग. एमपीआर के विभिन्न भागों में डेटा का बेमेल होना

घ. एमपीआर के माध्यम से बोर्ड को जारी की गई एससीएन की गलत रिपोर्टिंग

यह इंगित किये जाने पर (नवंबर 2019), सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने कहा (मार्च 2020) कि आयुक्तालय जनवरी, 2018 में बनाई गई थी और

[43] सीमा शुल्क कमिश्नरियां-मुंद्रा, (एयर पोर्ट एंड एयर कार्गो) बेंगलुरु, एनसीएच- मंगलुरु, कोचीन समुद्री बंदरगाह, (आयात) एनसीएच दिल्ली, इंदौर, नोएडा, कॉम ऑफ कस्टम्स (प्रीवी)। - लखनऊ, पटना और पाराद्वीप कस्टम हाउस-भुवनेश्वर,

तत्कालीन सीमा शुल्क आयुक्तालय और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आंकड़ों को विभाजित करते हुए सीमा शुल्क आयुक्तालय के एमपीआर में कुछ विसंगतियां सामने आई थीं। वर्तमान में आंकड़े सही बताए जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई विसंगति को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि, एमपीआर और कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के बीच अभी भी विसंगतियां मौजूद हैं।

सहायक आयुक्त, पाराद्वीप डिवीजन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2019) कि इन मामलों में विसंगतियां मौजूद थीं क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर 2002 के दौरान सुरक्षात्मक एससीएन जारी किए गए थे और इन सभी मामलों को कॉल बुक में हस्तांतरित कर दिया गया था। 136 मामलों की केस फाइलें आसानी से उपलब्ध नहीं थीं/ट्रेस नहीं की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फाइलें गायब होने का यह मामला कभी उच्चाधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया। तदनुसार, इस मामले में शामिल राजस्व की वसूली की संभावना कम रह गई थी इसलिए इसकी जांच की आवश्यकता है।

शेष आयुक्तालयों से आगे की प्रतिक्रिया और उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2020)।

3.4.4.4 रजिस्टरों का रखरखाव

शुल्क के उचित उद्ग्रहण और वसूली के लिए, विभाग आरंभ से लेकर अंतिम वसूली जैसे एससीएन जारी करना, इसका अधिनिर्णयन, मांग और इसकी वसूली के लिए शुल्क मांग मामलों की निगरानी करने के लिए विभिन्न रजिस्टरों का रखरखाव करता है। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय एससीएन (अपुष्ट मांग रजिस्टर), पुष्टि की गई मांग रजिस्टर, अभियोजन के मामलों की निगरानी के लिए 335जे रजिस्टर आदि की निगरानी के लिए एससीएन नियंत्रण रजिस्टर जैसे रजिस्टर अनुरक्षित करते हैं।

08 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[44] में, यह देखा गया कि रजिस्टरों के रखरखाव में सभी क्षेत्र कार्यालयों द्वारा कोई समान प्रणाली नहीं अपनाई जा रही थी। रजिस्टरों में देखी गई विसंगतियों की कुछ श्रेणियां नीचे सूचीबद्ध की गई थीं:

क) एससीएन रजिस्टर बनाए नहीं गए थे या अधूरे थे

ख) पुष्ट मांग (ओआईओ) रजिस्टर बनाए नहीं गए थे या अधूरे थे

[44] सीमा शुल्क आयुक्तालय - (निर्यात) और (आयात) एनसीएच दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद, नोएडा, कोचीन सागर, कॉम ऑफ कस्टम्स (प्रीवी) - जोधपुर और पटना,

ग) लंबित मामलों का सार तैयार नहीं किया जा रहा था

घ) कॉल बुक रजिस्टर नहीं रखा गया था

यह इंगित किये जाने पर (नवंबर 2019), सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) जोधपुर ने उत्तर दिया कि कार्यालय का अधिकतर कार्य कंप्यूटर पर रखा गया था और इसकी प्रति हस्तगत रूप से रजिस्टर में चिपकाई जाती है। यह केवल लिपिकीय त्रुटि के कारण है कि इसे संबंधित रजिस्टर में चिपकाया नहीं गया। हालांकि संबंधित स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि वे रजिस्टर में प्रविष्टियां करते समय अधिक सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित करें कि एमपीआर जमा करने से पहले सभी प्रविष्टियां रजिस्टर में कर दी जाये।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को 'उचित अनुपालन के लिए नोट कर लिया' आश्वासन के साथ स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, एसी/डीसी स्तर पर केंद्रीकृत एससीएन/ओआईओ रजिस्टर को भविष्य में अनुरक्षित करने के लिए कहा है ।

शेष आयुक्तालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.4.5 आरए में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

ओएंडएम अनुदेश संख्या 11/2004 दिनांक 27-7-2004, जारी करने के परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन एवं ईसीए प्रभागों का पुनर्गठन किया गया है और ईसीए अनुभाग को अधिनिर्णयन के बाद की सभी गतिविधियों का जिम्मा सौंपा गया था। लाइसेंसिंग अनुभागों को एससीएन और अधिनिर्णयन जारी करने के और वसूली के लिए कदम उठाने के लिए चूककर्ताओं का विवरण ईसीए प्रभागों को अग्रेषित करना होगा।

(i) आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश जारी न करना

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आरए, मुंबई में 132 मामले एससीएन जारी करने के लिए उपयुक्त थे लेकिन उक्त एससीएन जारी करने के लिए लंबित थे। इसके अतिरिक्त, ऐसे उदाहरण भी मिले, जहां फैक्टशीट तैयार करने के बाद भी अधिनिर्णयन आदेश पारित नहीं किए गए।

ऐसा ही एक मामला नीचे बताया गया है:

एडीजीएफटी, मुंबई में, मोचन न किये गये ईपीसीजी लाइसेंसों के विश्लेषण से पता चला कि 132 ईपीसीजी ऐसे मामले थे जिनमें ₹130.56 करोड़[45] (बचत शुल्क राशि) का मौद्रिक मूल्य शामिल था, जहां एससीएन जारी किए गए थे, वहां पीएच किए गए थे और अधिनिर्णयन कार्रवाई के समापन के लिए फैक्ट शीट तैयार की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा के समय पर (दिसंबर 2019) किसी अधिनिर्णयन आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। फैक्टशीट तैयार करने में भी 218 दिनों से 1213 दिनों तक का समय लगा था, जैसा कि तालिका 3.6 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.6: फैक्ट शीट तैयार करने के बाद भी ओआईओ का लंबित मुद्दा

दिनों की संख्या	शामिल लाइसेंस की संख्या	शामिल मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में) एफओबी
एक वर्ष तक	126	1,038.21
1-2 वर्ष	0	0
2 वर्ष से अधिक	6	6.29
कुल	**132**	**1,044.50**

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, फैक्टशीट तैयार करने के बाद से नौ महीने से एक वर्ष के लिए ₹1,038.21 करोड़ के निर्यात मूल्य (एफओबी) से जुड़े 126 लाइसेंस लंबित थे। उपरोक्त ₹6.29 करोड़ के निर्यात मूल्य वाले छह लाइसेंसों से जुड़े मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थे, जिनमें अधिकतम तीन वर्ष से अधिक का लंबन है। इस तरह की देरी का कोई कारण या तर्क रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। ओआईओ के लिए फैक्ट शीट तैयार करने के बावजूद इतनी लंबी अवधि के लिए ओआईओ जारी न करने से निगरानी तंत्र की विफलता का संकेत मिलता है।

इसे विभाग (जनवरी 2020) के ध्यान में लाया गया था और उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

(ii) रजिस्टरों और एमआईएस रिपोर्ट पर अवलोकन

रजिस्टरों के रखरखाव और एमआईएस रिपोर्ट की सटीकता की जांच से पता चला कि 12 आरए में से पांच आरए की नमूना जांच में निम्नलिखित कमियां हैं:

[45] शुल्क बचाया राशि = (₹1,044.50 करोड़ 8 से विभाजित)

क) 2016-17 से 2018-19 के दौरान जारी किए गए एससीएन और ओआईओ के लिए रजिस्टर दो आरए (कानपुर और कोलकाता) में अनुरक्षित नहीं किये गये थे।

ख) दो आरए (जयपुर और बेंगलुरु) में यह देखा गया कि एमआईएस रिपोर्ट और लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए ओआईओ/एससीएन मामलों की सूची में क्रमश: 156 और 592 मामलों की विसंगतियां थी। आरए, जयपुर द्वारा सूचित मामलों में एमपीआर में आदि शेष और अंत शेष में विसंगतियां पाई गईं जबकि आरए, बेंगलुरु में एससीएन और अधिनिर्णयन मामलों में विसंगतियां पाई गईं।

ग) जेडीजीएफटी, कोचीन में, 2017-18 और 2018-19 की अवधि के दौरान 34 एससीएन के अधिनिर्णयन में लगाए गए जुर्माने को एमआईएस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.5 आरए और सीमा शुल्क के बीच समन्वय की कमी

वित्त मंत्रालय ने अपने निर्देश एफ नंबर 609/119/2020-डीबीके दिनांक 18 जनवरी 2011 में बताया गया था कि कुछ सीमा शुल्क कार्यालयों ने सूचित किया था कि विदेशी मुद्रा की वसूली न होने के कई प्रतिअदायगी मामलों में, एससीएन वापस आ गये थे क्योंकि प्राप्तकर्ता/पता मौजूद नहीं था। इसके मद्देनजर, निर्देश में अपेक्षित था कि आयुक्तालय को आरए के साथ नियमित रूप से संपर्क करने और नियमित अंतराल या संयुक्त समीक्षा बैठकों में ऐसे निर्यातकों के नामों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके और डीजीएफटी/सीमा शुल्क को गलत पते प्रस्तुत करने के लिए उनके आईई कोड रद्द किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, परिपत्र संख्या 16/2017-सीशु दिनांक 2 मई 2017 में यह भी निर्देश दिया गया है कि 18 जनवरी 2011 के एमओएफ अनुदेश में निर्धारित संस्थागत तंत्र का उपयोग लाइसेंस/प्राधिकार धारक द्वारा ईओ को पूरा न करने के मामलों का अनुसरण करने के लिए किया जाना चाहिए।

3.4.5.1 यह देखा गया कि आरए और सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रस्तुत ईपीसीजी लाइसेंसों के मोचन की स्थिति में विसंगतियां थीं। सीमा शुल्क आयुक्तालयों-चेन्नई समुद्र, एसीसी बेंगलुरु और जेएनसीएच मुंबई में नमूना जांच से पता चला है कि 128 लाइसेंस मामलों में जहां ईओ की अवधि खत्म हो गई थी, मामलों की सूचना संबंधित आरए को नहीं दी गई थी। इसके

अतिरिक्त, 19 मामले सीमा शुल्क की ओर से बंद थे और आरए के पास लंबित थे।

कुछ मामले नीचे बताये गये हैं:

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालयों-चेन्नई समुद्र और एसीसी बेंगलुरु में, 19 ईपीसीजी लाइसेंसों में ₹24.35 करोड़ बचत शुल्क सहित, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बांड रद्द कर दिए गए थे और मामलों को आयुक्तालयों द्वारा बंद कर दिया गया था। संबंधित आरए के साथ इन लाइसेंसों को प्रति सत्यापित करने पर यह देखा गया कि ये लाइसेंस अभी भी मोचित नहीं किये गये थे।

संबंधित जेडीजीएफटी से मोचन आदेश प्राप्त किए बिना सीमा शुल्क विभाग द्वारा ईपीसीजी लाइसेंस का निरस्तीकरण नियमानुसार नहीं था। विभाग इन लाइसेंसों के लिए जेडीजीएफटी द्वारा जारी किसी भी कमी पत्र (डीएल)/एससीएन/अधिनिर्णयन आदेशों पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं होगा जिसमें ईओ की पूर्ति न करने की दशा में आयात शुल्क की वसूली शामिल है।

उत्तर में सीमा शुल्क आयुक्तालय, एसीसी बेंगलुरु ने कहा कि:

क) एक मामले में विभाग ने स्वीकार किया कि एक भिन्न बांड गलती से बंद कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, तत्काल मामले में आयातक ने ईओ पूरा कर लिया था और डीजीएफटी को ईओडीसी के लिए आवेदन किया था जो 10 मार्च 2020 को जारी किया गया था।

ख) एक अन्य मामले में, विभाग ने उत्तर दिया कि डीजीएफटी ने अपने ईमेल दिनांक 3 अक्टूबर 2019 के माध्यम से पुष्टि की कि मोचन पत्र जारी किया गया है।

ग) आयातक के अनुरोध के आधार पर, एक और मामले में 17 मार्च 2017 को गलत बॉन्ड बंद कर दिया गया था। हालांकि, आयातक ने ईओ को पूरा कर लिया था और कार्रवाई के लिए डीजीएफटी को एक पत्र (14.02.2020) भेजा था।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि प्रत्येक लाइसेंस के लिए गारंटी के रूप में एक अलग बांड निष्पादित किया जाता है। आयातक के अनुरोध पर एक अलग बांड गलत बाँड को रद्द करना, या ईओडीसी के बिना बाँड को रद्द करना यह दर्शाता है कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित ईओ को पूरा करने की निगरानी के लिए उचित ध्यान नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, एक मामले में, जिसमें विभाग ने कहा कि

ईओडीसी जारी किया गया है, के सत्यापन पर यह देखा गया कि लाइसेंस से संबंधित विवरण डीजीएफटी के ईओडीसी डेटाबेस में (वेबसाइट, eodc.online) उपलब्ध नहीं थे।

तथ्य यह है कि विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बाद ही लाइसेंसधारक के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जो निगरानी प्रणाली की अपर्याप्तता को इंगित करता है।

अन्य आयुक्तालय से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

(ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय (समुद्र) चेन्नई में, 57 ईपीसीजी लाइसेंसों के संबंध में, जिसमें ₹162.81 करोड़ बचत शुल्क राशि शामिल थी, जहां ईओ की अवधि समाप्त हो गई थी, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई जानकारी से यह देखा गया कि ये लाइसेंस आयुक्तालय के ईपीसीजी लाइसेंस मास्टर डेटा में उपलब्ध नहीं थे। प्रदत्त जानकारी गलत थी क्योंकि आईसीईएस प्रणाली में 10 मामलों की नमूना जांच से पता चला है कि इन लाइसेंसों का उपयोग आयात करने के लिए चेन्नई समुद्र सीमा शुल्क के माध्यम से किया गया था।

(iii) सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच मुंबई में, मै. 'एक्स' इंटरनेशनल (इंडिया) में ₹4.84 लाख के बचत शुल्क सहित एससीएन को अगस्त 2018 में अधिनिर्णयन दिया गया था; जबकि लाइसेंस को मुंबई के एडीजीएफटी ने दिसंबर 2016 में पहले ही मोचित कर दिया था।

इसी प्रकार, ₹43.40 करोड़ के मौद्रिक मूल्य से जुड़े 11 मामलों में, एससीएन (जनवरी 2017 से फरवरी 2019) को सीमा शुल्क विभाग द्वारा 10 महीने से लेकर 36 महीने तक की अवधि से बंद नहीं किया गया था, यद्धपि पार्टियों ने या तो ईओडीसी और या एडीजीएफटी, मुंबई द्वारा जारी ईओ अवधि के विस्तार का प्रमाण प्रस्तुत किया था।

(iv) डीजीएफटी ने ईओडीसी निगरानी प्रणाली[46] शुरू की, जो पब्लिक पोर्टल में उपलब्ध है, ताकि निर्यातकों को ईओडीसी जारी करने के संबंध में उनके आवेदन की स्थिति जानने में सुविधा हो सके।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच मुंबई में, ₹41.77 करोड़ से जुड़े 41 मामलों में, अगस्त 2017 से फरवरी 2019 के दौरान जारी किए गए एससीएन को सीमा शुल्क विभाग द्वारा बंद नहीं किया गया था। यद्यपि, डीजीएफटी

[46] ट्रेड नोटिस सं. 1/2018-19 दिनांक 4.4.2018

के अग्रिम/ईपीसीजी प्राधिकार मॉड्यूल के लिए ईओडीसी निगरानी प्रणाली के अनुसार ईओडीसी जारी किए जाने की बात कही गई थी। चूंकि, यह जानकारी पब्लिक पोर्टल में उपलब्ध है, इसलिए सीमा शुल्क विभाग डीजीएफटी में ईओ की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकता था।

संस्थागत तंत्र के माध्यम से सीमा शुल्क और आरए के बीच ईओ निगरानी सूचनाओं के आदान-प्रदान के निर्देश/स्थायी आदेश होने के बावजूद कोई संस्थापित तंत्र नहीं है और विभाग स्वतंत्र ढांचे के रूप में कार्य करते रहे हैं।

आरए की निगरानी को बढ़ाने की आवश्यकता है। सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी के ईओडीसी निगरानी प्रणाली के बीच समन्वय में सुधार की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.5 निष्कर्ष

एससीएन जारी करने और सीमा शुल्क आयुक्तालयों में अधिनिर्णयन प्रक्रिया की लेखापरीक्षा में पूर्व नोटिस परामर्श (पीएनसी) स्तर से अधिनिर्णयन आदेशों के जारी होने और समीक्षा आदेशों की अनुवर्ती कार्यवाही तक विभिन्न स्तरों पर अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अननुपालन का पता चला।

एक तरफ, लाइसेंस धारक को ईओ के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए एक सरल पत्र जारी करने के बजाय एससीएन जारी किए गए थे और दूसरी तरफ, एससीएन को निर्धारित अवधि के भीतर जारी करने में विफलता ने उन्हें कालातीत बना दिया। अधिनियम की धारा 28(4) के अंतर्गत विस्तारित समय को उन मामलों में भी लागू किया गया था, जहां एससीएन को अधिनियम की धारा 28(1) के अंतर्गत सामान्य अवधि के भीतर जारी किया जाना था।

सेज़ के मामले में, तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन न करने के कारण अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा एससीएन को ड्रॉप करने के साथ-साथ डीसी द्वारा एससीएन के जारी करने में हुई देरी को देखा गया।

एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में, एससीएन को जारी करने और उनके अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित समय-सीमा के प्रावधानों के न होने में चूककर्ताओं के खिलाफ तेजी से कार्यवाही करने के लिए आरए और डीसी के प्रशासनिक प्राधिकारियों के पास विवेकाधिकार रहने दिया और सरकारी राजस्व

की वसूली में परिहार्य देरी हुई। आरए द्वारा एससीएन जारी करने में उल्लेखनीय देरी देखी गई हालांकि ईओ अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी जिसमें ऐसे भी मामले शामिल थे जहां ईओ अवधि, 2 से 11 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी।

एससीएन निर्धारित समय सीमा से बाद अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे जिसमें निर्धारित समय सीमा से बाद अधिकतम लम्बन 182 महीने का था बावजूद इसके कि एससीएन के अधिनिर्णयन की समय-सीमा अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्धारित थी। उन मामलों में भी जहां अधिनिर्णयन पूरा हो गया था, लंबित मामलों में 37 प्रतिशत मामले जो कुल राजस्व का 32 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते है, काफी देरी थी व उनका अधिनिर्णयन 6 महीने से भी अधिक की देरी से हुआ। अनुमेय संख्या से परे पीएच दिया गया था और अंतिम पीएच के बाद भी अधिनिर्णयन आदेश के जारी करने में देरी देखी गई थी, जिसके कारण राजस्व का परिहार्य अवरोधन हुआ। आरयूडी के अभाव में जोकि एससीएन जारी करने की एक बुनियादी आवश्यकता है, एससीएन, अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे।

एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में, पीएच के निर्धारण के संबंध में, निर्धारित प्रावधानों के अभाव में, यह देखा गया कि डीसी, संख्या की सीमा के बगैर, पीएच उपलब्ध करा रहे थे, जिससे अधिनिर्णयन में देरी हो रही थी।

जबकि अधिनिर्णयन प्रक्रिया स्वय: ही देरी से त्रस्त थी, सीमा शुल्क आयुक्तालय और आरए दोनों में ही अधिनिर्णयन आदेशों की अनुवर्ती कार्यवाही में भी कमियां देखी गई।

डीआईजीआईटी को 1 अप्रैल 2018 से सीमा शुल्क अपराधों के एक पूर्ण डेटाबेस बनाने के उद्देश्य के साथ अनिवार्य बना दिया, जो आंशिक रूप से कार्यात्मक पाया गया था।

सीमा शुल्क आयुक्तालयों में महत्वपूर्ण निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में भी खामियों को देखा गया जैसे मासिक प्रगति रिपोर्ट में डेटा संबंधी विसंगतियां, अपूर्ण एससीएन और पुष्ट मांग रजिस्टर । तथ्य शीट तैयार करने के बावजूद अधिनिर्णयन आदेश जारी न करने से आरए की शिथिल निगरानी स्पष्ट होती है।

सीमा शुल्क विभाग और आरए द्वारा प्रस्तुत निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) लाइसेंसों के मोचन की प्रास्थिति में विसंगतियों को देखा गया। यह भी देखा गया कि सीमा शुल्क विभाग, डीजीएफटी के ईओडीसी निगरानी

प्रणाली जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, पर उपलब्ध निर्यात बाध्यता निर्वहन प्रमाण-पत्र (ईओडीसी) विवरणों का उपयोग नहीं कर रहा था, जिससे उन मामलों में भी एससीएन को बंद नहीं किया जा सका जहां डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी प्रदान किया गया था। इस प्रकार, इओ निगरानी पर स्थायी आदेश और संस्थागत तंत्र के माध्यम से सीमा शुल्क और आरए के बीच सूचना साझा करने के बावजूद वहां कोई भी स्थापित तंत्र मौजूद नहीं है और विभाग का स्वतंत्र ढांचे के रूप में कार्य करना जारी है।

सिफारिशें:

(i) ***मंत्रालय एफटीडीआर अधिनियम,* 1992 *में एससीएन जारी करने और स्थगित करने के लिए विशिष्ट समय सीमा प्रदान करने पर विचार कर सकता है***

(ii) ***एससीएन का जवाब देने के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता को उचित अवसर देने और असीमित पीएच की अनुमति देने के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी के असीमित विवेकाधिकार का प्रतिबंध संबंधी प्रावधान का व्याख्यान, एफटीडीआर अधिनियम,*** 1992 ***में भी, सीमा शुल्क अधिनियम की तर्ज पर अनुमेय पीएच संख्या को शामिल करने की आवश्यकता है।***

(iii) ***निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अधिनियम के अनुसार एससीएन को जारी और अधिनिर्णन करने पर उचित और समय पर कार्रवाई की।***

(iv) ***अधिनियम की अनुचित धारा के तहत एससीएन जारी करने सहित अनियमितताओं के मामलों की विस्तार से जांच की जा सकती है और भूल और चूक की त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है।***

(v) ***डीआईजीआईटी के तहत परिकल्पित सीमा शुल्क अपराध के डेटाबेस को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।***

(vi) ***आरए की निगरानी को बढ़ाने की आवश्यकता है। सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी के ईओडीसी निगरानी प्रणाली के बीच समन्वय में सुधार की आवश्यकता है।***

(vii) ***जैसा कि लेखापरीक्षा ने केवल मामलों के एक नमूने की जाँच की है, विभाग अन्य सभी मामलों की भी जाँच कर सकता है और प्रणालीगत कमियों को पहचान सकता है।***

अध्याय IV

सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अननुपालना

4.1 भारत में पोत/विमान में आयातित माल पर सीमा शुल्क लागू होता है और जब तक कि ये आगमन बंदरगाह/हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क निकासी के लिए नहीं होते हैं तथा इन्हे किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर पारगमन करना होता है, आयातकों को उतारे गए माल की विस्तृत सीमा शुल्क निकासी औपचारिकताओं का पालन करना होगा। आयातक को कार्गो, आयातित टैरिफ वर्गीकरण और लागू शुल्क व अन्य आवश्यक जानकारी का विवरण देने के लिए एक बीई दर्ज करना आवश्यक है। स्व-निर्धारण के अंतर्गत, बीई को आईसगेट[47] के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जा सकता है जिसे भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली, आईसीईएस[48] के रूप में जाना जाता है; । गैर-ईडीआई प्रणाली में, बीई को आयातक द्वारा दस्तावेजों के एक निर्धारित सेट के साथ मैन्युअल रूप से दायर किया जाता है।

4.2 सीमा शुल्क प्राधिकरणों का निर्धारण कार्य विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत दावा की गई किसी भी छूट या लाभों पर उचित ध्यान देते हुए शुल्क देयता का निर्धारण करना है। उन्हें यह भी जांचना होगा कि क्या आयातित वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध या निषेध है और यदि उन्हें किसी अनुमति/लाइसेंस/परमिट आदि की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या इन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। शुल्क के निर्धारण में अनिवार्य रूप से सीमा शुल्क टैरिफ में आयातित वस्तुओं का उचित वर्गीकरण, व्याख्याओं, अध्याय और खंड नोट आदि के नियमों का ध्यान रखना और शुल्क देयता का निर्धारण करना शामिल है। इसमें मूल्य का सही निर्धारण भी शामिल है; जहां माल का मूल्यांकन यथा मूल्य आधार पर निर्धारणीय है।

---

[47]आइसगेट का अर्थ है भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे। आईसगेट एक वेब आधारित पोर्टल है जिसके माध्यम से विभाग बीई (आयात वस्तुओं की घोषणा), शिपिंग बिल (निर्यात वस्तुओं की घोषणा), ई-भुगतान, ऑन-लाइन पंजीकरण की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सहित कई सेवाएं प्रदान करता है। सीमा शुल्क व्यवसाय से संबंधित विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों/जानकारी के लिए एक डेटा और लिंक है।

[48] भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के दो पहलू हैं: (i) एक व्यापक, पेपरलेस, पूरी तरह से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली के लिए कस्टम हाउस का आंतरिक स्वचालन (ii) आईगेट के माध्यम से आयात और निर्यात कार्गो की सीमा शुल्क निकासी से संबंधित व्यापार, परिवहन, बैंको और नियामक एजेंसियों के साथ ऑनलाइन, रियल टाईम इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस।

4.3 सीमा शुल्क हाऊस सर्विस सेंटर या वेब आधारित आईसगेट के माध्यम से आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए गए बीई आईसीईएस द्वारा आरएमएस[49] को प्रेषित किए जाते हैं। आरएमएस स्वचालित चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से डेटा को संसाधित करता है और परिणाम इलेक्ट्रॉनिक निर्धारण के रूप में प्राप्त होता है। यह निर्धारण निर्धारित करता है कि क्या बीई पर कार्रवाई की जाएगी अर्थात निर्धारण अधिकारी द्वारा मैन्यूल मूल्यांकन या माल की जांच, या दोनों, या शुल्क के भुगतान के बाद निकासी और सीधे निकासी या बिना किसी निर्धारण और जांच के मंजूरी दे दी जाएगी। जहां आवश्यक हो, आरएमएस मूल्यांकन अधिकारी, जांच अधिकारी या निकासी अधिकारी के लिए निर्देश प्रदान करेगा। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आरएमएस आधारित आईसीईएस और/या मूल्यांकन के माध्यम से आयातों की निकासी की प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छूट प्रदान किए जाने से पहले लागू अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों को पूर्णत: पूरा किया गया हो।

4.4 आईसगेट की पूर्णत: स्वचालित प्रक्रियाओं ने व्यापक और कागजरहित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुगम बनाया है। विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों में सृजित अखिल भारतीय संव्यवहार डेटा सीबीआईसी के अंतर्गत प्रणाली निदेशालय (डीजी/प्रणाली) में बनाए गए एक केंद्रीकृत डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है।

वि.व. 19 के लिए आयात और निर्यात संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अखिल भारतीय डेटा (जून 2019) बार-बार अनुरोध के बावजूद भी प्राप्त नहीं हुआ। अखिल भारतीय संव्यवहारिक डेटा के अभाव में आईसीईएस के सीआरए मॉड्यूल इंटरफेस के माध्यम से लेखापरीक्षा कराई गई, जिसकी अपनी सीमाएं थीं। इस अध्याय में अनुपालन लेखापरीक्षा पर निष्कर्ष 48 आयुक्तालयों के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा सीमित लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष 2017-18 के आयात डेटा के डेटा विश्लेषण पर आधारित थे।

[49] जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक आईटी संचालित प्रणाली है, जिसके प्राथमिक उद्देश्य सुविधा और प्रवर्तन के बीच इष्टतम संतुलन बनाना और सीमा शुल्क मंजूरी में स्व:-अनुपालन की प्रवृति को बढ़ावा देना है। यह व्यापार लेनदेन से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए प्रासंगिक मानदंडों की पहचान करने के लिए अर्थव्यवस्थापूर्ण मॉडलिंग का उपयोग करता है और प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से मानदंड लागू करता है तथा जोखिम और उपलब्ध संसाधनों के स्तर के अनुसार सीमा शुल्क हस्तक्षेप के स्तर को निर्धारित करता है।

4.5 लेखापरीक्षा नमूना

2018-19 के दौरान कुल 1.22 करोड़ बीई और 1.34 करोड़ के एसबी तैयार किए गए, जिनमें से लेखापरीक्षा ने 4.09 लाख बीई (3.35 प्रतिशत) और 2.21 लाख एसबी (1.65 प्रतिशत) के नमूने का चयन किया। सीमा शुल्क आयुक्तालयों में दस्तावेजों की जांच के दौरान ₹10 लाख या उससे अधिक राजस्व निहितार्थ वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (69 मामले) को इस अध्याय में शामिल किया गया है।

दिसंबर 2019 से मई 2020 के दौरान मंत्रालय को भेजे गए नमूना जांच के निष्कर्षों के आधार पर, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के आयात आंकड़ों का विश्लेषण किया और पूर्ण संव्यवहारों की कुल संख्या पर जोखिम निर्धारित किया। डेटा विश्लेषण के निष्कर्षों को संबंधित पैराग्राफ में शामिल किया गया है।

4.6 लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये अधिनियम, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं आदि के अननुपालन के मामलों को वृहद रूप से निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है:

I. अधिसूचनाओं का गलत उपयोग **(पैराग्राफ 4.7 से 4.9)।**

II. आयात का गलत वर्गीकरण **(पैराग्राफ 4.10)।**

III. लागू उद्ग्रहण और अन्य शुल्कों का गलत उद्ग्रहण **(पैराग्राफ 4.11 और 4.12)।**

4.7 अधिसूचनाओं का गलत लागू किया जाना

जनवरी 2016 से मार्च 2019 के अवधि दौरान ₹55,031 करोड़ मूल्य के माल के आयात के लिए 39,816 बीई में से ₹2,378 करोड़ मूल्य के आयात के लिए 1,848 बीई की नमूना जाँच की गई जिसमें 11 मामलों (51 बीई) में विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुचित लागू किये जाने की अनियमितताओं का पता चला, जिनमें से प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व शामिल था। कुल राजस्व निहितार्थ ₹4.93 करोड़ था। ₹10 लाख से कम मूल्य की अधिसूचनाओं के अनुचित लागू किये जाने के अलग-अलग मामलों को स्थानीय आयुक्तालयों को क्षेत्रीय निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से सूचित किया गया है। विभाग ने सभी 11 मामलों को स्वीकार किया और ₹3.52 करोड़ की वसूली की जिसमें ब्याज भी शामिल था। तीन मामलों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है और शेष मामलों को **अनुबंध 6** में शामिल किया गया है।

4.7.1 अधिसूचना के गलत लागू किये जाने के कारण आई फोन्स (स्मार्ट फोन्स) के आयात पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण

अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत घरेलू खपत के लिए प्रविष्ट माल के मामले में, किसी भी आयातित माल पर लागू शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर उस तारीख को प्रभावी दर और मूल्यांकन होगा जिस तारीख को अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत ऐसे माल के संबंध में प्रस्तुत किया गया हो। यदि बीई, पत्तन की आवक प्रविष्टि की तारीख से पहले प्रस्तुत की गई हो, तो बीई को ऐसी आवक प्रविष्टि की तरीख को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, 14 दिसंबर 2017 की अधिसूचना संख्या 91/2017-सीमा शुल्क (बीसीडी) के अनुसार, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 85171290 के अंतर्गत आने वाले क्र.सं.(ए)(ii) 'आई फोन (स्मार्ट फ़ोन्स)' पर 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगता है।

मेसर्स 'ए' इंडिया प्रा.लि. ने सीटीएच 85171290 के अंतर्गत मुंबई के सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुम्बई के माध्यम से 'एए' इंटरनेशनल, आयरलैंड से 'आई फोन (स्मार्ट फोन)' (सात बीई) का आयात किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि बीई 13 फरवरी 2017 को दाखिल किए गए थे और माल की इन सभी बीई की आवक प्रविष्टि की तारीख 14 दिसंबर 2017 थी। तदनुसार, अधिनियम की धारा 15 के परंतुक के अनुसार, इन मामलों में, आवक प्रविष्टि की तारीख को शुल्क का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार, 14 दिसंबर 2017 को 15 प्रतिशत की दर से पूर्वोक्त अधिसूचना के अंतर्गत बीसीडी 14 दिसंबर को लगाया जाना चाहिए। हालांकि विभाग ने 15 प्रतिशत की बजाय बीसीडी की कम दर अर्थात 10 प्रतिशत अपनाकर माल का निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.11 करोड़ की बीसीडी और ₹0.13 करोड़ की आईजीएसटी का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ। इसके लिए आयातकों से लागू ब्याज के साथ वसूली जरूरी थी।

इसे बताये जाने पर (अगस्त 2018) विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया और ₹1.39 करोड़ के विभेदक शुल्क की वसूली, सूचित की (अक्टूबर 2018) जिसमें ₹0.15 करोड़ का ब्याज भी शामिल था।

4.7.2 'कैमरा मॉड्यूल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली' को दी गयी गलत छूट पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण

बीसीडी का छूट लाभ 'प्रिंटेड सर्किट असेंबली और कैमरा' को तब तक उपलब्ध था जब तक कि इसे अधिसूचना संख्या 57/2017-सीयुएस दिनांक 30 जून 2017 की क्र.सं. 6(ए) जो 37/2018-सीयुएस दिनांक 02 अप्रैल 2018 द्वारा संशोधित की गयी, के अनुसार छूट लाभ से हटा नहीं दिया गया। तदनुसार, 2 अप्रैल 2018 से 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी आयातित माल 'कैमरा मॉड्यूल एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली' पर उद्ग्राहय है।

मैसर्स 'बी' इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. और तीन अन्य ने 'कैमरा मॉड्यूल एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली' (11 बीई) को सीटीएच 85177010, 85258020 और 85177090 के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए आयात किया (अप्रैल 2018)। इन मामलों में बीई आवक प्रविष्टि तारीख (2 अप्रैल 2018 से 04 अप्रैल 2018) से पहले 31 मार्च 2018 और 1 अप्रैल 2018 को अग्रिम रूप से दाखिल किए गए थे। तथापि, विभाग ने आवक प्रविष्टि तारीख के बजाय बीई की तारीख को शुल्क अवधारण तारीख के रूप में मानते हुए निर्धारण किया और अधिसूचना संख्या 57/2017-सी.शु. क्र.सं. 6(ए) के अंतर्गत बीसीडी से छूट प्रदान की। बीसीडी का आवक प्रविष्टि तारीख अर्थात 2 अप्रैल 2018 को निर्धारण किया जाना चाहिए और 10 प्रतिशत की दर से लागू किया जाना चाहिए। अधिसूचना लाभ के गलत दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹91.27 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जिसे लागू ब्याज के साथ आयातकों से वसूल किया जाना आवश्यक था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, दिल्ली ने सूचित किया (मई 2019) कि तीन बीई ₹73.79 लाख के विभेदक शुल्क की आंशिक वसूली की गई, जिसमें में ₹8.76 लाख की ब्याज राशि भी शामिल थी और शेष आठ बीई के संबंध में जारी (अप्रैल 2019) पूर्व नोटिस परामर्श पत्र जारी किए।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

4.7.3 न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) से से कम पर प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात

डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 38/2015-2016 दिनांक 5 फरवरी 2016 के अनुसार, सीटीएच 72085110 के अंतर्गत वर्गीकरणीय 10 एमएम से अधिक मोटाई के प्राइम हॉट रोल्ड स्टील प्लेट के आयात पर, 500 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) की एमआईपी लागू है। इसके अतिरिक्त डीजीएफटी ट्रेड नोटिस नंबर 17/2016 दिनांक 10 फरवरी 2016 में स्पष्ट किया गया है कि 5 फरवरी 2016 को या उसके बाद प्रभावित आयात को निर्धारित अमरीकी डालर इकाई मूल्य से कम पर भारत में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाएगा।

16 फरवरी 2016 को, मैसर्स 'सी' स्टील्स ने सीटीएच 72085110 के अंतर्गत 10 से 63 एमएम तक की मोटाई की प्राइम हॉट रोल्ड स्टील प्लेट के एक बीई का आयात किया, जिसमें माल की कीमत 295 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) से 380 अमरीकी डालर पीएमटी के रूप में घोषित की गई। आरएमएस द्वारा चिह्नित किए जाने पर निर्धारण और जाँच के बाद विभाग ने घोषित कीमत स्वीकार करते हुए माल की निकासी की (फरवरी 2016)। लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2017) से पता चला कि आयातित माल के लिए 500 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के एमआईपी को पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार नहीं अपनाया गया था। इसलिए, माल का निर्धारण करने के लिए निर्धारित एमआईपी को न अपनाने के परिणामस्वरूप ₹1.15 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। इसे लागू ब्याज के साथ आयातक से वसूली करना जरूरी था।

यह इंगित किए जाने पर (फरवरी 2017), विभाग ने बताया (जनवरी 2019) कि एफटीडीआर अधिनियम 1992 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत आयातक को एससीएन जारी किया गया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

डीजीएफटी के स्पष्टीकरण के होते हुए भी कि निर्धारित अमरीकी डॉलर इकाई मूल्य से कम पर 05 फरवरी 2016 को या उसके बाद किए गए आयात को भारत में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाएगा, सीमा शुल्क विभाग ने इन प्रतिबंधित माल को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी। स्वचालित प्रणाली और आरएमएस में वैधीकरण नियंत्रण के रूप में इस प्रणालीगत चूक पर मंत्रालय (मई 2020) से टिप्पणी मांगी गयी थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

4.8 आईजीएसटी अधिसूचनाओं के अंतर्गत कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण

सभी आयातों को आईजीएसटी अधिनियम के अनुसार अंतर-राज्यीय आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और तदनुसार लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयातों पर आईजीएसटी उगृहीत किया जाएगा। भारत में आयातित माल पर आईजीएसटी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार उद्गृहित होगा जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर उस समय लगाया जाएगा, जब सीमा शुल्क लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कुछ विलासिता और डी-मेरिट्स माल पर भी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर उद्ग्राह्य है।

आईजीएसटी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 (यथा संशोधित) की अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लगाया जाता है। आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा आयात पर आईजीएसटी के उद्ग्रहण में छूट दे सकती है।

आईजीएसटी छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले दस[50] सीमा शुल्क क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से जुलाई 2017 (जब जीएसटी लागू किया गया था) से दिसंबर 2018 के दौरान 36,861 बीई के अंतर्गत ₹5,726 करोड़ का आयात किया गया था। इनमें से, ₹2,754 करोड़ (48 प्रतिशत) मूल्य के आयात के 5,135 बीई (14 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई। इस नमूना जाँच में, लेखापरीक्षा में लागू आईजीएसटी के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण 21 मामलों (485 बीई) को देखा गया, जिनमें प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व शामिल है, जिसमें कुल राजस्व निहितार्थ ₹9.15 करोड़ है। 21 मामलों में से विभाग ने ₹7.20 करोड़ के राजस्व वाले 19 मामलों को स्वीकार किया है और 19 मामलों में ₹7.51 करोड़ की वसूली की है जिसमें ब्याज भी शामिल है।

आगामी पैराग्राफों में पांच मामलों पर चर्चा की गयी है और शेष मामलों का उल्लेख **अनुबंध 7** में किया गया है।

[50] एसीसी, बेंगलुरु, चेन्नई (सी), एसीसी-चेन्नई, एसीसी-मुंबई, एसीसी-एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो, मुंबई, आईसीडी-गढ़ी हरसरू, आईसीडी-रेवाड़ी, आईसीडी-तुगलकाबाद, एनसीएच-दिल्ली और कस्टम हाउस-पिपाव, जामनगर)

2017-18 की अवधि के आयात डेटा के विश्लेषण से 38 सीमा शुल्क पत्तनों[51] के माध्यम से आयातित 1161 अनुरूप परेषणो में आईजीएसटी के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण का पता चला। ₹19.72 करोड़ की राशि के राजस्व का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.8.1 'लिथियम आयन सेल' के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

आईजीएसटी पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची IV के क्र.सं. 139 के अंतर्गत 'लिथियम आयन सेल' पर 28 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राह्य है।

मैसर्स 'डी' इंडिया लिमिटेड और दो अन्य ने सीटीएच 85076000 (12 बीई) के अंतर्गत सीमा शुल्क आयुक्तालय, पटपड़गंज, दिल्ली के अधीन आईसीडी गढ़ी हरसरू के माध्यम से 'लिथियम आयन सेल' का आयात किया। विभाग ने 18 प्रतिशत की दर (अनुसूची III क्र.सं. 376ए) से आईजीएसटी लगाते हुए आयातों की निकासी की। 'लिथियम आयन सेल (लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण के भाग)' होने के नाते माल अनुसूची IV (क्र.सं. 139: लिथियम आयन बैटरी से इतर) के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरणीय था। तदनुसार, आयातित माल पर 28 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लागू था। इस प्रकार, 28 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत की कम आईजीएसटी दर को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹1.27 करोड़ की आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ।

[51] मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), नहवा शेवा सी (आईएनएनएसए1), आईसीडी तुगलकाबाद (आईएनटीकेडी6), बेंगलुरू एयर कार्गो (आईएनबीएलआर4), चेन्नई एयर कार्गो (आईएनएमएए4), कोयंबटूर (आईएनसीजेबी4), कोचीन एयर कार्गो (आईएनसीओके4), आईसीडी पटपड़गंज (आईएनपीपीजी6), आईसीडी गढ़ी हरसरू (आईएनजीएचआर6), आईसीडी थार ड्राई पोर्ट-अहमदाबाद (आईएनएसएयू6), कोलकाता सी (आईएनसीसीयू1), आईसीडी बेंगलुरू (आईएनडब्लूएफडी6), आईसीडी साहनेवाल कैंच (आईएनएसएनआई6), वाईजेक सी (आईएनवीटीजेड1), मुंद्रा (आईएनएमयूएन1), आईसीडी दादरी-एसटीपीएल (सीएफएस (आईएनएसटीटी6), दादरी-एसीपीएल (सीएफएस (आईएनएपीएल6), कोलकाता एयर कार्गो (आईएनसीसीयू4), आईसीडी सचिन-सूरत (आईएनएसएसी6), हैदराबाद (आईएनएसएनएफ6), बड़ौदा (आईएनबीआरसी6), कृष्णपट्टनम (आईएनकेआरआई1), अहमदाबाद एयर कार्गो (आईएनएएमडी4), लुधियाना (आईएनएलडीएच6), अहमदाबाद (आईएनएसएजे6), कनकपुरा-जयपुर आईसीडी (आईएनकेकेयू6), आईसीडी साहनेवाल जीआरएफएल (आईएनएसजीएफ6), हैदराबाद एयर कार्गो) आईएनएचवाईडी4, तिरुवल्लूर-आईएलपी आईसीडी (आईएनआईएलपी6), नोएडा-दादरी-आईसीडी (आईएनडीईआर6), साबरमती आईसीडी (आईएनएसबीआई6), फरीदाबाद (आईएनएफबीडी6), दादरी-सीजीएमएल (आईएनसीपीएल6), पांची गूजरन/सोनीपत आईसीडी (आईएनबीडीएम6), मुंबई सी (आईएनबीओएम1) , पिपावाव (विक्टर) पोर्ट (आईएनपीएवी1)

इसे बताए जाने पर (जनवरी 2019), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए ₹1.40 करोड़ के विभेदक शुल्क की वसूली सूचित की (जुलाई 2019) जिसमें ₹13 लाख का ब्याज शामिल था।

इन मामलों के अतिरिक्त डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान तीन सीमा शुल्क पत्तनों[52] के माध्यम से किए गए 'लिथियम आयन सेल' के 10 अन्य आयातों में आईजीएसटी को 28 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 18 प्रतिशत पर लगाया गया था। इनमें शुल्क निहितार्थ ₹68 लाख था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला मंत्रालय (अगस्त 2020) को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.8.2 पेन/पेंसिल के भागों के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

सीटीएच 9608/9609 के अंतर्गत वर्गीकरणीय पेन/पेंसिल पर 12 प्रतिशत (अनुसूची II क्र.सं. 232/233) की दर पर आईजीएसटी उद्ग्रहय है। हालांकि "पेन/पेंसिल के भाग" पर 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगाया जाता हैं (अनुसूची III के क्र.सं. 453)।

मेसर्स 'ई' इंटरनेशनल लिमिटेड ने सीटीएच 9608 के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए 'पेन/पेंसिल के भाग' (21 बीई) का आयात किया। विभाग ने 12 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगाने के बाद उनकी निकासी की (अनुसूची II क्र.सं. 232/233)। 'एडाप्टर/रेगुलेटर्स (पेन/पेंसिल के भाग) होने के नाते माल अनुसूची III (क्र.सं. 453) के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरणीय थे और न कि अनुसूची II (क्र.सं. 232/233) के अंतर्गत। इसलिए, माल पर 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी को लगाया जाना था और न कि 12 प्रतिशत पर जैसाकि लागू किया गया। इस प्रकार, लागू 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत की कम आईजीएसटी दर को अपनाने के कारण ₹1.27 करोड़ के आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और आयातक से ₹39.69 लाख के विभेदक शुल्क की आंशिक वसूली सूचित की (मई 2019) जिसमें ₹8.09 लाख की ब्याज राशि शामिल थी। शेष राशि की वसूली प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

[52] दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल), एनएचइवीए शेवा सी (आईएनएनएसए1), आईसीडी पड़पड़गंज (आईएनपीपीजी6)

आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से पता चला कि तीन सीमा शुल्क पत्तनों[53] के माध्यम से आयातित 'पेन/पैंसिल के भाग' के 11 अन्य आयातों में आईजीएसटी को 18 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 12 प्रतिशत पर लगाया गया था। इनमें शुल्क निहितार्थ ₹1.12 करोड़ था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.8.3 फार्मास्युटिकल उत्पादों के आयात पर आईजीएसटी की अनुचित छूट

जब सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय, केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या प्रयोगशाला द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी उपस्करों, उपकरण, सहायक उपकरणों और उपभोज्य सामग्रियों जो अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क दिनांक 23.07.1996 में निर्दिष्ट है का आयात किया जाता है, तो इन पर 15 नवंबर 2017 से पांच प्रतिशत की दर से आईजीएसटी उद्ग्राह्य है, (अधिसूचना संख्या 47/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 14 नवंबर 2017 जिसमें अधिसूचना संख्या 10/2018 दिनांक 25 जनवरी 2018 द्वारा संशोधन किया गया)। पूर्व में, इन संगठनों द्वारा आयात को अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क के अंतर्गत आईजीएसटी लगाने से छूट दी गई थी।

मैसर्स 'एफ' फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा एक अन्य ने विभिन्न दवाओं और फार्मास्युटिकल उत्पादों (107 बीई) विभिन्न देशों से (i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी) मुंबई, और (ii) एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो, कूरियर सेल, मुंबई के माध्यम से आयात किया था (15 नवम्बर 2017 से 31 मार्च 2018)। आयातकों ने 23 जुलाई 1996 की अधिसूचना संख्या 51/96 के अंतर्गत आईजीएसटी छूट का दावा किया था, जिसे विभाग द्वारा अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी। दिनांक 14 नवंबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार, आईजीएसटी 15 नवंबर 2017 से आयातित माल पर 5 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहाय था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप आयातित माल पर ₹99.09 लाख का आईजीएसटी नही लगाया गया।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि अधिसूचना संख्या 51/96 के विरुद्ध उसी अवधि के दौरान कुल ₹16.15 करोड़ की अतिरिक्त राशि का बचत शुल्क के रूप में दावा किया गया था।

[53] मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), चेन्नई एयर कार्गो (आईएनएमएए4)

इसे बताए जाने पर (जून/नवंबर 2018/मार्च 2019) उप आयुक्त, सीमा शुल्क, एसीसी, मुंबई ने एक मामले में अभ्युक्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (दिसंबर 2018) कि आयातक को कम प्रभार सह मांग नोटिस जारी किया गया है।

हालांकि, एक अन्य मामले में, उप आयुक्त-मुंबई III ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार न करते हुए आयातक के उत्तर का समर्थन किया और बताया है (अगस्त 2019) कि आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 में, माल और सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर निर्दिष्ट माल पर आईजीएसटी लगाने के प्रावधान करता हैं और यह ऐसा अधिनियम नहीं है जिसमें आयातित माल पर आईजीएसटी लगाने का प्रावधान हो। यह भी कहा गया है कि आयातित माल के संबंध में एकीकृत कर के लिए प्रभार लगाने वाली धारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (7) है और भारत में वैसे ही या समान माल की आपूर्ति होने पर आयातित माल पर आईजीएसटी की दर का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए उस उप धारा में आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 का संदर्भ है। इसलिए, यह माना गया कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किए गए आयातों पर आईजीएसटी उद्ग्राह्य नहीं है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सभी आयातों को आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा और तदनुसार, लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त आईजीएसटी भी लगाया जाएगा। नवंबर 2019 में विभाग को इसकी सूचना दी गई थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जूलाई 2020)।

उपरोक्त दोनों मुद्दों पर विशिष्ट प्रतिक्रिया के अतिरिक्त, मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया कि वह 15 नवंबर 2017 से आईसीईएस के माध्यम से की गई निकासियों पर दिनांक 14 नवंबर 2017 की अधिसूचना का अनुपालन न करने के कारणों की जांच करे और कमियों के कारणों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करे और अन्य आयातों का भी ब्यौरा दे जिसका इस चूक के कारण आईसीईएस में गलत आईजीएसटी दर पर निर्धारण किया गया हो।

आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से पता चला कि चार सीमा शुल्क पत्तनो[54] के माध्यम से 15 नवंबर 2017 को या उसके बाद किए गए वैज्ञानिक और तकनीकी उपस्करों, उपकरणो, सहायक उपकरणों और उपभोज्य माल के 26 समान आयातों को आईजीएसटी से छूट दी गई थी। शुल्क निहितार्थ का

[54] मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), हैदराबाद एयर कार्गो (आईएनएचवाईडी4), चेन्नई एयर कार्गो (आईएनएमएए4)

अनुद्ग्रहण ₹24 लाख था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.8.4 एल्युमिनियम एलॉय व्हील/डिस्क के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

ट्रैक्टर के कुछ भाग जैसे रियर ट्रैक्टर व्हील रिम, ट्रैक्टर सेंटर हाउसिंग, ट्रैक्टर हाउसिंग ट्रांसमिशन और ट्रैक्टर सपोर्ट फ्रंट एक्सल के आयात पर अनुसूची III क्र.सं. 402 के अंतर्गत 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगता है। ट्रैक्टर के इन निर्दिष्ट भागों से इतर अन्य भागों और मोटर वाहनों की सहायक सामग्री पर 28 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगता है (पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची IV के क्र.सं. 170)।

मोटर वाहनों के लिए 'एल्युमिनियम अलॉय व्हील/डिस्क' पर पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची IV की क्र.सं. 170 के अंतर्गत 28 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगता है।

फरवरी 2018 से मई 2018 की अवधि के दौरान, सीमा शुल्क आयुक्तालय पटपड़गंज, दिल्ली के अधीन आईसीडी-रेवाड़ी, के माध्यम से सीटीएच 87087000 के अंतर्गत ₹8.06 करोड़ मूल्य की कुल नौ बीई को "मोटर वाहनों के भाग और सहायक सामग्री" के आयात के लिए दाखिल किया गया था। लेखापरीक्षा ने ₹8.06 करोड़ के मूल्य वाले सभी 9 बीई की नमूना जाँच की और सभी 9 बीई में ₹93.94 लाख के आईजीएसटी के कम उद्ग्रहण को चिन्हित किया।

मेसर्स 'जी' प्रा.लि. ने 'एल्युमिनियम एलॉय व्हील/डिस्क' (नौ बीई) को सीटीएच 87087000 के अंतर्गत उन्हें वर्गीकृत करते हुए आयात (फरवरी से मई 2018) पर विभाग द्वारा 18 प्रतिशत की दर (अनुसूची III क्र.सं.402) पर आईजीएसटी लगाने के बाद निकासी की गई थी। माल 'एल्युमिनियम एलॉय व्हील/डिस्क होने के नाते और ट्रैक्टर के निर्दिष्ट भाग नहीं होने के नाते पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची IV (क्रम संख्या 170) के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरणीय थे और उन पर 28 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगाया जाना था। इस प्रकार, 28 प्रतिशत की लागू दर के बजाय कम आईजीएसटी दर 18 प्रतिशत को अपनाने के कारण ₹93.94 लाख की आईजीएसटी की का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और ₹1.06 करोड़ के विभेदक शुल्क की वसूली (फरवरी / मार्च 2019) सूचित की जिसमें ₹12.11 लाख की ब्याज राशि शामिल थी।

इन मामलों के अतिरिक्त, आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से पता चला कि नहावा शेवा (समुद्र) और दिल्ली एयर कार्गो पोर्टस के माध्यम से आयातित एल्युमिनियम एलॉय व्हीलों के छह परेषणों में, पूर्वोक्त अधिसूचना के अंतर्गत 28 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 18 प्रतिशत पर आईजीएसटी लगाया गया था। शुल्क निहितार्थ ₹6 लाख था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.8.5 'टफ्टिड आर्टिफीशियल/पॉलीप्रोपाइलीन कारपेट' के आयात पर गलत दर लागू करने के कारण आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

कारपेट और अन्य टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, अन्य मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री से बने टफ्टिड सीटीएच 57033090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और इन पर 12 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगता हैं (अधिसूचना संख्या 1/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची II की क्र.सं. 144)। कॉयर मैट, मैटिंग और फ्लोर कवरिंग जो सीटीएच 5705 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और उनपर 5% की दर से आईजीएसटी लगता हैं। (अधिसूचना संख्या 1/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची I की क्र.सं. 219)

जनवरी 2018 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान तुगलकाबाद, आयात आयुक्तालय, के माध्यम से ₹44.26 करोड़ मूल्य के 294 बीई के अंतर्गत सीटीएच 57033090 के आयात किए गए थे। लेखापरीक्षा में ₹27.28 करोड़ मूल्य वाले आयातों के 193 बीई की नमूना जाँच की गयी और ₹1.24 करोड़ के आयात वाले नौ बीई में ₹10.09 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण बताया। मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

मैसर्स 'एच' एंटरप्राइसेज और दो अन्य ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से 'टफ्टेड आर्टिफिशियल/पॉलीप्रोपाइलीन कारपेट' (नौ बीई) का आयात किया (फरवरी 2018 से अगस्त 2018)। माल को सीटीएच 57033090 - अन्य कारपेट और अन्य टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, टफ्टिड जो अन्य मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री से बने थे, के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया और पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची II (क्र.सं. 144) के अंतर्गत 12 प्रतिशत की दर से लागू आईजीएसटी की बजाय 5 प्रतिशत {अधिसूचना सं. 1/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची I की क्र.सं.219} की दर पर आईजीएसटी का निर्धारण किया। इस प्रकार, आईजीएसटी दर के गलत लागू करने के परिणामस्वरूप

₹10.09 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण, जिसे लागू ब्याज के साथ वसूलने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जबकि क्र.सं. 219 टैरिफ शीर्ष 5705 के अंतर्गत वर्गीकृत माल पर लागू होती है, प्रणाली ने इस क्र.सं. का उपयोग करते हुए आईजीएसटी का भुगतान करने की आयातक को अनुमति दे दी, जबकि माल को "5703" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। बीई का निर्धारण प्रणाली द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ है कि इसे आरएमएस द्वारा भी सत्यापन के लिए चिह्नित नहीं किया गया था । इस प्रकार, न तो घोषित वर्गीकरण से इतर वर्गीकरण पर लागू आईजीएसटी के उद्ग्रहण को रोकने के लिए कोई वैधीकरण था और न ही इसकी पहचान करने के लिए आरएमएस डिजाइन किया गया है।

विभाग ने ₹7.32 लाख की वसूली सूचित की (जुलाई 2019)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2020)।

4.9 अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क लाभ गलत तरीके से देने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण

अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. दिनांक 30 जुन 2017 (यथा संशोधिक) निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन शुल्कों की रियायती दर पर विभन्नि वस्तुओं की अनुमति देती है।

अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु.(यथा संशोधित) में निर्दिष्ट निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए, लेखापरीक्षा ने नौ आयुक्तालयों[55] के माध्यम से 2017 से 2019 (फरवरी 2019 तक) के दौरान इस अधिसूचना के अंतर्गत किए गए सूखी फलीदार सब्जियों, मशीनरी और उसके भागो, "विमान के भागों" (सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 7, 84, 85 और 90) के आयात का विश्लेषण किया।

जुलाई 2017 से मार्च 2019 के दौरान अधिसूचना 50/2017 के अंतर्गत ₹737 करोड़ मूल्य के किए गए आयातों के 6,511 बीई में से, लेखापरीक्षा में ₹682 करोड़ (93 प्रतिशत) मूल्य के 4,987 बीई (77 प्रतिशत) की नमूना जांच की गई और ₹5.60 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के सात मामलों (127 बीई) में अननुपालन देखा गया।

[55] एनसीएच, दिल्ली, जेएनसीएच-मुंबई, आईसीडी-गढ़ी हरसरू-हरियाणा, कॉम-II; सीएच-चेन्नई, चेन्नई (सी), कोच्चि (सी), एसीसी-मुंबई, आईसीडी-इरुंगतुकोट्टई-तमिलनाडु और बेंगलुरू कमिश्नरियां

अगामी पैराग्राफों में तीन मामलों पर चर्चा की गयी है और शेष मामलों का उल्लेख अनुबंध 8 में किया गया है। विभाग ने ₹3.43 करोड़ के राजस्व वाले पांच मामलों को स्वीकार किया है और ₹3.80 करोड़ की वसूली की है जिसमें चार मामलों में ब्याज शामिल था।

आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से पता चला कि 22 सीमा शुल्क पत्तनो[56] के माध्यम से आयातित ऑटोमोटिव पार्ट्स, आइसक्रीम मशीनरी, मोटर पार्टस, गियर बॉक्स, सिलाई की मशीन आदि के 172 परेषणों को छूट अधिसूचना 50/2017-सी.शु. के लाभ की अनुमति दी गई थी। इसमें ₹7.94 करोड़ का राजस्व शामिल था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है। मामला सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2020), उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2020)।

4.9.1 विमान के भागों के आयात मे अधिसूचना के छूट लाभ का गलत प्रदान किया जाना

अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क (यथा संशोधित) की क्र.सं. 547ए के लिए शर्त सं. 102 के अनुसार, विमान, विमान के इंजन और अन्य विमान के भाग जो केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 दिनांक 30 जून 2017 की अनुसूची II के 1 (बी) या 5 (एफ) के अंतर्गत आते हैं, को निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन आईजीएसटी से छूट दी गई है। इनमें से एक शर्त यह थी कि जिस अवधि के लिए उनकी एक लेनदेन के अंतर्गत आपूर्ति की गई थी, उस अवधि के समाप्त होने से तीन महीने के अन्दर माल का फिर से निर्यात किया जाए।

तदनुसार, आयातित माल, इंजन विमान भाग (मरम्मत के बाद वापसी) पर उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची III की क्र.सं. 316 के अंतर्गत 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगाई जाती है क्योंकि ये पुन: निर्यात के लिए नहीं थे। इसलिए अधिसूचना 50/2017-सी.शु. की क्र.सं. 547ए का लाभ आयातित माल को दिए जाने योग्य नहीं था।

[56] मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), नहवा शेवा सी (आईएनएनएसए1), कट्टुपल्ली (आईएनकेएटी1), बेंगलुरू एयर कार्गो (आईएनबीएलआर4), चेन्नई एयर कार्गो (आईएनएमएए4), कोचीन सी (आईएनसीओके1), आईसीडी पटपडगंज (आईएनपीपीजी6), आईसीडी गढ़ी हरसरू (आईएनजीएचआर6), वाइजेक सी (आईएनवीटीजेड1), मुंद्रा (आईएनएमयूएन1), दादरी-एसीपीएल (सीएफएस (आईएनएपीएल6), कोलकाता एयर कार्गो (आईएनसीसीयू4), आईसीडी बेंगलुरू (आईएनडब्लूएफडी6), अहमदाबाद एयर कार्गो (आईएनएएमडी4), हैदराबाद आईसीडी (आईएनएसएनएफ6), नागपुर आईसीडी (आईएनएनजीपी6) लुधियाना (आईएनएलडीएच6), दादरी-सीजीएमएल (आईएनसीपीएल6), कोलकाता सी (आईएनसीसीयू1), जीआरएफएल आईसीडी-साहनेवाल (आईएनएसजीएफ6)

मेसर्स 'आई' लिमिटेड ने सीटीएच 84111200 के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए "इंजन विमान भाग" (दो बीई) का आयात किया। विभाग ने पूर्वोक्त अधिसूचना के अंतर्गत आईजीएसटी में छूट के बाद आयातित माल की निकासी की। लेखापरीक्षा में देखा गया कि माल का वास्तव में मरम्मत के बाद पुनः आयात किया गया था और उपयोग के बाद पुनः निर्यात नहीं किया गया था, इसलिए यह माल अधिसूचना 50/2017-सी.शु. की क्र.सं. 547ए के छूट लाभ के लिए अयोग्य थे। इसलिए आयातक द्वारा भुगतान किए गए मरम्मत प्रभारों पर आईजीएसटी में छूट देने के बजाय 18 प्रतिशत की दर से लगाया जाना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप अधिसूचना लाभ के गलत प्रदान किए जाने के कारण ₹2.32 करोड़ की आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ जिसे लागू ब्याज के साथ आयातक से वसूली करने की आवश्यकता थी।

इसे बताए जाने पर (नवंबर 2018) कि, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और ₹2.83 करोड़ के विभेदक शुल्क की वसूली की सूचित की (मई 2019) जिसमें ₹50.81 लाख की ब्याज राशि शामिल थी।

4.9.2 आइसक्रीम बनाने वाली मशीनरी आयात के पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण

सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 84 में अपात्र निर्दिष्ट न किए गए खाद्य या पेय के औद्योगिक तैयारी या विनिर्माण के लिए "मशीनरी" के आयात और सीटीएच 8438 के अंतर्गत वर्गीकरणीय माल पर अधिसूचना संख्या 50/2017 (क्र.सं. 458) के अंतर्गत 5 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी लगायी जाती है।

आयुक्तालय चेन्नई (समुद्र) के माध्यम से अधिसूचना 50-2017-सी.शु. के अन्तर्गत 2017 से 2019 के दौरान किए गए सीटीएच 8438 के अंतर्गत मशीनरी के आयातों के सभी 107 बीई लेखापरीक्षा में नमूना जांच की। आइसक्रीम के उत्पादन के लिए और इसके भागों के आयात (सीटीएच 84388090) के आठ बीई में, लेखा परीक्षा में गलत वर्गीकरण और बाद में छूट के गलत प्रदान किया जाना देखा गया जिसके परिणामस्वरूप ₹68.48 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह न्यायिक रूप से निर्णय दिया गया था कि "आइसक्रीम बनाने वाली मशीन" टैरिफ शीर्ष 8418 के अंतर्गत वर्गीकरणीय थी और न कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ शीर्ष 8438 के अंतर्गत तथा जीएसटी की दर टैरिफ शीर्ष 8418 लागू होगी (मेसर्स 'आईएल' प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अग्रिम

रूलिंग के लिए गुजरात प्राधिकार, दिनांक 05.02.2018)। तदनुसार, मशीनरी पर सीटीएच 8418 पर लागू 7.5 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाया जाता है।

मेसर्स 'जे' एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से "आइसक्रीम बनाने वाली मशीनरी" (आठ बीई) का आयात किया (जनवरी 2019 से मार्च 2019)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सभी आयातों को सीटीएच 84388090 के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था, जो कि इस मशीनरी को सीटीएच 8418 के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए न्यायिक उद्घोषणा के बावजूद किया गया था। विभाग ने अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. (क्र.सं. 458) के अंतर्गत आयातित माल की निकासी की, जिसमें 7.5 प्रतिशत की बजाय रियायती बीसीडी (5 प्रतिशत) का उद्ग्रहण हुआ। माल के गलत वर्गीकरण और बाद में गलत छूट लाभ प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹68.48 लाख की राशि के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

आठ बीई में से पांच बीई का निर्धारण सिस्टम (आरएमएस) द्वारा किया गया और निर्धारण अधिकारी द्वारा तीन का निर्धारण किया गया।

इसके बारे में मंत्रालय (मई 2020) को बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020) ।

4.9.3 'तेल के कुएं में प्रयुक्त उपकरण' के आयात के लिए गलत छूट

निर्दिष्ट ठेकों द्वारा किए गए पेट्रोलियम प्रचालनों के संबंध में आवश्यक मशीनरी और उपकरणों को अधिसूचना 50/2017 के क्र.सं. 404 (बी) के अंतर्गत बीसीडी लगाने से छूट दी गई है, जो इस शर्त के अध्यधीन है कि आयातक को आयात के समय भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में महानिदेशक, हाइड्रो कार्बन के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिसूचना की क्र.सं.557-बी में पट्टे के अंतर्गत आयातित माल के लिए आईजीएसटी लगाने से छूट, का इस शर्त के साथ प्रावधान किया गया है कि आयातक को आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट एक बांड निष्पादित करना अनुबंध पर अमल करना चाहिए ताकि वह स्वयं को आबद्ध कर सके:-

(i) आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत उद्ग्राह्य आईजीएसटी का भुगतान करना;

(ii) सीमा शुल्क आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना माल को न बेचना;

(iii) जिस अवधि के लिए माल की आपूर्ति की गई थी, उसके समाप्त होने के तीन महीने के अन्दर माल को फिर से निर्यात करन; उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में उक्त माल पर देय आईजीएसटी के बराबर राशि को मांग करने पर भुगतान करना।

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान अधिसूचना 50/2017 की क्र.सं.404 (बी) और क्र.सं.557-बी के अंतर्गत चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से दाखिल किए गए 456 बीई में से ₹11.53 करोड़ के निर्धाय मूल्य वाले 24 बीई में की गई नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने बताया कि आईजीएसटी की 'शून्य' दर के अंतर्गत माल की निकासी की गई थी।

चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से आयातित (अक्टूबर से फरवरी 2019) 'तेल के कुएं के प्रयुक्त उपकरण' को पूर्वोक्त अधिसूचना के क्र.सं. के अंतर्गत बीसीडी और आईजीएसटी से छूट दी गई थी। तथापि, उक्त अधिसूचना के क्र.सं. 404 (बी) के अंतर्गत बीसीडी की छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र आयातकों द्वारा माल आयात के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था। नमूना जांच के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (मंत्रालय) ने 18 मामलों में प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए विभाग से मंगवाए गए थे।

इसके उत्तर में (जनवरी 2020) विभाग ने 13 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे और शेष पांच मामलों के लिए विभाग ने बताया कि आयातकों से अभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने है। चूंकि बीसीडी की छूट का दावा करने के लिए बीई दाखिल करने के समय मंत्रालय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने थे, इसलिए उत्तर से साबित हो गया कि विभाग ने अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं किया था।

क्र.सं. 557-बी के अंतर्गत आईजीएसटी की छूट के संबंध में, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आईसीईएस में पाए गए पट्टे के अंतर्गत माल का आयात किया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों का आयात के समय पालन किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या तीन माह की निर्धारित अवधि के अन्दर माल का दोबारा निर्यात किया गया। उपरोक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, आयातक विभेदक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

इस बारे में (मई 2020) बताया गया और मंत्रालय को उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

4.10 माल का गलत वर्गीकरण

आयातित वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाता है। लागू शुल्क का उद्ग्रहण आयातित वस्तुओं के वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

30759 बीई के अंतर्गत अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के दौरान ₹15,011 करोड़ के मूल्य के माल का आयात किया गया। लेखापरीक्षा में ₹4,850 करोड़ के मूल्य के आयात के लिए 4,333 बीई की नमूना जांच की गई और 1,644 बीई (30 मामलों) में गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण पाया गया। गलत वर्गीकरण के इन तीस मामलों को इस अध्याय में शामिल किया गया है, जिनमें प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ शामिल हैं, जिनका कुल राजस्व निहितार्थ ₹19.84 करोड़ है। ₹10 लाख से कम धन मूल्य वाले आयातों के गलत वर्गीकरण के अलग-अलग मामलों की सूचना स्थानीय आयुक्तालयों को क्षेत्रीय निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से दी गई है।

गलत वर्गीकरण के 30 मामलों में से सात मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है और शेष मामलों को **अनुबंध 9** में सूचीबद्ध किया गया है। विभाग ने ₹9.70 करोड़ वाले 23 मामलों को स्वीकार किया था और 14 मामलों में ₹8.46 करोड़ की वसूली की थी।

नमूना जांच किए गए मामलों के अतिरिक्त, आईसीईएस डेटा के विश्लेषण से पोल्ट्री मशीनरी, विमान के भाग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरणों, सीसीटीवी कैमरा, प्रसारण उपकरणों, कागज और पेपर बोर्ड, प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं आदि के गलत वर्गीकरण का पता चला जो 49 सीमा शुल्क पत्तनो[57] के माध्यम से आयातित 2,768 परेषणों में ₹141 करोड़ की राशि के शुल्क के परिणामी कम

[57] मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), नहेवा शेवा सी (आईएनएनएसए1), कट्टुपल्ली (आईएनकेएटी1), बंगलुरू एयर कार्गो (आईएनबीएलआर4), चेन्नई एयर कार्गो (आईएनएमएए4), कोचिनसी (आईएनसीओके1), आईसीडी पटपरगंज (आईएनपीपीजी6), आईसीडी जीएआरएचआई एचएआरएसएआरयू (आईएनजीआईएनजी 6), विजाक सी (आईएनवीटीजेड1), मुंद्रा (आईएनएमयूएन1), दादरी-एसीपीएल (सीएफएस (आईएनएपीएल6), कोलकाता एयर कार्गो (आईएनसीसीयू4), आईईसीडी बंगलुरू (आईएनडब्लूएफडी6), अहमदाबाद एयर कार्गो (आईएनएएमडी4), हैदराबाद आईसीडी (आईएनएसएनएफ6), आईसीडी तुगलकाबाद (आईएनटीकेडी6), दादरी-सीजीएमएल (आईएनसीपीएल6) , कोलकाता सी (आईएनसीसीयू1), कोचीन एयर कार्गो (आईएनसीओके4), दादरी-एसटीटीपीएल-सीएफएस (आईएनएसटीटी6), आईसीडी खुर्जा (आईएनएआईके6), पिपावाव (विक्टर) पोर्ट (आईएनपीएवी1), डाबोलिम (आईएनजीओआई4), हैदराबाद एयर कार्गो (आईएनएचवाईडी4), जयपुर एयर कार्गो (आईएनजेएआई4), राजासांसी-अमृतसर (आईएनएटीक्यू4), मुंबई सी (आईएनबीओएम1), त्रिवेणीड्रन एयर कार्गो (आईएनटीआरवी4), मंगलौर सी (आईएनएनएमएल1), कृष्णापट्टनम (आईएनकेआरआई1)

उद्ग्रहण/अनुद्ग्राह्य वाला है। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

4.10.1 क्लियर फ्लोट ग्लास का 'नॉन वायर्ड ग्लास' के रूप में गलत वर्गीकरण

क्लियर फ्लोट ग्लास पारदर्शी होता है और उच्च दृश्यमान प्रकाश संचारण प्रदान करता है। इसमें कोई शोषक, परावर्तन परत नहीं है और यह सीटीएच 70052990 के अंतर्गत 5 प्रतिशत की दर से बीसीडी को लगाते हुए 'अन्य नॉन वायर्ड ग्लास' (अधिसूचना संख्या 46/2011-सी.शु., क्र.सं.935) के रूप में वर्गीकरणीय है जब एशियायी देशों से इसका आयात किया जाता है ।

मेसर्स 'के' एंटरप्राइजेज लिमिटेड और 19 अन्य फर्मों ने (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) चेन्नई (समुद्र) और कोच्चि (समुद्र) आयुक्तालयों के माध्यम से 'फ्लोट ग्लास' (249 बीई) का आयात किया। आयातित माल को सीटीएच 70051090 के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था और बीसीडी से छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹4.34 करोड़ की शुल्क का उद्ग्रहण नही हुआ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आयातित माल साफ थे और किसी शोषक, परावर्तन या गैर-परावर्तन परत से लेपित नहीं थे, तदनुसार, इन्हें सीटीएच 70052990 के अन्तर्गत वर्गीकरण किया जाना था और और पूर्वोक्त अधिसूचना के संदर्भ में 5 प्रतिशत पर बीसीडी उद्ग्राह्य था।

इसे बताए जाने पर (जुलाई/अगस्त 2018) सीमा शुल्क प्राधिकारियों, कोचीन ने कहा (सितंबर 2019) कि ग्लासेज की संरचना सोडा लाइम सिलिका आधारित ग्लास थी जिसमें अन्य छोटे घटक थे। ग्लास की सतहों को पॉलिश नहीं किया वे बिना रंगे हुए नॉन-वायर्ड होते हैं और निर्दिष्ट नहीं किए जाते। विभाग ने आगे कहा कि आयात के जाँच के परिणामों से पता चलता है कि ग्लास के एक तरफ "टिन की एक शोषक परत" देखी गई जो अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के अंतर्गत फ्लोरोसेंट है। तदनुसार, जाँच परिणाम को देखते हुए, आयातित माल क्लियर फ्लोट ग्लास हैं और सीटीएच 70051090 के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत किए गए हैं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि:-

(क) फ्लोट ग्लास की विनिर्माण प्रक्रिया में पिघले हुए टिन की दर्पण जैसी सतह पर पिघला हुआ ग्लास शामिल है, जो पिघले हुए टिन के एक बेड पर 600 डिग्री सेल्सियस पर एक ठोस रिबन के रूप में फ्लोट बाथ को छोड़ने के लिए 1,100 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है जो अपरिहार्य रूप से ग्लास के

एक तरफ थर्मल प्रसार द्वारा टिन का परिचय देता है। इस प्रकार निर्मित ग्लास क्लियर फ्लोट ग्लास होता है, जिसका एक तरफ टिन साइड और दूसरी तरफ हवा की ओर जाना जाता है। फ्लोट प्रक्रिया के अंतर्गत विनिर्मित सभी ग्लास, (क्लियर, लेपित या रंगा हुआ) हमेशा एक तरफ टिन की एक परत होती है, जिसका मतलब यह नहीं है कि सभी फ्लोट ग्लास को 70051090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है।

(ख) इसके अतिरिक्त, जाँच रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि ग्लास न तो "रंगा हुआ" है और न ही "वायर्ड" । इसलिए, सीटीएच 70052110 (रंगा हुआ के लिए) या सीटीएच 70053010 (वायर्ड ग्लास) के अंतर्गत ग्लास को वर्गीकृत करने की संभावना को भी खारिज कर दिया गया था। इसलिए, आयातित माल का सीटीएच 70052990 "अन्य" के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है और 5 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाई जानी है।

नमूना जांच किए गए मामलों के अतिरिक्त, डेटा के विश्लेषण (2017-18) से पता चला कि 27 सीमा शुल्क पत्तनो[58] के माध्यम से किए गए "क्लियर फ्लोट ग्लास" के अन्य 592 आयातों में बीसीडी को पांच प्रतिशत की लागू दर में छूट दी गई थी। इसमें ₹13.39 करोड़ का शुल्क शामिल थी। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका जवाब प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

[58] अंकलेश्वर (आईएनएकेवी6), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), विजाक सी (आईएनवीटीजेड1), नहेवा शेवा सी (आईएनएनएसए1), हजीरा सूरत (आईएनएचजेडए1), आईसीडी बनहलुरू (आईएनडब्लूएफडी6), मुंद्रा (आईएनएमयूएन1), कोचीन सी (आईएनसीओके1), हाइड्राबाद (आईएनएसएनएफ6), गढ़ी हरसरू (आईएनजीएचआर6), पिपावाव (विक्टर) पोर्ट (आईएनपीएवी1), तूतीकोरिन आईसीडी आईईसीडी (आईएनटीयूटी6), जीआरएफएल आईसीडी साहनेवाल (आईएनएसजीएफ6), आईसीडी कानपुर-जेरी (आईएनएनयू6), लुधियाना (आईएनएनयू6), लुधियाना (आईएन एलएलडीएच6), कोलकाता सी (आईएनसीसीयू1), तूतीकोरिन सी (आईएनटीयूटी1), आईसीडी तुगलकाबाद (आईएनटीकेडी6), थार ड्राई पोर्ट-अहमदाबाद आईसीडी (आईएनएसएयू6), सीएमटीएल आईसीडी/थिम्मापुर (आईएनटीएमएक्स6), आईसीडी लोनी (आईएनटीयूटी1)एलओएन6), पावरखेड़ा आईसीडी/ढंडारी कलां (आईएनडीडीएल6), कनेच आईसीडी/साहनेवाल (आईएनएसएनआई6), कृष्णपट्टनम (आईएनएसएनआई6), केएलपीपीएल-आईसीडी/पनकी (आईएनपीएनके6), कटुपल्ली (आईएनकेएटी1), पीथमपुर (आईएनआईएनडी6)

4.10.2 विस्कोस फाइबर के साथ मिश्रित पॉलिएस्टर वुवन फैब्रिक सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के वुवन फैब्रिक के रूप में गलत वर्गीकरण

'पॉलीस्टर स्टेबल फाइबर के अन्य वुवन फैब्रिक के मुख्य रूप से या एकमात्र रूप में विस्कोसे रेयान स्टेपल फाइबर के साथ मिश्रित होने पर सीटीएच 551511 के अंतर्गत 20 प्रतिशत या ₹ 40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक है। की दर से बीसीडी को लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, अपहोल्स्टरी पॉलिएस्टर फैब्रिक से इतर – 'वुवन फैब्रिक के वजन से 85 प्रतिशत या उससे अधिक वजन वाला 'टेक्सचर्ड पॉलिएस्टर फिलामेंट्स' और 'स्ट्रिप या उसके जैसे से प्राप्त अन्य वुवन फैब्रिक' क्रमशः सीटीएच 54075300 और 54072090 के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य हैं।

मेसर्स 'एल' आयातक ने (जुलाई 2017 से जून 2018) सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद के अंतर्गत आईसीडी, संथनगर के माध्यम से 'पॉलिएस्टर वुवन फैब्रिक 58' के 12 बीई का आयात किया था। विभाग ने सीटीएच 54072090//54075300 के अंतर्गत वर्गीकरण करते हुए माल की निकासी की और 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी का उद्ग्रहण किया। माल सीटीएच 551511 के अंतर्गत सही रूप से वर्गीरणीय था और तत्कालीन मामले में ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से बीसीडी लगायी जानी थी। आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹2.74 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके लिए आयातकों से लागू ब्याज के साथ वसूली जरूरी थी।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 2019), विभाग ने अभ्युक्ति को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2019) कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर, माल सीटीएच 5407 और 551511 के अंतर्गत वर्गीकरणीय था। विभाग ने आगे कहा कि चूंकि आयातक जाँच रिपोर्ट में सुझाए गए दो सीटीएच विवरणों के बीच कुल आयातित माल की मात्रा निर्धारित करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उन्होंने उच्चतम शुल्क दर पर निर्धारण करने का अनुरोध किया । तदनुसार, माल को सीटीएच 5407 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और शुल्क की उच्चतम दर पर निर्धारण किया गया था। गलत वर्गीकरण के कारण आयातक से ₹1.36 करोड़ की वसूली की गई।

सीटीएच 5515 के बजाय सीटीएच 5407 के अंतर्गत आयातित कुछ माल के वर्गीकरण के लिए विभाग का उत्तर मान्य नहीं था जैसाकि आयातित माल का विवरण वही था जो सीटीएच 5515 के अन्य बीई में था। तदनुसार, यह सीटीएच

551511 के अंतर्गत वर्गीकरणीय था और आयातक से 2.74 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी और न कि ₹1.36 करोड़ की राशि ।

नमूना जांच किए गए इन मामलों के अतिरिक्त आयात डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान नौ सीमा शुल्क पत्तनो'[59] के माध्यम से किए गए 'पॉलिएस्टर वुवन फैब्रिक 58 के 117 समान आयात में बीसीडी को ₹40 प्रति वर्ग मीटर की लागू दर के बजाय 10 प्रतिशत पर लगाया गया था। परिणामस्वरूप ₹11.51 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था की प्रतीक्षा है (सितंबर 2020)।

4.10.3 ट्रांसमिशन नेटवर्क इंटरफेस उपकरणों का इसके भागों के रूप में गलत वर्गीकृत किया जाना

'स्विचिंग और रूटिंग सहित आवाज, छवियों या अन्य डेटा के रिसेप्शन, कन्वर्शन और ट्रांसमिशन या रीजनरेशन के लिए अन्य मशीनें को सीटीएच 85176290 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं जिन पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगायी जाती हैं। जबकि, 'आवाज, छवियों या अन्य डेटा के ट्रांसमिशन या रिसेप्शन के पार्ट्स सीटीएच 85177090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और बीसीडी से छूट दी गई है।

मेसर्स 'एम' लिमिटेड ने एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 85177090 के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए को विभिन्न प्रकार के 'मल्टी रेट पोर्ट इंटरफेस कार्ड/नेटवर्क डिवाइस' का आयात किया (फरवरी 2018)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित वस्तुएं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड/नेटवर्क डिवाइस हैं न कि इसके भाग। तदनुसार, सीटीएच 85176290 के अंतर्गत आयातित माल रिसेप्शन, कन्वर्शन और ट्रांसमिशन या आवाज, छवियों या अन्य डेटा के रीजनरेशन के लिए अन्य मशीनों के रूप में वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें स्विचिंग और रूटिंग शामिल है और 'शून्य' दर के बजाय लागू 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगायी जाती है। आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.29 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

[59] नहावा शेवा सी (आईएनएनएसए1), मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), आईसीडी मुलुंड (आईएनएमयूएल6), मुंबई सेज (आईएनबीओएम6), आईईसीडी तुगलकाबाद (आईएनटीकेडी6), फरीदाबाद (आईएनएफबीडी6), दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), बंगलुरू एयर कार्गो (आईएनबीएलआर4)

इसे बताए जाने पर (मई 2018/जनवरी 2019), प्रधान आयुक्त, एनसीएच, नई दिल्ली ने ₹1.43 लाख के ब्याज के साथ 1.29 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अगस्त 2019)।

नमूना जांच किए गए मामलों के अतिरिक्त, आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से दिल्ली एयर कार्गो और मुंबई एयर कार्गो सीमा शुल्क पत्तनो के माध्यम से आयातित ट्रांसमिशन उपकरणों के 23 परेषणों में बीसीडी की अनियमित छूट का पता चला। शुल्क का कम उद्ग्रहण ₹19 लाख थी। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.10.4 मोबाइल फोन के रिसीवर का माइक्रोफोन, स्पीकर के भागों के रूप में गलत वर्गीकृत करना

मोबाइल फोन का रिसीवर सीटीएच 85182900 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 15 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगायी जाती है। माइक्रोफोन, स्पीकर के भाग सीटीएच 85189000 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी के लिए निर्धारणीय हैं।

मैसर्स 'एन' टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और छह अन्य ने, एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से 1206 बीई के अंतर्गत 'मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए रिसीवर' का आयात किया (फरवरी से नवंबर 2018)। माल को सीटीएच 85189000 -माइक्रोफोन, स्पीकर आदि के भाग के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया और 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी का निर्धारण किया गया।

चूंकि आयातित माल 'मोबाइल फोन के लिए रिसीवर थे', इसलिए उनका सीटीएच 85182900-अन्य के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाना है और 10 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी उदग्राहय हैं। इस प्रकार आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.99 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (नवंबर 2018/जनवरी और मई, 2019), विभाग ने दो आयातकों से ब्याज सहित ₹3.94 करोड़ की वसूली की सूचना दी है और शेष पांच आयातकों को पूर्व नोटिस परामर्श जारी किया है।

नमूना जांच किए गए मामलों के अतिरिक्त, आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से दिल्ली एयर कार्गो सीमा शुल्क पत्तन के माध्यम से आयातित मोबाइल फोन रिसीवर के 10 परेषणों में गलत निर्धारण का पता चला। 15 प्रतिशत की

लागू दर के बजाय 10 प्रतिशत पर बीसीडी का उद्ग्रहण हुआ। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.10.5 क्रूड पाम स्टीरिन का गलत वर्गीकरण

सीबीआईसी ने सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 31/2011 दिनांक 26 जुलाई, 2011 द्वारा स्पष्ट किया कि 'क्रूड पाम स्टेरिन' का निर्धारण सीटीएच 38231111 के अंतर्गत किया जाएगा और अपने क्षेत्रीय संरचनाओं को तदनुसार सभी लंबित मामलों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं।

कोलकाता (पत्तन) आयुक्तालय के माध्यम से मैसर्स ओ लिमिटेड ने क्रूड पाम स्टेरिन के परेषण का आयात किया (फरवरी 2008) और 10 प्रतिशत की दर से शुल्क का अनन्तिम रूप से भुगतान किया गया, जिसमें आयात को सीटीएच 15111000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। आयातक ने रासायनिक जाँच रिपोर्ट के बाद बिल को अंतिम रूप देने के लिए अनंतिम शुल्क जाँच बांड और बैंक गारंटी का निष्पादन किया।

पाम स्टीरिन के रूप में माल के विवरण की पुष्टि करने वाली जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, बांड को रद्द कर दिया गया (मार्च 2017) और विभाग ने उपरोक्त परिपत्र का उल्लंघन करते हुए, क्रूड पाम स्टीरिन को सीटीएच 38231111 के बजाय सीटीएच 15111000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.05 करोड़ के सीमा शुल्क का कम भुगतान हुआ।

यह मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.10.6 गियर बॉक्स और मोटर वाहनों के कुछ भागो को ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंक्स के रूप में गलत वर्गीकृत किया जाना

मोटर वाहनों के लिए गियर बॉक्स और उसके भाग सीटीएच 87084000 के अंतर्गत 'मोटर वाहनों के पार्ट्स और सहायक उपकरण' के रूप में वर्गीकरणीय हैं, और 10/15 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगायी जाती हैं। जबकि, सीटीएच 84831099 में अन्य ट्रांसमिशन शाफ्ट (कैमरा शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट सहित) और क्रैंक; बीयरिंग हाउसिंग और प्लेन शाफ्ट बीयरिंग; गियर और गियर रिंग को शामिल करते हुए 7.5 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगायी जाती है।

जुलाई 2017 से मई 2018 की अवधि के दौरान, आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली के माध्यम से आयात के लिए दाखिल किए गए ₹65.04 करोड़ मूल्य के 2,771 बीई में से, लेखापरीक्षा ने सीटीएच 84831099 के अंतर्गत ₹8.82 करोड़ मूल्य के 70 बीई की नमूना जांच की।

मैसर्स 'पी' ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने "फोर्क/योके 5वीं और रिवर्स गियर शिफ्ट" (70 बीई) का आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से आयात किया (जुलाई 2017 से मई 2018)। माल को सीटीएच 84831099 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 7.5 प्रतिशत की दर से बीसीडी का उद्ग्रहण करते हुए निकासी की। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आयातित माल मोटर वाहनों-गियर बॉक्स और उसके कुछ भागो के भाग थे और उन्हें सीटीएच 87084000 -गियर बॉक्स और मोटर वाहनों के भागो के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए और 10/15 प्रतिशत की दर से बीसीडी का निर्धारण होना चाहिए। इस प्रकार आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹56.91 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने ब्याज के साथ ₹56.91 लाख की शुल्क मांग की पुष्टि की (फरवरी 2020)। आगे की प्रगति की प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

नमूना जांच किए गए मामलों के अतिरिक्त, आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से पता चला है कि आठ सीमा शुल्क पत्तनो[60] के माध्यम से किए गए गियर बॉक्स और मोटर वाहनों के भागों के 99 समान आयात को गलत वर्गीकृत किया गया था । बीसीडी को 15 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 7.5 प्रतिशत लगाया गया था। इसमें शामिल ₹1.09 करोड़ शुल्क का कम उद्ग्रहण था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

[60] दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), आईसीडी पट्परगंज (आईएनपीपीजी6), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), कट्टुपल्ली (आईएनकेएटी1), मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), आईईसीडी तुगलकाबाद (आईएनटीकेडी6), एनएचइवीए शेवा सी (आईएनएनएसए1), दादरी-एसीपीएल सीएफएस (आईएनएपीएल6)

4.10.7 राईस फ्लेक्स को 'सब्जियों, फल, नट या पौधों के अन्य भागों की तैयारी 'के रूप में गलत वर्गीकृत किया जाना

राईस फ्लेक्स, जिन्हें फुलावट या भूनने से कुरकुरा बनाया गया है, सीटीएच 1904 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी के लिए उद्ग्राह्य हैं।

मेसर्स 'क्यू' इंडिया लिमिटेड ने जेएनसीएच, मुंबई के माध्यम से 'विभिन्न फ्लेवर के राईस फ्लेक्स ' (आठ बीई) का आयात किया गया (अप्रैल 2017 से जनवरी 2018)। विभाग ने माल को सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 90 के अंतर्गत 'राईस फ्लेक्स ' अर्थात सब्जियों, फल, नट या पौधों के अन्य भागो की तैयारी में वर्गीकृत किया और 12 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी का उद्ग्रहण करते हुए उसका निर्धारण किया।

हालांकि, राइस फ्लेक सीटीएस 1904 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे, जिस पर 18 प्रतिशत की दर पर आईजीएसटी उद्ग्रहण किया जाता है। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹43.14 लाख तक के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था।

यह आगे पाया गया कि इन बीई के लिए कोई निर्धारण या जाँच निर्धारित नहीं की गई थी क्योंकि वे एक लेखापरीक्षित क्लाइंट द्वारा प्राधिकृत अर्थिक प्रचालक (एईओ)[61] वर्ग के साथ फाइल किए गए थे। बीई का गलत वर्गीकरण के बावजूद प्रणाली द्वारा निपटान किया गया है, जिसे नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था। मंत्रालय आयातक द्वारा किए गए समान आयातों के लिए एइओ की अनुवर्ती ओनसाइट पश्च मंजूरी लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) भी कर सकता है।

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच के मामलों के अतिरिक्त, आयात शुल्क डेटा (2017-18) के विश्लेषण में सीमा शुल्क पोर्ट न्हावा शेवा (समुद्र), मुम्बई (एयर कार्गो) तथा दिल्ली (एयर कार्गो) के द्वारा किए राइस फलेक्स के पाँच समान आयातों के गलत वर्गीकरण का पता चला। 18 प्रतिशत की लागू दर की बजाय 12 प्रतिशत की दर पर आईजीएसटी का उद्ग्रहण किया गया था। शामिल राजस्व

[61] एक अधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) को माल के अंतर्राष्ट्रीय संचलन में शामिल एक पार्टी के रूप में परिभाषित किया गया है, किसी भी कार्य में, जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) या समकक्ष आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने के रूप में एक राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

₹37 लाख था। सीबीआईसी इन मामलों की जाँच कर सकता है तथा सुधारात्मक कार्यवाई भी कर सकता है।

मामले को अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका जवाब प्रतीक्षित था (सितम्बर 2020)।

4.11 लागू शुल्कों की कम/गैर-वसूली तथा अन्य अनियमितताए

₹2,134 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 6,881 बीई में से, लेखापरीक्षा में ₹15,22 करोड़ वाली 4,295 बीई की जाँच की गई। संवीक्षा में 11 मामलों (131 बीई) का पता चला, जिनमे प्रत्येक में ₹10 लाख या अधिक का राजस्व निहितार्थ शामिल है, जहाँ आयात लागू उद्ग्रहण के अनुसार नहीं थे। कुल राजस्व निहितार्थ ₹14.84 करोड़ था।

11 मामलों में से, दो मामलों की नीचे दिए गए पैराग्राफ में चर्चा की गई है तथा शेष 9 मामले **अनुबंध 10** में दिए गए है। विभाग ने ₹13.87 करोड़ के पाँच मामलों को स्वीकार किया तथा दो मामले में ₹74 लाख वसूल किए गए थे।

4.11.1 माल के कम मूल्यनिर्धारण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण

अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 1 के खंड (iii) के साथ पठित सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली 2007 के नियम 12 के अनुसार, जब उपयुक्त अधिकारी के पास किसी आयातित वस्तुओं के संबंध में घोषित मूल्य की सटीकता या सत्य की शंका के कारण है, तो वह ऐसी वस्तुओं के आयातकों से दस्तावेजों या अन्य साक्ष्यों सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराने की मांग कर सकता है तथा यदि, ऐसी अन्य जानकरी प्राप्त करने के पश्चात, या ऐसे आयातकों के उत्तर के अभाव में, उपयुक्त अधिकारी को घोषित मूल्य की सटीकता या सत्यता के बारे में अभी भी शंका है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे आयातित माल के लेनदेन मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता तथा घोषित मूल्य को अस्वीकार कर सकते है।

409 बीई के अधीन निर्यात आयुक्तालय, एयर कार्गो काम्पलेक्स (एसीसी), मुम्बई, के द्वारा 2017-18 की अवधि के दौरान ₹204.86 करोड़ मूल्य पर मयूपीरोसिन यूएसपी का आयात किया गया, लेखापरीक्षा ने ₹192.95 करोड़ के आयात मूल्य वाली 205 बीई की नमूना जाँच की तथा ₹66.33 करोड़ के आयातों सहित 9 बीई में ₹12.26 करोड़ की राशि का कम उद्ग्रहण सूचित किया।

मै. 'आर' फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने 14 बीई के अधीन 17 अप्रैल 2017 से 13 मार्च 2018 के दौरान एसीसी, मुम्बई के द्वारा हंगरी से ₹54.69 करोड़ के मूल्य का 'मुपीरोसिन यूएसपी' आयात किया था। आयातकों ने नौ बीई में यूएसडी 2200 प्रति किलोग्राम तथा पाँच बीई में यूएसडी 6,950 प्रति किलोग्राम की दर पर माल की कीमत घोषित की थी। विभाग ने उसी घोषित कीमत को स्वीकार कर माल का निर्धारण किया था।

लेखापरीक्षा ने बीई के इन दोनों सेटों में देखा कि माल विवरण में एकसमान/एकरूप है तथा मूल देश तथा माल के आपूर्तिकर्ता भी समान थे। इसीलिए, विभाग को उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 9 बीई में न्यूनतम यूनिट मूल्य को अस्वीकार करने के लिए उचित कारण थे। ऐसा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹45.33 करोड़ के माल का कम निर्धारण हुआ तथा परिणामस्वरूप ₹12.26 करोड़ तक के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह बताए जाने पर (नवम्बर 2018/मार्च 2019), विभाग ने सूचना दी (दिसम्बर 2018) कि ₹12.26 करोड़ तक लागू सीमा शुल्क के भुगतान के लिए आयातकों को कम प्रभार मांग नोटिस जारी किया गया था। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

मंत्रालय को आरएमएस में जोखिम कारकों में से एक के रूप में उसी आपूर्तिकर्ता से समान/एकरूप मद के आयात के संबंध में ऐसी बड़ी मूल्य भिन्नताओं पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे मामलों में मूल्यनिर्धारण की जाँच की जा सके।

4.11.2 लागू एन्टी-डम्पिंग शुल्क (एडीडी) के उद्ग्रहण के बिना निकासी किए गए आयात

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जब किसी भी देश से कोई वस्तु भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यातित की जाती है, तब भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर, केन्द्र सरकार, अधिसूचना जारी कर, एडीडी लगा सकती है। इसके अनुसार, दिनांक 17 अगस्त 2015 की अधिसूचना संख्या 41/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत निर्धारित दरों पर भारत में आयातित स्विटजरलैंड तथा चीन के पीपुल्स रिपब्लिक से निर्यातित या उद्भूत सीटीएच 3204 या 3206 के अधीन वर्गीकृत ' डीकेटोपाइलरोलो पाइरोले पीगमैण्ड रेड 254 (डीपीपी रेड 254) पर एडीडी लगाई थी।

15 अगस्त 2015 से 28 फरवरी 2018 तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क आयुक्तालय, न्हावा शेवा-V, मुम्बई जोन-II के द्वारा, ₹8.25 करोड़ के मूल्य के 84 परेषण के अन्तर्गत 'डीपीपी रेड 254' आयात किए गए थे। लेखापरीक्षा ने ₹3.04 करोड़ के मूल्य के आयातों सहित 40 बीई की नमूना जाँच की तथा ₹1.43 करोड़ मूल्य के आयातों सहित 16 बीई में ₹57.45 लाख की एडीडी राशि का अनुद्ग्रहण दर्शाया था।

मैसर्स 'एस' लिमिटेड तथा एक अन्य ने सीटीएच 32041739 के अंतर्गत चीन से 'डीपीपी रेड 254' के 16 परेषणों का आयात किया था। सीटीएच 32041739 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त 2015 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर एडीडी लगाया। हालांकि, ₹57.45 लाख की रशि के एडीडी का विभाग द्वारा उद्ग्रहण नहीं किया गया था। इसे लागू ब्याज के साथ वसूली की जानी चाहिए थी।

यह दर्शाए जाने पर (मार्च 2018), विभाग ने आयातक को एक कारण बताओ सह मांग नोटिस जारी किया था (अप्रैल 2018) आगे प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

यह भी देखा गया था कि प्रणाली द्वारा इन बीई को यह बताते हुए मंजूरी दी गई थी कि ये सत्यापन के लिए आरएमएस द्वारा चिन्हित नहीं की गई थी। बीई डेटा में सीटीएच, वस्तु विवरण, मूलदेश तथा आपूर्तिकर्ता के नाम के बावजूद आरएमएस ने नमूना जांच की गई 40 बीई में से 16 बीई में एडीडी के अनुद्ग्रहण को नहीं दर्शाया। यह आरएमएस के डिजाइन में कमी दर्शाता है। इस प्रणालीगत चूक का सुधारने की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

4.12 डीसी द्वारा प्रभारों की कम/गैर उद्ग्रहण

सेज की अध्यक्षता, संबद्ध सीमा शुल्क व मंत्रालियक स्टाफ के साथ डीसी (संयुक्त सचिव/निदेशक/केन्द्र में उप सचिव स्तर) के द्वारा की जाती है। केन्द्र सरकार एक या अधिक सेज {सेज अधिनियम की धारा 11(1)} में डीसी को नियुक्त करती है। केन्द्र सरकार सेज में डीसी के कार्यो के निष्पादन में सहायता के लिए ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भी नियुक्त करती है {(सेज अधिनियम की धारा 11(2)}। ऐसे पदों की लागत वहन करना डेवलपर[62] के लिए अनिवार्य है जो लागत वसूली आधार पर बनाई गई है। वाणिज्यिक विभाग (सेज

[62] "डेवलपर" का अर्थ उस व्यक्ति से, या राज्य सरकार से है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (10) के तहत अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया है और इसमें एक प्राधिकरण और एक सह-डेवलपर शामिल है ।

डिविजन) के आदेश संख्या एफ. सं. ए-1/3/2008-सेज दिनांक 6 सितम्बर 2010 के संदर्भ में, डीसी किसी भी अधिकारी की रिपोर्ट पर, आधे वर्ष या अन्य भाग के लिए प्रत्येक अधिकारी के प्रति अस्थायी वसूली की गणना करेगा, तथा इसकी सूचना डेवलपर को देगा। डेवलपर मांग के 15 दिनों के अंदर उसे भेजेगा। भुगतान में देरी पर 12 प्रतिशत की दर पर दण्डिक ब्याज आवश्यक होगा। इसके आलावा, समय पर भुगतान करने में डेवलपर की विफलता के परिणामस्वरूप अधिकारियों का प्रत्याहार हो सकता है जबतक कि ब्याज सहित भुगतान नहीं हो जाता।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में ₹15.24 करोड़ के राजस्व वाले सीप्ज-मुम्बई, नोएडा सेज तथा आईसीडी, अंकलेशवर में ईकाइयों से लागू स्थापना तथा अन्य प्रभारों के गैर-वसूली के पाँच मामलों का पता चला। ₹5.51 करोड़ वाले चार मामलो को स्वीकार किया गया तथा तीन मामले में ₹1.98 करोड़ की वसूली की गई थी।

तीन मामलों की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है तथा शेष दो मामलों का **अनुबंध 11** में उल्लेख किया गया है।

4.12.1 डेवलपर से लागत वसूली प्रभारों तथा ब्याज की उगाही न होना

डीसी,एनएसईजेड़ के लागत वसूली प्रभारों से संबंधित रिकार्ड की लेखापरीक्षा जाँच (फरवरी 2018) से पता चला कि अक्टूबर 2015 से मार्च 2018 के दौरान सात[63] डेवलपरों द्वारा ₹90.73 लाख राशि की सीआरसी का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार, डेवलपर लागू ब्याज के साथ ₹90.73 लाख तक के भुगतान न किए गए सीआरसी के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 13 डेवलपरों[64] ने अक्टूबर 2011 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान 4 दिनों से 630 दिनों की देरी से सीआरसी का भुगतान किया था। इसीलिए, ये डेवलपर सीआरसी के देरी से भुगतान पर ₹9.83 लाख की राशि का ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

---

[63] (1) एस-1 लिमिटेड, नई दिल्ली, (2) एस-2 लिमिटेड, वर्ली, मुंबई, (3) एस-3 लिमिटेड, नई दिल्ली, (4) एस-4 लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, (5) एस-5 लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, (6) एस-6 लिमिटेड, लोअर परेल, मुंबई, (7) एस-7 लिमिटेड, बंगालोर।

[64] (1) एसएस-1 लिमिटेड, (2) एसएस-2, लिमिटेड, नई दिल्ली, (3) एसएस-3, लिमिटेड, वर्ली, मुंबई, (4) एसएस-4, लिमिटेड, नई दिल्ली, (5 एसएस-5, लिमिटेड, (6) एसएस-6, लिमिटेड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, (7) एसएस-7, लिमिटेड, बैंगलोर, (8) एसएस-8, लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, (9) एसएस-9, लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, (10 एसएस-10, लिमिटेड, नई दिल्ली, (11) एसएस-11, लिमिटेड, लोअर परेल, मुंबई, (12) एसएस-12, लिमिटेड और (13) एसएस-13, लिमिटेड, बैंगलोर।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी पता चला कि विभाग ने 12 दिनों से 138 दिनों की देरी[65] के साथ डेवलपर से सीआरसी की माँग की थी, जिससे सीआसी के जमा करने में देरी हुई।

हालांकि, डेवलपर द्वारा समय पर सीआरसी का भुगतान नहीं किया गया था; विभाग ने डेवलपर से सीआरसी के देरी से भुगतान पर ब्याज तथा भुगतान न किए गए सीआरसी की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है।

इस विषय में बताए जाने पर (फरवरी 2018), विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए ब्याज सहित पूरी राशि की वसूली की सूचना दी (जून/नवम्बर 2018 तथा फरवरी 2020)।

4.12.2 फायर स्टेशन की देखरेख के लिए फायर उपकर का अनुद्ग्रहण

सेज अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अनुसार, यह प्रत्येक सेज प्राधिकरण (प्राधिकरण) का कर्तव्य होगा कि वह सेज के विकास, संचालन तथा प्रबंधन के लिए उपयुक्त ऐसे उपाय करे, जिसके लिए यह गठित है। यह भी प्रावधान है कि अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राधिकरण, उसकी संबंधित संपतियों के उपयोग के लिए, फीस या किराया लेगा अथवा सामान्य सेवाएं प्रदान करने पर खर्च करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क या सेवा शुल्क लगाएगा।

एमओसीआई, भारत सरकार, ने सशक्त समिति के माध्यम से वर्ष 2009-10 के दौरान ₹5.20 करोड़ की कुल लागत के साथ एसईडीपीजेड़-सेज मुम्बई में चौबीस घंटे कर्मियों के साथ-साथ, एक एम्बुलेंस तथा एक फायर इजंन के साथ एक फायर स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। यह काम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को सौंपा गया था। फायर स्टेशन का निर्माण कार्य ₹2.83 करोड़ के व्यय के बाद पूरा हुआ था (सितम्बर 2011)।

एमआईडीसी ने ₹1.16 करोड़ के फायर स्टेशन के वार्षिक रखरखाव के लिए सभी यूनिट धारको से ₹0.25 प्रति वर्ग फुट (प्रयुक्त क्षेत्र 42,54,894.32 वर्ग फुट)[66] प्रति माह की दर से फायर उपकर के उद्ग्रहण के लिए डीसी, एसईईपीजेड-सेज को जानकारी दी थी (फरवरी 2009)। एमआईडीसी ने फायर स्टेशन के संचालन तथा रखरखाव के लिए एमआईडीसी की प्रतिपूर्ति न करने के संबंध में आवर्ती खर्चो की प्रतिपूर्ति न करने के संबंध में प्राधिकरण को दोबारा लिखा (फरवरी 2017)। एमआईडीसी द्वारा जुलाई 2011 से

[65] देरी की गणना प्रत्येक छमाही के बाद के महीने के 15 दिन से की गई है ।

[66] 395293 वर्ग मीटर X 10.7639=4254894.32 वर्ग फीट

जनवरी 2017 की अवधि के लिए ₹3.61 करोड़ की राशि के प्रभार माँगे गए थे।

लेखापरीक्षा में सीप्ज-प्राधिकरण द्वारा दिए गए मासिक बिलो से पता चला कि फायर उपकर का शुरू फायर स्टेशन के निर्माण के आठ वर्षों के बाद भी उद्ग्रहण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹9.57 करोड़[67] के फायर उपकर की वसूली नहीं हुई।

इस विषय में बताए जाने पर (जनवरी 2018) प्राधिकारी ने कहा (जून 2018) कि उसने 1 अप्रैल 2017 से फायर उपकर के उद्ग्रहण को अनुमोदित कर दिया था तथा इसके अनुसार बिल सीप्ज सेज में सभी यूनिटों को जारी किए जाएंगे। आगे जानकारी दी गई थी कि फायर उपकर के उद्ग्रहण का प्रस्ताव 11 मई 2018 को हुई बैठक में प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था तथा 1 अप्रैल 2017 से फायर उपकर के उद्ग्रहण के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी (जुलाई 2018)।

मंत्रालय को केवल मई 2018 में इस प्रस्ताव को लाने के लिए प्राधिकरण के कारणों की सूचना देने तथा इस चूक के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करने का अनुरोध किया था (मई 2020)। हालांकि एमआईडीसी ने इसे फरवरी 2009 में इस उद्ग्रहण के बारे में जानकारी दी थी तथा फायर स्टेशन सितम्बर 2011 से संचालन में था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

4.12.3 वापस न किए गए तथा समाप्त गेट पास के लिए जुर्माने की उगाही न करना

डीसी, सीप्ज-सेज, मुम्बई द्वारा जारी परिपत्र 4 दिनांक 14 मई 2015 से सीप्ज-सेज में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रकार के स्थायी तथा दैनिक गेट पास जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह निर्धारित किया गया है कि युनिट वैधता अवधि की समाप्ति/कर्मचारी को हटाने/कर्मचारी के त्यागपत्र के बाद गेट पास काउंटर पर तुरंत गेट पास वापस करेगी। 30 दिनों में गेट पास वापस न करने पर ₹1000/₹500 (1 अगस्त 2017 के बाद) प्रति गेट पास की अधिकतम शास्ति लगाई जाएगी, जिसे उस इकाई से वसूल किया जाता है।

[67] (0.25*4254894.32*90) = ₹957.35 लाख

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि सीप्ज-सेज प्राधिकार, मुम्बई द्वारा कर्मचारियों/यूनिटों को जारी 26,674 गेट पास 1 अगस्त 2017 को या पहले समाप्त हो गए, परन्तु सुरक्षा अनुभाग को सौंपे नहीं गए। इसके अलावा, वैध अवधि की समाप्ति के पश्चात भी 1 अगस्त 2017 को समाप्त हुए 17,235 गेट पास भी सौंपे नहीं गए। इस प्रकार, वैध अवधि के पश्चात/कर्मचारी को हटाने/कर्मचारी के त्याग पत्र के पश्चात भी गेट पास को वापस न करने पर उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार संबंधित इकाईयों के विरूद्ध ₹3.53 करोड़[68] का जुर्माना नहीं लगाया गया/सौंपे नहीं गए। समाप्त गेट पासो के गलत प्रयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस विषय में बताए जाने पर (फरवरी 2018), सीप्ज प्राधिकरण ने बताया (मार्च 2018) कि समाप्त हो चुके गेट पास को वापस न करने पर इकाईयो को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी तथा उक्त प्रक्रिया में पास देरी से जमा करने या वापस न करने के मामले में शास्ति भाग भी शामिल होगा। यह कहा गया कि इस प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने के लिए एक स्वचालित माड्यूल विकसित किया जा रहा था ताकि सौंपे न जाने पर या विलंब से प्रस्तुत करने के लिए नोटिस वास्तविक समय पर दिए जा सके। इस मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2020)।

4.13 निष्कर्ष

इस अध्याय आयातों के निर्धारण में लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए वर्तमान अधिसूचनाओं, लागू सीमा शुल्क, शुल्क तथा उद्ग्रहण के अननुपालन के 85 मामले दर्शाए गए है। ₹69.59 करोड़ का राजस्व छूट अधिसूचनाओं के गलत लागू करने, आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण या लागू शुल्कों तथा अन्य प्रभारों के गलत उद्ग्रहण के कारण शुल्क के गैर/कम उद्ग्रहण के कारण जोखिम में था।

मंत्रालय/विभाग ने 70 मामलों को स्वीकार किया है तथा इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के समय तक ₹24.90 करोड़ की वसूली की। मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के समय 15 मामलो में प्रतीक्षित था।

यद्यपि मंत्रालय ने कई मामलों में शुल्क की वसूली के लिए सुधारात्मक कार्यवाई की थी, परन्तु यह पाया गया कि ये केवल कुछ उदाहरण के मामले थे। यह पूरी संभावना है कि भूल-चूक की ऐसी गलतियां, जो आरएमएस

[68] (26674 x ₹1000)+(17235x ₹500)= ₹3,52,91,500

आधारित निर्धारण में हो या मैन्युल निर्धारण में हो, दुसरे अन्य मामलो में भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा ने, जहाँ लागू हो, वर्ष 2017-18 के लिए आयात डेटा को प्रयोग कर समान लेनदेन के कुल मामलों को सुनिश्चित कर राजस्व के संभावित जोखिम को मापने करने का प्रयास किया था। विश्लेषण से 58 पोर्ट के माध्यम से आयातित ₹163 करोड़ वाले 4,106 बीई में गलत वर्गीकरण, आईजीएसटी का गैर/कम उद्ग्रहण, गलत अधिसूचना लाभ देने का पता चला। विभाग को सीबीआईसी डेटा के विश्लेषण पर आधारित लेखापरीक्षा द्वारा परिमाणित मामलो सहित सभी लेनदेन, जो राजस्व की हानि के जोखिम पर हो सकते है, की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

यह ध्यान देने के लिए प्रासंगिक है कि लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में जाँच की गई बड़ी संख्या में बीई को आरएमएस के द्वारा निर्धारित किया गया था जो दर्शाता है कि प्रणाली आधारित निर्धारणों को सुगम बनाने के लिए आरएमएस द्वारा चित्रित निर्धारण नियम अपर्याप्त थे। आरएमएस में जोखिम मापदंडों के अद्यतन तथा चित्रण करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी आवश्यक है।

अध्याय V

विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

5.1 प्रस्तावना

एफटीपी व्यापार सुगमता में सुधार करने तथा व्यवसाय करने को सुगम बनाने पर फोकस करते हुए माल तथा सेवाओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए ढ़ाँचा प्रदान करती है। एफटीपी 2015-2020 को केन्द्र सरकार ने संशोधित एफटीडीआर अधिनियम 1992 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया है। एमओसीआई के अंतर्गत डीजीएफटी, एफटीपी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिसे डीजीएफटी तथा डीओआर द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है।

एफटीपी के अंतर्गत निर्यात संवर्धन योजनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(i) भारतीय योजनाओं से निर्यात: इनका उद्देश्य निर्यात को ढ़ाँचागत अक्षमताओं तथा माल के निर्यात संबंधित लागतों का समंजन करने तथा निर्यातको को समान अवसर प्रदान करने के लिए परितोषिक प्रदान करना है। इस श्रेणी में दो मुख्य योजनाएं मरचंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया (एमईआईएस) तथा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया (एसईआईएस) है।

(ii) शुल्क छूट तथा माफी योजनाएं: ये निर्यात उत्पादन हेतु पूंजीगत माल और अन्य इनपुटों के रियायती दरों पर शुल्क मुक्त आयातों या रियायती दरों पर आयातों अथवा निर्यातकों द्वारा निर्यातित माल के उत्पादन के दौरान वहन किए गए करों तथा शुल्कों से राहत उपलब्ध कराने के लिए शुल्क माफी को सक्षम बनाती है। इस श्रेणी के अंतर्गत अग्रिम अधिकार, शुल्क मुक्त आयात अधिकार तथा शुल्क प्रतिअदायगी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ईपीसीजी योजनाएं प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्यात माल के उत्पादन और सेवाओं के लिए शून्य/रियायती दरों के तहत पूंजीगत माल के आयात को सुगत बनाती है। डीजीएफटी विभिन्न निर्यात संर्वधन योजनाओं के अंतर्गत निर्यातको को पत्रक जारी करता है तथा 38 आरए के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्व की जाँच करता है। सभी 38 आरए कम्पयूटरीकृत है तथा डीजीएफटी सेंट्रंल सर्वर से जुड़े हुए हैं। डीजीएफटी द्वारा जारी पत्रक के आयातो को नियमित करने के लिए सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचनाएं जारी की जाती है तथा इन पत्रकों को संबंधित निर्यातकों द्वारा आयुक्तालय के अधीन सीमा

शुल्क हाउस में पंजीगृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत इनपुटों तथा पूँजीगत माल के आयात को सीमा शुल्क से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दी जाती है। ऐसे छूट प्राप्त माल के आयातक निर्धारित निर्यात दायित्वो (ईओ) को पूरा करने के साथ-साथ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने का वचन देते है इसमे विफल होने पर दी गई छूट अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग द्वारा वसूली योग्य हो जाती है। लाइसेंस धारक, सीमा शुल्क विभाग की कार्यवाई के अतिरिक्त, जारी लाइसेंस की शर्तों को पूरा न करने हेतु एफटीडीआर अधिनियम 1992 के अंतर्गत डीजीएफटी द्वारा दांडिक कार्यवाही का भी दायी होगा। एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत कुछ अन्य योजनाओं के संबंध में, ढ़ांचागत अक्षमताओं तथा संबंधित लागतो की भरपाई के लिए पुरस्कार के रूप में निर्यात के एफओबी मूल्य के कुछ प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करता है।

5.2 निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानो का अननुपालन

अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में, "अग्रिम अधिकार (ईओ अवधि 18/24 महीने) के प्रति ईओ को पूरा न करने, ईपीसीजी अधिकार (ईओ अवधि 6 वर्ष) के अनियमित निर्वहन जिस के कारण सीमा शुल्क तथा आयातो पर ब्याज की वसूली न होना, लंबित बीआरसी के प्रति शुल्क प्रतिअदायगी की गैर-वसूली, अनुमत सीमा से अधिक घरेलु टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में उत्पादो की निकासी, डी-बांन्डिग के समय ईओयू द्वारा तैयार माल पर एसएडी का भुगतान न करना, सेज से डीटीए इकाईयों को निकासी किए गए माल पर शुल्क का अनुद्ग्रहण तथा पुन: पूर्ति प्राधिकार का अतिरिक्त ग्रांट हुआ", से संबंधित अनियमितताए देखी गई ।

इन 27 मामलों में कुल राजस्व निहितार्थ ₹27.74 करोड़ था जहाँ एफटीपी तथा एचबीपी के प्रावधानों को पूरा किए बिना शुल्क छूट का लाभ उठाया गया था। विभाग ने ₹15.14 करोड़ वाले 23 मामलो को स्वीकार किया तथा ₹6.65 करोड़ की वसूली की सूचना दी। इनमें से, 10 मामले की अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है। ₹4.90 करोड़ वाले शेष 17 मामले, जिन्हे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था तथा जिनमें वसूली की गई /वसूली प्रक्रियाए शुरू की गई को, **अनुबंध 12** में उल्लेखित किया हैं।

5.2.1 शुल्क प्रतिअदायगी योजना

(क) लंबित बीआरसी के प्रति शुल्क प्रतिअदायगी की वसूली न होना

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्रतिअदायगी (संशोधन) नियमावली 2006, का नियम 16ए प्रतिअदायगी की राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित प्रावधान करता है, जहाँ निर्यात आय प्राप्त नहीं हुई है:

(i) यदि निर्यात आय निर्यात की तारीख से नौ महीने की अवधि या फेमा, अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाई गई अवधि में प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसे एसबी में स्वीकृत प्रतिअदायगी वसूल की जाएगी।

(ii) यदि निर्यातक फेमा के अंतर्गत स्वीकृत अवधि में या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कथित अवधि के विस्तारण पर निर्यात आय की प्राप्ति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो सहायक आयुक्त/ उप आयुक्त सीमा शुल्क, निर्यातक को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमे नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि में निर्यात आय के उद्ग्रहण के साध्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और जहां निर्यातक 30 दिन की कथित अवधि के दौरान निर्यात ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, तो सहायक आयुक्त/ उप आयुक्त सीमा शुल्क प्रतिअदायगी भुगतान की राशि की वसूली के लिए एक आदेश पारित करेगा तथा निर्यातक कथित आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर मांगी गई राशि का भुगतान करेगें।

लेखापरीक्षा ने बीआरसी तथा शुल्क प्रतिअदायगी दावें से संबंधित सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), लखनऊ के अधीन आईसीडी पनकी, कानपुर के अभिलेखों की जाँच की (दिसम्बर 2018)। संवीक्षा से पता चला कि एसबी[69] के 364 मामलो में से, 321 मामलो में, अप्रैल 2015 तथा मार्च 2018 के बीच लेट एक्सपोर्ट आर्डर (एलईओ) जारी किए गए थे तथा प्रतिअदायगी लाभ प्राप्त किए गए थे। निर्यातकों ने निर्धारित नौ महीने के खत्म होने के बाद भी निर्यात आय की उगाही के समर्थन में विभाग ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 महीने या अधिक के बाद भी, विभाग ने बीआरसी प्राप्त करने या इन 321 एसबी में स्वीकृत प्रतिअदायगी की वसूली के लिए कोई कार्यवाई शुरू नहीं की थी। इसीलिए, निर्यातकों को भुगतान की गई ₹9.05 करोड़ तक की शुल्क प्रतिअदायगी वसूल करने योग्य थी।

[69] 26.12.2018 को आईसीडी, पनकी, कानपुर में आईसीईएस 1.5 द्वारा सृजित रिपोर्ट के अनुसार

इसे दिसम्बर 2019 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

(ख) निर्यात आय की उगाही न होने पर शुल्क प्रतिअदायगी की वसूली न होना

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयर कार्गो काम्पलेक्स), बैंगलुरू, में 2015 से 2018 की अवधि के लिए ₹4,333.47 करोड़ के एफओबी के साथ 59,241 एसबी में ₹123.89 करोड़ की प्रतिअदायगी राशि का दावा किया गया था। ₹128.11 करोड़ के एफओबी मूल्य तथा ₹4.57 करोड़ के प्रतिअदायगी दावे के 1,377 एसबी में डीजीएफटी' ई-बीआरसी डेटा के साथ आरबीआई की एक्स-ओएस स्टेटमेंण्ट (जुलाई 2018) के प्रति सत्यापन से पता चला कि ₹1.67 करोड़ के प्रतिअदायगी दावे वाले 609 एसबी के संबंध में नियत समय में ₹36.40 करोड़ की निर्यात आय की उगाही नहीं की गई थी। हालांकि, ₹1.67 करोड़ राशि वाले प्रतिअदायगी की वसूली में विभाग द्वारा कोई कार्यवाई शुरू नहीं की गई थी।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि ₹0.15 करोड़ की प्रतिअदायगी तथा ₹6.75 करोड़ की गैर-उगाही वाले 62 एसबी के संबंध में, बैंक मिलान प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। उन्होने आगे बताया कि ₹27.76 करोड़ की अनुद्ग्रहीत निर्यात आय तथा ₹1.46 करोड़ की प्रतिअदायगी वाले 528 एसबी (71 निर्यातकों) के संबंध में एससीएन जारी किए गए थे। विभाग ने ₹1.89 करोड़ की अनुद्ग्रहीत निर्यात आय तथा ₹0.06 करोड़ की प्रतिअदायगी वाले शेष 19 एसबी पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

(ii) इसी प्रकार, सीमा शुल्क आयुक्तालय (नगर), बैंगलुरू, में ₹3.29 करोड़ की प्रतिअदायगी वाले 373 एसबी के संबंध में नियत समय में ₹80.21 करोड़ की निर्यात आय की उगाही नहीं की गई थी।

इसलिए, 920[70] एसबी के संबंध में ₹4.82 करोड़ की कुल प्रतिअदायगी राशि का दावा किया गया था जबकि ₹109.85 करोड़ की निर्यात आय की नियत अवधि में उगाही नहीं की जा सकी जिसको लागू ब्याज सहित वसूली की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

[70] शेष 547 एसबी एसीसी-बेंगलुरु से संबंधित हैं और 373 एसबी आईसीडी-बेंगलुरु से संबंधित हैं।

5.2.2 निर्यात उन्मुख इकाइयाँ (ईओयू)/विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

(क) अनुमत सीमा से अधिक उत्पादों की डीटीए में निकासी

एफटीपी के पैराग्राफ 6.8(ए) के अनुसार, रत्नों तथा आभूषण के अतिरिक्त अन्य इकाइयां, रियायती शुल्कों के भुगतान पर, सकारात्मक एनएफई की पूर्ति की अवस्था में निर्यातों के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल बेच सकता है। डीटीए बिक्री की पात्रता के भीतर, इकाई डीटीए में उस माल के समान अपने उत्पादों के बेच सकती है, जो इकाइयो से निर्यात किए जाते है या इकाइयो से निर्यात किए जाने की संभावना है। जो इकाइयाँ एक से अधिक उत्पादों का विनिर्माण तथा निर्यात कर रही है, वे इसमे से किसी भी उत्पाद को विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक डीटीएस को बेच सकती है बशर्ते कि कुल डीटीए बिक्री अवधि के दौरान किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत की कुल पात्रता से अधिक नहीं हैं। डीटीए बिक्री पात्रता का लाभ पात्रता के उपार्जन के तीन वर्षों के अन्तर प्राप्त किया जाएगा (एचबीपी संस्करण । का परिशिष्ट जी)।

सीप्पज, मुम्बई के अधीन 222 ईओयू में से 2012-13 से 2016-17 के दौरान 150 ईओयू में डीटीए निकासी की गयी। लेखापरीक्षा ने दो इकाईयों की नमूना जांच की और एक ईओयू में अधिक डीटीए निकासी पर शुल्क का कम उद्ग्रहण पाया गया।

मैसर्स 'ए' इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एक 100 प्रतिशत ईओयू, ने इसकी दो इकाईयों में पोली टेट्रा फ्लौरो इथलीन (पीटीएफई) से बनाए गए 6 प्रकार के निर्मित माल का निर्यात किया था। पीटीएफई नोजल निर्मित तथा निर्यातित उत्पादों में से एक था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, इकाई ने अपनी दो इकाइयो के माध्यम से ₹5.64 करोड़ के मूल्य की पीटीएफई नोजल का निर्यात किया था। ₹5.08 करोड़ (₹5.64 करोड़ का 90 प्रतिशत) के मूल्य की पीटीएफई नोजल की पात्रता के प्रति, इकाई ने ₹33.87 करोड़ मूल्य के पीटीएफई नोजल की रियायती शुल्क दर पर डीटीए में निकासी की गई था। इस प्रकार, पात्रता से अधिक पीटीएफई नोजल की अधिक निकासी के लिए इकाई ₹1.24 करोड़ के शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी।

यह मई 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

(ख) डी-बॉन्डिग के समय पर ईओयू द्वारा तैयार माल पर एसएडी का भुगतान न करना

एफटीपी का पैराग्राफ 6.18(ए) सुनिश्चित करता है कि एक ईओयू लागू उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क के भुगतान पर योजना से अलग विकल्प चुन सकता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 3(1) प्रावधान करती है कि ईओयू द्वारा उत्पादित या निर्मित तथा भारत में किसी अन्य स्थान पर लाई गई, किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर उद्ग्राहय उत्पादन शुल्क अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्राहय सीमा शुल्क के कुल के बराबर राशि होगी। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) बिक्री कर/वेट के बदले आयातो पर एसएडी के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा में निर्धारित शुल्क की जाँच के लिए डी-बान्डिंग से संबंधित चार विवरणों (कच्चा माल, पैकिंग सामग्रियो, कार्य प्रगति तथा तैयार माल) की नमूना जाँच की गई तथा डी-बॉनडेड तैयार माल पर कम शुल्क उद्ग्रहण से संबंधित अनियमितता के बारे में बताया गया था।

मैसर्स 'बी' लिमिटेड, सीजीएसटी वडोदरा-आयुक्तालय के अंतर्गत एक ईओयू, ने मार्च 2016 में डी-बाण्ड प्राप्त किया। लेखापरीक्षा ने इसकी डी-बाण्ड किए गए कच्चे माल, पैकिंग सामग्री, कार्य प्रगति तथा तैयार माल पर इसके द्वारा ₹8.08 करोड़ के पूरे शुल्क का सत्यापन किया तथा इसके तैयार माल पर ₹98.34 लाख के शुल्क के कम उद्ग्रहण से संबंधित अनियमताओं को इंगित किया था।

इकाई ने डी-बान्डिंग पर ₹20.22 करोड़ मूल्य के तैयार माल की निकासी की थी तथा लागू सीमा शुल्क, सीवीडी तथा शिक्षा उपकर सहित ₹4.36 करोड़ के शुल्क का भुगतान किया परंतु उपरोक्त धारा 3(5) के अंतर्गत 4 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राही एसएडी की राशि का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹98.34 लाख के शुल्क का कम-उद्ग्रहण हुआ जिसकी लागू ब्याज के साथ वसूली की जानी आवश्यक थी।

सीजीएसटी, वडोदरा-I आयुक्तालय ने अभ्युक्तियों (जून 2018/मार्च 2019) को स्वीकार कर इकाई को एक एससीएन जारी किया। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

(ग) सेज से डीटीए इकाई को निकासी किए गए माल पर शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ

सेज नियमावली, 2006 के नियम 47 के अनुसार, सेज इकाई सीमा शुल्क के भुगतान पर डीटीए में माल तथा सेवाओं को बेच सकती है।

डीसी, बंताला सेज, के कार्यालय में, बीई रजिस्टर से पाया गया था कि यहां 2018-19 के दौरान ₹2.44 करोड़ के मूल्य के माल की डीटीए निकासी हुई थी। संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि सभी 11 मामलों में मैसर्स 'सी' सोल्यूसंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न डीटीए इकाइयो को माल जैसे इंड्स्ट्रियल एयर फिल्टर, स्क्रैप इत्यादि की विभिन्न डीटीए इकाइयो को निकासी की थी।

परन्तु लागू सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹68.67 लाख के शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया जो लागू ब्याज के साथ वसूल करने योग्य था। हालांकि, विभाग ने उसकी वसूली के लिए कोई कार्यवाई शुरू नहीं की थी।

इस विषय में बताए जाने पर, विभाग ने ₹68.67 लाख की कुल शुल्क राशि की वसूली की सूचना दी (दिसम्बर 2018)।

(घ) डीटीए में पुन: उपयोग योग्य पैकिंग सामग्री की निकासी पर सीमा शुल्क का भुगतान न करना

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 6.01 (घ) के अनुसार, एक ईओयू अपनी गतिविधियों के लिए सभी प्रकार के आवश्यक माल को, बिना शुल्क के भुगतान के डीटीए से आयात/अधिप्राप्त कर सकता है। अधिसूचना संख्या 52/2003-सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च 2003, की शर्त संख्या 4 (बी) तथा (सी) के अनुसार, दोबारा प्रयोग के लिए उपयुक्त उपयोग की गई पैकिंग सामग्री की शुल्क के भुगतान पर निकासी की जा सकती है जबकि दोबारा उपयोग के लिए अनुपयुक्त उपयोग की गई पैकिंग सामग्री जैसे गत्ता बाक्स, पोलीथीन बैग शुल्क की भुगतान के बिना निकासी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, एफटीपी का 6.15(डी) पैराग्राफ बताता है कि उपयोग की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति लेनदेन मूल्य पर शुल्क के भुगतान पर दी जा सकती है।

जीएसटी आयुक्तालय हैदराबाद के अंतर्गत एक ईओयू, मैसर्स 'डी' ऐटंरप्राइस लिमिटेड, दवाईयों तथा रसायनों के की भारी मात्रा में विनिर्माण में लगी हुई है। ईओयू ने अप्रैल 2015 से जून के दौरान ₹35.78 लाख के राशि की सीमा

शुल्क के भुगतान के बिना डीटीए में ₹1.53 करोड़ की राशि की उपयोग की गई पैकिंग सामग्री जैसे ड्रग तथा बैरेल की निकासी की थी।

इस विषय में बताए जाने पर (जनवरी/अप्रैल 2019), विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि "उपयोग किए गए ड्रम/बैरेल" केवल रद्दी थे तथा रद्दी डीलर तथा अन्य खरीदारों को बेच दिए गए जो न तो समान आयतित वस्तुओं के निर्माता है और न ही समान वस्तुओं के विक्रेता, इसीलिए बार-बार उपयोग अर्थात एक ही रसायन जो मूल रूप से इन ड्रमों में प्राप्त किए गए थे, के लिए अनुपयुक्त है। एक्सवाईजेड लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर, पुडुचेरी (2018-टीआईओएल-1956-सैसटैट-मद्रास) के मामले में विभाग ने सैसटैट -दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई बैंच के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इन निकासियों में कोई शुल्क देयता नहीं थी।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सैसटैट, अहमदाबाद ने मैसर्स 'ई' कलर प्राइवेट लिमिटेड बनाम सी.सी.ई तथा एसटी सूरत ॥ (अपील सं. ई/1063/2010-डीबी दिनांक 13 नवम्बर 2018) के मामले में अपने उत्तर में विभाग द्वारा उद्धृत सैसटैट -दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई ब्रांच के निर्णय का तथा इसी तरह के दूसरे मामलो पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि इसमें पैक किए गए इनपुट में से उत्पन्न खाली ड्रम/बैरेल प्रकृति से टिकाऊ तथा दोबारा उपयोग योग्य है, इसीलिए अधिसूचना सं. 22/2003 दिनांक 31 मार्च 2003 तथा 52 सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च 2003 के अनुसार ऐसे खाली ड्रमो की निकासी शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

5.2.3 अग्रिम प्राधिकार योजना

(क) जैम रिपलिन्समेंट प्राधिकार की अधिक अनुमति

एफटीपी, 2015-20 के पैराग्राफ 4.35 के अनुसार, एक निर्यातक सादे या जड़ित सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों तथा वस्तुओं के लिए आरए से जैम रिपलिन्समेंट प्राधिकार प्राप्त कर सकता है। इस तरह के प्राधिकार का मूल्य 7 प्रतिशत (एचबीपी का पैराग्राफ 4.60, खण्ड-I) के निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक वसूली के संदर्भ में निर्धारित करना होगा। एचबीपी का पैराग्राफ 4.38, खण्ड । निर्धारित करता है कि मूल्य वर्धन का निर्धारण करने के लिए निर्यात उत्पाद में सोने/चाँदी/प्लेटिनम सामग्री के मूल्य पर विचार करते हुए घरेलु रूप से अधिप्राप्ति के मूल्य के साथ-साथ रत्न आदि जैसी अन्य मदो के मूल्य के साथ स्वीकार्य अपव्यय सहित गणना की जानी चाहिए। प्राधिकरण पात्रता की गणना शेष एफओबी निर्यात मूल्य (एचबीपी खण्ड । के परिशिष्ट 4 एफ) के 50 प्रतिशत पर की जानी है।

जेडीजीएफटी के कार्यालय, जयपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2017-18 की अवधि के दौरान ₹34.71 करोड़ के मूल्य के 22 प्राधिकार जारी किए गए थे। सभी 22 प्राधिकारों की लेखापरीक्षा की गई तथा यह पाया गया को कीमती तथा अर्द्धकीमती पत्थरों तथा डायमण्ड आदि से जड़े हुए सोना तथा चाँदी के आभूषणों के निर्यात के लिए 549 एसबी के प्रति ₹30.96 करोड़ के मूल्य के 19 प्राधिकार प्रदान किए गए थे। प्राधिकार प्रदान करते समय जेडीजीएफटी ने अन्य इनपुट की लागत को ध्यान में रखे बिना ही सोने/चाँदी की लागत पर सात प्रतिशत के मूल्य वर्धन की गणना की गई। जबकि, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, निर्यात उत्पाद में सोने/चाँदी/प्लेटिनम की लागत के साथ-साथ रत्न जैसी अन्य मदों के मूल्य सहित स्वीकार्य अपव्यय के साथ इनपुटों के मूल्य पर सात प्रतिशत मूल्यवर्धन की आवश्यकता थी। इसके अनुसार ₹28.55 करोड़ की हकदारी के प्रति, निर्यातकों को ₹30.96 करोड़ के प्राधिकार प्रदान किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹2.41 करोड़ के अधिक प्राधिकार दिए गए।

जेडीजीएफटी, जयपुर ने ₹50 लाख के ब्याज के साथ ₹2.41 करोड़ की पूरी राशि की वसूली की सूचना दी थी (जून 2018 से जनवरी 2019)।

(ख) अग्रिम प्राधिकार के प्रति निर्यात दायित्व को पूरा न करना

एचबीपी, खण्ड I, 2015-20 (पैराग्राफ 4.20) के साथ पठित एफटीपी, 2015-20 (पैराग्राफ 4.22) निर्धारित करता है कि निर्धारित समय के भीतर अग्रिम प्राधिकार (एए) के प्रति निर्यात दायित्व को पूरा करने तथा उसके बाद दो महीने के अन्दर निर्यात के साक्ष्य को प्रस्तुत करने में विफलता से ब्याज के साथ आयातित सामग्री पर पूर्ववत सीमा शुल्क की वसूली होगी।

आरए, बैंगलुरू ने मैसर्स 'एफ' टिम्बर्स मैगलुरू को लाइसेंस के जारी करने की तिथि के 18 महीनों (मार्च 2018) के अन्दर ₹17.30 करोड़ के निर्यात दायित्व को पूरा करने के निर्धारण के साथ, ₹1.17 करोड़ की राशि के बचत शुल्क के साथ ₹14.04 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ 'कच्चे काजू' के आयात के लिए एक एए दिनांक 16 सितम्बर 2016 को जारी किया। आरए ने वैधता अवधि को छह महीने के लिए बढ़ा दिया (15 सितम्बर 2018 तक)।

लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2019) कि लाइसेंस धारक ने एनसीएच, मंगलुरू के माध्यम से माल आयात किया (सितम्बर 2016 से जून 2017), परन्तु आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत कर अभी तक (अप्रैल 2019) ईओ को पूरा करने में विफल रहा। इसलिए, लागू ब्याज के साथ ₹1.17 करोड़ की परिव्यक्त शुल्क राशि लाईसेंस धारक से वसूल करना आवश्यक था।

वित्त मंत्रालय, डीओआर ने कहा (जून 2020) कि ₹40 लाख की एक राशि आयातकों से (फरवरी 2020 तक) वसूली थी तथा ब्याज के साथ शेष को वसूल करने के लिए एससीएन जारी किया गया था (मार्च 2020)।

5.2.4 निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना

(क) ईपीसीजी प्राधिकार के अनियमित निर्वहन के कारण आयातों पर सीमा शुल्क तथा ब्याज की वसूली न होना।

एफटीपी 2009-14 के अध्याय 5 के अनुसार, ईपीसीजी योजना शून्य सीमा शुल्क पर उत्पादन से पहले, उत्पादन तथा उत्पादन के बाद पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है। इस योजना के अतर्गत पूंजीगत आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के 6 गुना के बराबर ईओ के विषयाधीन है, जिसे प्राधिकार जारी करने की तिथि से गणना किए गए 6 वर्षों में पूरा किया जाना था। एफटीपी (2009-14) का पैराग्राफ 5.9 निर्धारित करता है कि निर्यात में तेजी लाने की दृष्टि से, ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार धारक ने निर्दिष्ट मूल ईओ अवधि से आधे, या आधे से कम अवधि में विशेष ईओ के 75 प्रतिशत या अधिक और औसत ईओ के सौ प्रतिशत को आज तक पूरा किया है, शेष ईओ को माफ कर दिया जाएगा। एचबीपी, खण्ड । के पैराग्राफ 9.12 में कार्गो के प्रेषण के विभिन्न साधनों जैसे समुद्र द्वारा, हवाई मार्ग से सड़क से आदि के मामलो में निर्यात के लिए शिपमेंट/प्रेषण की तारीख के रूप में गिना जाना निर्दिष्ट करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 755 ईपीसीजी प्राधिकारों का ₹4,003 करोड़ की बचत शुल्क राशि सहित दिसम्बर 2015 से मार्च 2017 तक के दौरान एडीजीएफटी, कोलकाता के कार्यालय द्वारा संपादन किया गया था। संपादित 755 ईपीसीजी प्राधिकरणों में से, लेखापरीक्षा ने ₹1.61 करोड़ के शुल्क वाले

27 प्राधिकारो की नमूना जाँच की। नमूना जाँच किए गए संपादित ईपीसीजी प्राधिकरणों में से, लेखापरीक्षा में ₹1.50 करोड़ की बचत शुल्क राशि के साथ एक प्राधिकार दिनांक 29.09.209 के मामले में अनियमितताएँ पाई गई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:-

एडीजीएफटी, कोलकाता के कार्यालय की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि मैसर्स 'जी' मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कोलकाता को ₹1.50 करोड़ की बचत शुल्क राशि के लिए टेक्सटाइल उद्योग के लिए पूंजीगत माल के आयात के लिए एक शून्य शुल्क का ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था। लाइसेंस को 28 सितम्बर 2015 तक ₹9 करोड़ के मूल्य के सूती कपड़े के निर्यात की देयता के साथ जारी किया गया था। वास्तव में फर्म ने ₹1.52 करोड़ की बचत शुल्क राशि के मूल्य के पूंजीगत माल को आयात किया गया था तथा परिणामस्वरूप वास्तविक विशेष ईओ संशोधित कर ₹9.10 करोड़ कर दिया गया था। लाईसेंस को एफटीपी (2009-14) के पैराग्राफ 5.9 के अन्तर्गत आरए, कोलकाता द्वारा 14 फरवरी 2017 को डिसचार्ज किया गया, विशेष ईओ का 75 *प्रतिशत* या अधिक का मामला था जिसे निर्दिष्ट मूल ईओ अवधि (अर्थात् सितम्बर 2012 तक) के आधे के अन्दर अथवा आधे से कम में पूरा किया गया। तथापि, आगे की संविक्षा से यह पता चला कि सभी निर्यातों को नवम्बर 2012 में किया गया था, जो कि ईपीसीजी प्राधिकरण की मूल ईओ अवधि के आधे के बाद थी जो सितम्बर 2012 में समाप्त हो चुकी थी। तदनुसार, एफटीपी (2009-14) के पैराग्राफ 5.9 का प्रावधान तत्कालीन मामले में लागू नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ईपीसीजी प्राधिकरण का अनियमित संपादन हुआ जिसके लिए कुल ₹73.78 लाख का सीमा शुल्क ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसके बताए जाने पर (अप्रैल 2017), एडीजीएफटी, कोलकाता ने एफटीडीआर अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एक एससीएन जारी किया (जुलाई 2017) तथा तदुनुपरान्त यह सूचित किया (अप्रैल 2019) कि 14 फरवरी 2017 को जारी किए गये डिसचार्ज लैटर को वापिस ले लिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

5.2.5 सर्वड फ्राम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस)

(क) एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का गलत प्रदान करना

एफटीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 3.12.1के संदर्भ में एसएफआईएस का उद्देश्य भारत से सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को तेजी से बढ़ाना है जो तत्काल मान्यता प्राप्त तथा विश्व भर में सम्मानित एक शक्तिशाली तथा विशिष्ठ 'सर्वड फ्राम इंडिया' ब्रांड का सृजन करता है। एचबीपी, खंड I के परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध सेवाओं के सेवा प्रदाता एसएफआईएस के अन्तर्गत चालू वि.व. के दौरान अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क पत्रक के हकदार है। ''लेखाकरण सेवाए; तथा अभियांत्रिकी सेवाएं'' एसएफआईएस लाभों (एचबीपी, खंड-I के परिशिष्ट 41 के क्रम संख्या 1क (ख एवं ग) के लिए पात्र है।

डीजीएफटी की नीति व्याख्या समिति (पीआईसी) ने अपनी बैठक (दिसम्बर 2011) में कहा कि एफटीपी का किसी भी ब्रांड जो भारत के बाहर निर्मित हुआ है को कोई प्रोत्साहन देने का इरादा नहीं था। उपरोक्त पीआईसी निर्णय को एक्सवाईजेड प्राईवेट लिमिटेड (2015 की रिट याचिका सं. 33 में) के मामले में दिनांक 17 अगस्त 2015/16 सितम्बर 2015 के बोम्बे उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा बाद में सही ठहराया गया था।

तेरह एसएफआईएस लाईसेंसों को, जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान ₹1.40 करोड़ के मूल्य पर जारी किया गया था तथा यह पाया गया था कि सभी 13 लाईसेसों को 'अभियांत्रिकी सेवाओं' तथा 'लेखाकरण सेवा' के लिए मैसर्स 'एच' टेक्नोलाजीस प्राईवेट लिमिटेड को जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने सभी 13 लाईसेंसों की जांच की तथा पाया कि सभी 13 लाईसेंसों में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स गलत ढंग से प्रदान किया गया। यह पाया गया था कि मैसर्स 'एच' टेक्नोलाजी प्राईवेट लिमिटेड, विदेशी कंपनी मैसर्स 'आई' यूएसए की सहायक कंपनी थी। अत: वे एसएफआईएस क्रेडिट स्क्रिप्स प्रदान किए जाने के लिए अपात्र थे। तदनुसार, एसएफआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स का गलत प्रदान किया जाना ₹1.40 करोड़ की सीमा तक ब्याज सहित वसूली योग्य था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

5.3 निष्कर्ष

28 आरए की नमूना जांच से, निर्धारित नियमों, एफटीपी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए निर्मित प्रक्रियाओं तथा निर्यात दायित्वों को पूरा करने के संबंध में प्रक्रियाओं तथा निर्यात प्रोत्साहन देने के उल्लंघन के मामलों का पता चला। उपर्युक्त पैराग्राफ में वर्णित मामले केवल निर्देशी है जो लेखापरीक्षा की जांच पर आधारित है तथा नियम व प्रक्रियों की भूल-चूक की त्रुटियों से इंकार नहीं किया जा सकता। विभाग को सलाह दी जाती है कि इन सभी ईपीसीजी व अन्य योजनाओं की शर्तों को पूरा ना करने के मामलों की जांच करे और आवश्यक कार्रवाई करें। लेखापरीक्षा में इंगित मामलों में बचत शुल्क की वसूली के लिए उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली **(संदीप लाल)**
दिनांक: 24 नवम्बर 2020 **महानिदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चन्द्र मुर्मू)**
दिनांक: 02 दिसम्बर 2020 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुबंध

अनुबंध: 1

विशेष आर्थिक जोन पर तथ्य पत्रक (संदर्भित पैराग्राफ 1.9)

1 अप्रैल 2019 तक

औपचारिक अनुमोदन की संख्या	**416**		
अधिसूचित सेज की संख्या	351 **प्लस** 7 **केन्द्र सरकार प्लस** 12 **राज्य / निजी सेज**		
परिचालित सेज	232		
सेज में अनुमोदित इकाइयां	5,109		
निवेश	**निवेश (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील निवेश**	**कुल निवेश (1 अप्रैल 2019 तक)**
केंद्र सरकार के सेज	₹ 2,279 करोड़	₹ 16,398 करोड़	₹ 18,677 करोड़
2006 **से पहले स्थापित राज्य/ निजी सेज**	₹ 1,756 करोड़	₹ 11,518 करोड़	₹ 13,274 करोड़
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	-	₹ 4,75,693 करोड़	₹ 4,75,693 करोड़
कुल	**₹4,035 करोड़**	**₹ 5,03,609 करोड़**	**₹ 5,07,644 करोड़**
रोज़गार	**रोज़गार (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील रोज़गार**	**कुल रोज़गार (1 अप्रैल 2019 तक)**
केंद्र सरकार के सेज	1,22,236 व्यक्ति	1,05,801 व्यक्ति	2,28,037 व्यक्ति
2006 **से पहले स्थापित राज्य/ निजी सेज**	12,468 व्यक्ति	90,584 व्यक्ति	1,03,052 व्यक्ति
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	0	17,29,966 व्यक्ति	17,29,966 व्यक्ति
कुल	**1,34,704 व्यक्ति**	**19,26,351 व्यक्ति**	**20,61,055 व्यक्ति**
निर्यात निष्पादन			
वर्ष	**निर्यात**		**वृद्धि *प्रतिशत***
वि.व. 16	4,67,337		1
वि.व. 17	5,23,637		12
वि.व. 18	5,81,033		11
वि.व. 19	7,01,179		21

कुल निवेश	**2015-16 ₹करोड़ में**	**2016-17 ₹करोड़ में**	**2017-18 ₹करोड़ में**	**2018-19 ₹करोड़ में**
केंद्र सरकार के सेज	**15,178**	**15,974**	**19,381**	**18,677**
2006 **से पहले स्थापित राज्य/ निजी सेज**	**10,169**	**11,478**	**12,952**	**13,274**
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	**3,51,147**	**4,05,690**	**4,59,979**	**4,75,693**
कुल	**3,76,494**	**4,33,142**	**4,92,312**	**5,07,644**
रोज़गार (व्यक्तियों में)	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
केंद्र सरकार के सेज	2,38,382	2,34,861	2,39,870	2,28,037
2006 **से पहले स्थापित राज्य/ निजी सेज**	84,004	95,970	1,00,669	1,03,052
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	12,68,995	14,48,020	16,56,071	17,29,966
कुल	**15,91,381**	**17,78,851**	**19,96,610**	**20,61,055**

स्रोत: **www.sezindia.nic.in**

अनुबंध: 2

डीआरआई (योजना-वार) द्वारा शुल्क अपवंचन के मामलों का पता लगाया गया

(संदर्भित पैराग्राफ 1.13.1)

क्र.सं.	योजना	वि.व. 15 शुल्क के मामलों की संख्या इ्यूटी (₹ करोड़ में)	वि.व. 16 शुल्क के मामलों की संख्या इ्यूटी (₹ करोड़ में)	वि.व. 17 शुल्क के मामलों की संख्या इ्यूटी (₹ करोड़ में)	वि.व. 18 शुल्क के मामलों की संख्या इ्यूटी (₹ करोड़ में)	वि.व. 19 शुल्क के मामलों की संख्या इ्यूटी (₹ करोड़ में)
1	अंत-उपयोग और अन्य अधिसूचना शर्तों का दुरुपयोग।	18 110.18	69 770.48	29 15.91	48 117.50	60 539.47
2	ईपीसीजी का दुरुपयोग	49 289.11	64 454.92	53 311.96	37 237.47	32 72.90
3	अल्प-मूल्यांकन	85 285.64	92 254.37	154 184.89	346 1825.42	80 301.01
4	गलत घोषणा	52 172.42	112 1187.61	167 309.09	163 184.72	211 791.89
5	प्रतिअदायगी		94 1150.46	58 99.70	146 40.22	21 6.87
6	ईओयू / ईपीजेड / सेज का दुरुपयोग	6 37.50	18 9.54	6 37.34	3 1.05	3 4.95
7	डीईईसी / अग्रिम लाइसेंस का दुरुपयोग	11 1077.15	12 15.21	55 265.21	79 293.54	178 3433.40
8	अन्य	186 953.54	170 2780.73	145 198.08	118 364.74	167 1077.70
	कुल	**407** **2925.54**	**631** **6623.32**	**667** **1422.18**	**940** **3064.65**	**752** **6228.19**

स्रोत: डीआरआई एंटी स्मगलिंग निष्पादन रिपोर्ट (एएसपीआर)

अनुबंध - 3

एससीएन और अधिनिर्णय के लिए कानूनी ढांचा और प्रशासनिक निर्देश

(संदर्भित पैराग्राफ सं. 3.1.1)

क्र.सं.	धारा/नियम/परिपत्र	संक्षिप्त संदर्भ
1.	सीमा शुल्क अधिनियम (सीए) 1962 के 28 (1)	मिलीभगत के कारण या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के अलावा अन्य मामलों में एससीएन
2.	सीए 1962 का 28 (4)	मिलीभगत या किसी भी विलफुल गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के मामलों में एससीएन
3.	सीए 1962 का 28 (8)	एससीएन मामलों में शुल्क और ब्याज की राशि
4.	सीए 1962 का 28 (9)	एससीएन मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा
5.	सीए 1962 का 111	अनुचित रूप से आयातित माल की जब्ती
6.	सीए 1962 का 75	निर्यात के लिए कमी का विनियमन
7.	सीए 1962 का 122	अधिग्रहण और दंड के अधिनिर्णय
8.	सीए 1962 का 124	माल जब्त करने से पहले एससीएन
9.	सीए 1962 के 129 डी	कुछ आदेश पारित करने के लिए प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त की शक्तियाँ
10.	पूर्व सूचना विनियम 2018	जिन मामलों में एससीएन प्रस्तावित था, उनमें पूर्व सूचना परामर्श की शुरूआत
11.	एफटीडीआर अधिनियम 1992 का 13	तलाशी, जब्ती, दंड और अधिग्रहण के मामलों में लाइसेंस प्राधिकरण निर्णय
12.	एफटीडीआर अधिनियम 1992 के 14	दंड और अधिग्रहण के अधिनिर्णय से पहले माल के मालिक को अवसर (लिखित नोटिस) देना
13.	एचबीपी खंड I का 4.24	दायित्व की निगरानी; एडवांस लाइसेंस
14.	एचबीपी खंड I का पैरा 5.8	निर्यात दायित्व पूर्ति का विनियमन; ईपीसीजी योजना लाइसेंस
15.	एचबीपी खंड I का पैरा 5.13	ईपीसीजी लाइसेंस के लिए मोचन प्रक्रिया
		प्रशासनिक निर्देश
1.	सीबीआईसी परिपत्र. सं. 162/73/95-सीएक्स दिनांक 14.12.1995 यथा संशोधित	कॉल बुक में एससीएन मामलों का स्थानांतरण.
2.	सीबीआईसी परिपत्र. सं. 717/33/2003- सीएक्स दिनांक 23.5.2003	मासिक तकनीकी रिपोर्ट/मासिक निष्पादन रिपोर्ट
3.	डीजीएफटी परिपत्र एफ.सं.18/24/एचक्यू/99-	अस्वीकृत सत्व सूची मामलों के लिए दिशानिर्देश

क्र.सं.	धारा/नियम/परिपत्र	संक्षिप्त संदर्भ
	2000/ईसीए II दिनांक 31 दिसंबर 2003	
4.	सीबीआईसी परिपत्र. सं. 3/2007-सीमा शुल्क दिनांक 10 जनवरी 2007	जब्ती मामलों के लिए समय सीमा जिसके भीतर अधिनिर्णय पूरा हो जाएगा
5.	सीबीआईसी परिपत्र. सं. 4/2007- सीमा शुल्क दिनांक 10 जनवरी 2007	रिमांड के मामलों को समयबद्धता के लिए अधिनिर्णय
6.	वित्त मंत्रालय एफ.सं/609/119/2010-डीबीके दिनांक 18.1.2011	बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र (बीआरसी) मॉड्यूल के कार्यान्वयन में प्रगति
7.	सीबीआईसी परिपत्र. सं.24/2011- सीमा शुल्क दिनांक 31.5.11	एससीएन और स्थगन के लिए मौद्रिक सीमा
8.	सीबीआईसी परिपत्र. सं 16/2017 दिनांक 2 मई 2017	निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए सरल सूचना जारी करना
9.	सीबीआईसी निर्देश सं.5/2018 दिनांक 28.3.2018 तथा सं.6/2018 दिनांक 2.04.2018	डीआईजीआईटी के माध्यम से एससीएन और अधिनिर्णय आदेश जारी करना
10.	डीजीएफटी ट्रेड सूचना सं. 1/2018-19 दिनांक 4.4.2018	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) निगरानी प्रणाली

अनुबंध - 4

कार्य क्षेत्र और लेखापरीक्षा आवृत्त क्षेत्र

(संदर्भित पैराग्राफ सं. 3.3)

क्र.सं	चयनित सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	चयनित आरए का नाम	चयनित डीसी सेज के नाम
1	सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) लखनऊ सीमा शुल्क आयुक्तालय नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) पटना	कानपुर	नोएडा
2	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट) कोलकाता सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सेज फाल्टा
3	सीमा शुल्क आयुक्तालय हैदराबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय विशाखापट्टनम सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) भुवनेश्वर	हैदराबाद	वीसेज विशाखापट्टनम
4	सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच दिल्ली सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात), एनसीएच दिल्ली सीमा शुल्क आयुक्तालय इंदौर	दिल्ली इंदौर	पीथमपुर, ग्वालियर
5	सीमा शुल्क आयुक्तालय अहमदाबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय मुंद्रा सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) जोधपुर	अहमदाबाद राजकोट जयपुर	कांडला
6	सीमा शुल्क आयुक्तालय लुधियाना	कोई आरए चयनित नहीं	अधिकार क्षेत्र में कोई डीसी नहीं
7	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और एयरपोर्ट) बैंगलुरू सीमा शुल्क आयुक्तालय मंगलुरु	बंगलुरू	सीसेज बैंगलुरू (डीसी-कोचीन)
8	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एनएस-I), जेएनसीएच मुंबई सीमा शुल्क आयुक्तालय (एनएस-II), जेएनसीएच मुंबई सीमा शुल्क आयुक्तालय (एनएस-III), जेएनसीएच मुंबई सीमा शुल्क आयुक्तालय (एन एस-V), जेएनएचएच मुंबई	एडीजीएफटी, मुंबई	सीप्ज, मुंबई

क्र.सं	चयनित सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	चयनित आरए का नाम	चयनित डीसी सेज के नाम
9	सीमा शुल्क आयुक्तालय -I (एयरपोर्ट), चेन्नई सीमा शुल्क आयुक्तालय -II (समुद्र-आयात), चेन्नई सीमा शुल्क आयुक्तालय -VII (एयर कार्गो), चेन्नई चेन्नई	चेन्नई,	एमईपीजेड, चेन्नई,
	सीमा शुल्क आयुक्तालय कोचीन	कोचीन	सीसेज, कोचीन
कुल	**25**	**12**	**8**

अनुबंध 5

डीआरआई आसूचना एकत्रण और जांच तंत्र (डीआईजीआईटी) डेटाबेस का अध्यतन न होना

(संदर्भित पैराग्राफ 3.4.4.1)

क्र.सं.	आयुक्तालय का नाम	क्या लीगेसी डेटा प्रविष्टि जुलाई 2018 तक डीआईजीआईटी में की गई है	क्या एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश 1.4.2018 से अपलोड किए जा रहे हैं	डीआईजीआईटी का कार्यान्वयन लागू/आंशिक रूप से लागू/लागू नहीं
1	सीमा शुल्क आयुक्तालय , अहमदाबाद	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
2	सीमा शुल्क आयुक्तालय , मुंद्रा	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
3	सीमा शुल्क आयुक्तालय , जोधपुर	अपलोड नहीं किया गया	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
4	सीमा शुल्क आयुक्तालय , एनसीएच, मंगलौर	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
5	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और एयरपोर्ट), बैंगलोर	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
6	सीमा शुल्क आयुक्तालय , लुधियाना	आंशिक	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
7	सीमा शुल्क आयुक्तालय (समुद्र) चेन्नई	अपलोड नहीं किया गया	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
8	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयर), चेन्नई	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
9	सीमा शुल्क आयुक्तालय (समुद्र), कोचीन	आंशिक	आंशिक	आंशिक रूप से लागू

क्र.सं.	आयुक्तालय का नाम	क्या लीगेसी डेटा प्रविष्टि जुलाई 2018 तक डीआईजीआईटी में की गई है	क्या एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश 1.4.2018 से अपलोड किए जा रहे हैं	डीआईजीआईटी का कार्यान्वयन लागू/आंशिक रूप से लागू/लागू नहीं
10	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयर), कोचीन	जानकारी नहीं दी गई	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
11	सीमा शुल्क आयुक्तालय , एसीसी (आयात) एनसीएच, दिल्ली	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
12	सीमा शुल्क आयुक्तालय , इंदौर	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
13	सीमा शुल्क आयुक्तालय , एसीसी (निर्यात), एनसीएच, दिल्ली	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
14	हैदराबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
15	सीमा शुल्क आयुक्तालय , वीवीएसपी	आंशिक	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
16	सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), भुवनेश्वर	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
17	सीमा शुल्क आयुक्तालय , एयरपोर्ट, कोलकाता	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
18	सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), पश्चिम बंगाल	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
19	सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), लखनऊ	अपलोड नहीं किया गया	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
20	सीमा शुल्क आयुक्तालय , नोएडा	अपलोड नहीं किया गया	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
21	सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), पटना	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
22	सीमा शुल्क आयुक्तालय (I,II,III,IV), जेएनसीएच, मुंबई	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
	25			
सार:				
आयुक्तालय की संख्या जहाँ लागू नहीं किया गया				**10**
आयुक्तालय की संख्या जहाँ आंशिक रूप से लागू किया				**9**
आयुक्तालय की संख्या जहाँ डेटा / जानकारी प्रस्तुत नहीं की				**6**
कुल				**25**

अनुबंध 6

छूट अधिसूचना को गलत लागू करना

(संदर्भित पैराग्राफ 4.7)

क्र.सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	
1	30	मूल सीमा शुल्क का कम उदग्रहण	12.33	12.33	12.33	एसीसी, मुंबई
2	50	छूट का गलत लाभ उठाने के कारण सीमा शुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क का अनुदग्रहण	13.52	13.52	15.81	सीमा शुल्क आयुक्तालय , मुंद्रा,
3	59	छूट के गलत अनुदान के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	15.72	15.72	19.17	कस्टम हाउस, कोच्चि
4	67	यूरिया के आयात पर काउंटरवेलिंग शुल्क का कम उदग्रहण	27.03	27.03	5.26	जेएनसीएच, मुंबई
5	96	अधिसूचना के गलत आवेदन के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	18.32	18.32	23.60	एसीसी, बेंगलुरु
6	97	निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	53.06	53.06	13.26	एसीसी, बेंगलुरु
7	106	अधिसूचना संख्या 27 के तहत आयात किए गए माल पर शुल्क और ब्याज की गैर वसूली	21.35	21.35	32.47	कोलकाता (पोर्ट)
8	114	मूल्यांकन योग्य मूल्य को गलत तरीके से अपनाने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	13.97	13.97	16.58	आईसीडी, अंकलेश्वर, अहमदाबाद
		कुल	**175.30**	**175.30**	**138.48**	

अनुबंध 7

आयात पर आईजीएसटी का कम उदग्रहण/अनुदग्रहण

(संदर्भित पैराग्राफ 4.8)

क्र.सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय
1	3	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	31.47	31.47	39.24	एसीसी, चेन्नई
2	5	एकीकृत कर को गलत तरीके से अपनाने के कारण शुल्क की कम राशि	24.32	24.32	24.89	पटपड़गंज आयुक्तालय के अंतर्गत आईसीडी, गढ़ी हरसरू
3	8	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	15.45	15.45	17.29	सीएच, पिपाव जामनगर
4	14	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	36.16	36.16	60.78	आईसीडी, गढ़ी हरसरू
5	15	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	19.43	19.43	20.83	आईसीडी, तुगलकाबाद
6	16	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	33.41	33.41	36.98	आईसीडी, गढ़ी हरसरू
7	17	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	19.44	19.44	20.45	आईसीडी, तुगलकाबाद
8	28	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	15.76	15.76	8.45	एनसीएच, चेन्नई
9	37	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	56.27	56.27	67.27	आईसीडी, तुगलकाबाद
10	38	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	43.58	43.58	38.75	एनसीएच, दिल्ली

क्र.सं.	डीए पी सं.	विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय
11	43	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	11.47	11.47	9.16	आईसीडी, तुगलकाबाद
12	54	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	13.98	13.98	17.29	एनसीएच, दिल्ली
13	62	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	20.98	20.98		आईसीडी, तुगलकाबाद
14	69	स्याही कारतूस पर आईजीएसटी का कम उदग्रहण	26.70	26.70	0.03	एसीसी, मुंबई
15	102	आईजीएसटी का कम उदग्रहण	24.84	24.84	30.65	एसीसी, मुंबई
16	105	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	64.32	64.32	66.35	एनसीएच, दिल्ली
		कुल	**457.58**	**430.91**	**458.41**	

अनुबंध 8

गलत तरीके से अधिसूचना लाभ प्रदान करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण/अनुदग्रहण

(संदर्भित पैराग्राफ 4.9)

क्र.सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्तित राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय
1	18	अधिसूचना 50/2017 के गलत लाभ प्रदान करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	20.55	10.13	10.13	आईसीडी, गढ़ी हरसरू
2	86	अधिसूचना लाभ के गलत विस्तार के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	17.59	17.59	शून्य	कस्टम हाउस, चेन्नई
3	104	चने के आयात पर सीमा शुल्क का अनुदग्रहण	52.15	52.15	52.94	जेएनसीएच, मुंबई
4	112	अधिसूचना लाभ के गलत तरीके से विस्तारित होने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	31.31	31.31	34.52	चेन्नई (समुद्र)
पैरा 2.2 और 3.3 को छोड़कर 118-पैरा 2.2 से पैरा 3.4; अध्याय में शामिल		अधिसूचना 50/2017 के तहत मशीनरी और पार्टों के आयात पर बीसीडी का कम उदग्रहण	136.73	शून्य	शून्य	कोच्चि (समुद्र) चेन्नई (समुद्र)
		कुल	**258.33**	**111.18**	**97.59**	

अनुबंध -9

आयातों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण/अनुदग्रहण

(संदर्भित पैराग्राफ 4.10)

क्र.सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	6	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का अनुदग्रहण	33.87	33.87		चेन्नई (समुद्र)	रिजट्रॉन नियंत्रण वृद्धि कक्ष
2	9	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	26.18	26.18		एसीसी, बेंगलुरु	तंबाकू फ़ीड नियंत्रण इकाई
3	13	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	18.87	18.87	23.23	आईसीडी, तुगलकाबाद	व्हाइट टॉप पल्प बोर्ड
4	20	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	43.55	43.55	2.26	चेन्नई (एअर)	सीसीटीवी कैमरा
5	21	गलत वर्गीकरण के कारण कम उदग्रहण	44.66	44.66	20.29	चेन्नई (समुद्र)	पशु चारे के लिए तन्त्र
6	22	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	12.80	12.80		चेन्नई (समुद्र)	रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग
7	26	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	32.11	32.11	38.54	कोच्चि (समुद्र)	मीडिया ग्रिड बेस पैक और अन्य
8	29	गलत वर्गीकरण के कारण आईजीएसटी का कम उदग्रहण	25.88	25.88	28.53	कोच्चि (समुद्र)	विलो असेंबली तथा फेस असेंबली
9	35	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	19.97	19.97	22.83	आईसीडी, तुगलकाबाद	मोबाइल फोन की बैटरी
10	40	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	65.56	65.56	77.26	आईसीडी, तुगलकाबाद	गियर असेंबली के लिए सिंक्रोनाइज़र घटक
11	41	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	13.99			आईसीडी, तुगलकाबाद	डिब्बाबंद फल कॉकटेल

क्र.सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
12	52	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	11.01	11.01	12.23	आईसीडी, तुगलकाबाद	ऑटोमोबाइल पार्ट
13	53	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	60.12	60.12		आईसीडी, तुगलकाबाद	राउटर लाइन कार्ड
14	55	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.80	10.80	14.85	जेएनसीएच, मुंबई	फिल्टर-पेपर
15	57	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.81			जेएनसीएच, मुंबई	कॉफी मेट कॉफी क्रीमर
16	65	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.07	10.07		एसीसी, बेंगलुरु	जीएसएम / जीपीआरएस मॉड्यूल
17	71	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	46.37	46.37		चेन्नई (समुद्र)	इंबॉडी बैंड फिटनेस वॉच
18	72	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का अनुदग्रहण	90.97	90.97		आईसीडी, संतनगर	फाइबर प्रबलित प्लास्टिक फाइबर ग्लास
19	74	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	15.49	15.49		जेएनसीएच, मुंबई	कॉस्मेटिक के लिए कच्चा माल
20	79	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	39.36	2.33		जेएनसीएच, मुंबई	मॉनिटर और माइक्रोस्कोप
21	85	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	17.03	17.03		जेएनसीएच, मुंबई	पॉलीप्रोपाइलीन बैग
22	107	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का अनुदग्रहण	76.45	37.68	42.45	चेन्नई (समुद्र)	पेट्रोलियम अनुसंधान के लिए बहुउद्देश्यीय पायलट प्लांट
23	109	गलत वर्गीकरण के कारण मूल सीमा शुल्क का कम उदग्रहण	18.22	16.43	16.43	एसीसी, हैदराबाद	डस्ट मोनिटर, एयर पार्टिकल काउंटर
			744.14	**641.75**	**298.90**		

अनुबंध -10

लागू शुल्क के उद्ग्रहण के बिना निकासी किए गए और अन्य अनियमितताएं

(संदर्भित पैराग्राफ 4.11)

क्र.सं.	डीए पी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु विषय
1	51	मूल सीमा शुल्क का कम उदग्रहण	13.63	13.63	16.03	सेज, अटलाड़ा	प्योरोक्सासल फोन
2	82	शुल्क का आधिक प्रतिदाय	46.48	46.48	58.07	जेएनसीएच, मुंबई	रेड बुल एनर्जी ड्रिंक
3	45	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुदग्रहण	11.75			जेएनसीएच, नहवाशेवा-।	फ्थेलिक एनहाइड्राइड
4	49	एंटी डंपिंग शुल्क का कम/अनुदग्रहण	11.36	11.36		जेएनसीएच, नहवाशेवा-।	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
5	63	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुदग्रहण	25.49			नहवाशेवा-।	ज़ीइलाइट
6	89	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुदग्रहण	33.35			जेएनसीएच, मुंबई	पॉलीप्रोपलीन
7	93	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुदग्रहण	12.23			जेएनसीएच, मुंबई	तुल्यकालिक डिजिटल पदानुक्रम ट्रांसमिशन उपकरण
8	100	एंटी डंपिंग शुल्क का कम /अनुदग्रहण	14.05			जेएनसीएच, मुंबई	डि-मिथाइल एसिटामाइड
9	108	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुदग्रहण	31.99	31.99		जेएनसीएच, मुंबई	सैकरीन
			200.33	**103.46**	**74.10**		

अनुबंध -11

विकास आयुक्तों द्वारा प्रभारों का कम/अनुदग्रहण

(संदर्भित पैराग्राफ 4.12)

क्र.सं.	डीएपीसंख्या	विषय सार	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	वसूली गई राशि (₹लाख में)	आयुक्तालय
1	7	लागत वसूली प्रभारों की कम वसूली	68.27	68.27	68.27	आईसीडी, अंकलेश्वर
2	75	लागत वसूली प्रभारों की कम वसूली	44.93	29.12	29.12	जीपीपीएल पिपावाव
		कुल	**113.20**	**97.39**	**97.39**	

अनुबंध -12

निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

(संदर्भित पैराग्राफ 5.2)

क्र.सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	वसूली गई राशि (₹लाख में)	आयुक्तालय
1	34	अग्रिम प्राधिकरण के संबंध में डिफ़ॉल्ट का अनियमित नियमितीकरण	21.43	25.90	25.90	एडीजीएफटी, कोलकाता
2	42	डीटीए बिक्री पर सीमा शुल्क शिक्षा उपकर का अनुदग्रहण	10.48	10.48	11.50	डीसी-एफसीसेज, कोलकाता
3	44	एसएफआईएस प्राधिकरण का गलत अनुदान	49.34	49.34	49.34	जेडीजीएफटी, वडोदरा
4	46	ईपीसीजी प्राधिकरण के संबंध में निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	14.67			एडीजीएफटी,, कोलकाता
5	47	मार्केट लिंक्ड फोकस उत्पाद योजना के तहत शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	28.95	28.95	48.64	जेडीजीएफटी, चेन्नई

क्र.सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	वसूली गई राशि (₹लाख में)	आयुक्तालय
6	48	एसएचआईएस योजना के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का गलत अनुदान	8.00	8.00	11.02	एडीजीएफटी,, कोलकाता
7	61	आईईआईएस के तहत पारितोषिक का गलत अनुदान	9.13	9.13	11.05	जेडीजीएफटी, कोयंबटूर
8	68	गलत वर्गीकरण के कारण डीटीए बिक्री पर शुल्क का कम उदग्रहण	70.33	70.33		कस्टम हाउस, कोच्चि
9	73	एमईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट का अत्यधिक अनुदान	35.18	35.18	39.50	जेडीजीएफटी, मदुरै
10	76	अयोग्य समझा गया दोष	39.04	49.08	49.08	डीसी-सीसेज, कोच्चि
11	78	उत्पाद शुल्क का कम उदग्रहण	10.26	10.26	16.02	पुणे III (ईओयू) मुंबई
12	81	ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	30.90	11.27		एसीसी, बेंगलुरु
13	91	सीएसटी प्रतिदाय का गलत लाभ	30.85	24.40	24.40	सीजीएसटी, भावनगर-I
14	98	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण के तहत छूट का गलत अनुदान	22.13	22.13	28.98	कस्टम हाउस, मुंद्रा
15	101	डीटीए में उत्पाद की अधिक बिक्री पर शुल्क का कम उदग्रहण	10.39	10.39	3.17	औरंगाबाद-II
16	113	एमईआईएस के तहत सीमा शुल्क की छूट का अनियमित लाभ	51.63	51.63		सीजीएसटी (III) गांधीनगर
17	116	निर्यात आय को उगाहने में विफलता पर कमी की वसूली नहीं	46.61	46.61		कोलकाता (पोर्ट)
			489.32	**463.08**	**318.55**	